Tuesday, 29 August, 1961

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४---५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७---६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८-७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०-८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३

अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२००	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना	२२०८-०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९-१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण	२२१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११-१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि	२२१६-१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८

अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९००	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२ . . . २२८१--८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ . . . २२८७--२३४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना . . . २३५०-५१

सभा का कार्य . . . २३५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २३५१-५२

इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य . . . २३५२-५३

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . . २३५३--६३

आय कर विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . २३६३--८०

श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार . . . २३८०-८१

कार्य मंत्रणा समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन . . . २३८१

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा . . . २३८१--८६

दैनिक संक्षेपिका . . . २३८७--९५

अंक १५--शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . . . २३९७--२४२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . . २४२०--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ . . . २४३९--२५०२

निधन संबंधी उल्लेख . . . २५०३-०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २५०४-०५

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २५०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५०५

सभा का कार्य . . . २५०६

श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . . . २५०६,४०--४३

कार्य मंत्रणा समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन . . . २५०६-०७

विषय	पृष्ठ

आय कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . २५०७—१५

खंड २ से १२ . . . २५१५—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तासीवां प्रतिवेदन २५२१

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . . . २५२१—२५

पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प

तथा

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा . . . २५२५—४०

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . . २५४०

दैनिक संक्षेपिका . . . २५४४—५३

अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ . . . २५५५—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ . . . २५८४—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ . . . २५९१—२६४०

संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य . . . २६४०—४३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . २६४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २६४४

दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु . . . २६४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६४४

राज्य सभा से संदेश . . . २६४४

विशेषाधिकार . . . २६४५, ७२—७३

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २६४५

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना . . . २६४५

विधेयक पुरस्थापित—

१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक . . . २६४५

२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २६४६

आय कर विधेयक . . . . २६४६—६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
खंड १३ से २६८ और अनुसूची १ से ५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६१-६२ . . २६६६—७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३—८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५—६१

अंक १७—मंगलवार, २६ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२६, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६६३—२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१—७५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६—७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७—७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८—७६

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७६

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १६६१—

पुरःस्थापित . . . २७७६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६१-६२ . २७८०—६४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७६४—२७२६

दैनिक संक्षेपिका . २८३०—३६

अंक १८—बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७—६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय | पृष्ठ

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३०८०—९३

खंड २ से ४ और १ . . . . . . ३०९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ३०९८—३१०६

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—

विचार करने के प्रस्ताव . . . ३०९४—९७

खंड १ और २ . . . . . . ३०९७

पारित करने का प्रस्ताव ३०९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . ३१०६—०७

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३१०६—०७

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव ३१०७—१९

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३११९—२२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१२३—२९

अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७ . . . . ३१३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७ . . . . . ३१५४—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९ . . . . . ३१६०—३२१७

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३२१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . . ३२१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२१८

सभा का कार्य . . . . . ३२१९—२०

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२२०

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . . ३२२१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३२२१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठ्ठासीवा प्रतिवेदन ३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३६
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)-- परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३६--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)-- विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१

७ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लाजपतनगर के मकान

+

*१०१६-क. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री मोती लाल मालवीय :
श्री तुला राम :
श्री लच्छी राम : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव गढ़ी झड़िया मढ़िया लाजपतनगर के पास जो नये मकान बनाये गये हैं वह जमीन किसी जमींदार की थी जिससे मोल लेकर मकान मालिकों ने सरकार से रजिस्ट्री करवा ली थी;

(ख) क्या यह सच है कि जब मकान बनाये जा रहे थे तब किसी अधिकारी ने मकान को रुकवाने के लिये पहले कोई कार्यवाही नहीं की;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब जो मकान तोड़ने के नोटिस दिये गये हैं, नोटिस देने की तारीख से मकान मालिकों को चार महीने बाद मिले हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिनांक १५ जुलाई १९६१ को दिल्ली विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जो मकान तोड़े हैं, उनके मकान मालिक घर नहीं थे और उनके सामान को कहीं पर दर्ज नहीं किया गया; और

(ङ) जो ये मकान बने हैं उनकी अमूमन सरकार की दृष्टि में मकान की लागत कितनी हो सकती है और ये मकान तोड़ने से उन गरीबों को जो नुकसान होगा क्या उनमें उसे सहन करने की शक्ति है ?

1198 (Ai) LSD.—1

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जिस जमीन को दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा १२ के अधीन 'विकास क्षेत्र' घोषित किया गया है सरकार को उसके मालिक का पता नहीं है ।

(ख) और (ग). अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट देने में दिल्ली विकास प्राधिकार के कर्मचारियों ने तुरन्त कार्यवाही की । मकानों को गिराने का आदेश पारित करने के लिये दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा ३० में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार चलना पड़ता है । जिसके अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों के मालिकों को इस बात का पर्याप्त अवसर मिल जाता है कि वे यह बतला सकें कि उनके विरुद्ध निर्माण गिराने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिये । साथ ही उन्हें इस धारा के अन्तर्गत प्राधिकार के अध्यक्ष से अपील करने का भी अधिकार है । इस प्रकार पहले नोटिस के जारी होने तथा अन्तिम अवासन नोटिस के दिये जाने के बीच कुछ समय का विलम्ब हो जाता है ।

(घ) यह सच नहीं है । वास्तव में इन निर्माणों के गिराने के समय उनके मालिक अथवा रिश्तेदार उस स्थान पर उपस्थित थे और इसलिये उनके सामान की किसी प्रकार की तालिका तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा गिराये जाने वाले अनधिकृतनिर्माणों के बनाने वालों अथवा मालिकों को मुआवज़ा देने की दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ में कोई व्यवस्था नहीं है, अतः इन अनधिकृत निर्माणों का मूल्य नहीं आंका गया । दूसरी ओर उनसे इन निर्माणों के गिराये जाने का खर्च भी वसूल किया जा सकता है लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकार अभी ऐसा कर नहीं रहा है ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इस क्षेत्र में कुल कितने मकान बनाये गये और उनमें परिगणित जाति के लोगों के कितने मकान थे । और जो मकान तोड़े गये हैं उनमें हरिजनों के कितने हैं और अन्य जाति वालों के कितने हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास जो इत्तला है उससे मालूम होता है कि इन अनआथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स की संख्या २३० है । इन में किन किन कौमों का अन्तर्भाव है यह पता नहीं लगता ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सही नहीं है कि जो जमीन दी गयी थी वह सरकार द्वारा जमीदारों से मोल लेकर रजिस्ट्री करा कर दी गयी थी ? फिर बाद में उस पर मकान बनाये गये । इन मकानों के बनाने में चार महीने का समय लगा । मैं जानना चाहता हूं कि इन चार महीनों में इन मकानों का बनना क्यों नहीं रोका गया ताकि मकान बनने के बाद मकान गिराने का सवाल पैदा न होता ? और क्या सरकार ने इस बात का भी कोई अन्दाजा लगाया है कि इन मकानों के तोड़ने से इन गरीबों का कितना नुकसान हुआ ?

श्री करमरकर : पहली चीज तो यह है कि ट्रांस्फर कैसे हुआ इसका विवरण मेरे पास नहीं है । शायद रजिस्ट्री द्वारा हुआ हो या न हुआ हो । दूसरी चीज यह है कि कायदे के मुताबिक पहले नोटिस देते हैं और बाद में डिमालिशन करते हैं । और जैसा कि मैं ने पहले कहा, नोटिस देने में और डिमालिशन करने में कुछ अन्तर होता है, कभी महीनों का अन्तर हो जाता है । तीसरी चीज यह है कि सार्वजनिक दृष्टि से ऐसे अनआथोराइज्ड मकान नहीं बनाने चाहिए और उनको कायदे के मुताबिक ही तोड़ा गया है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य से इस सार्वजनिक काम में सहकार की अपेक्षा करता हूं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : ये लोग इस स्थान पर कितने दिन तक बैठ रहे ? दूसरे जब सरकार विदेशों से आये शरणार्थियों के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के लिये इतनी मेहरबान है, तो क्या

†मूल अंग्रेजी में

सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह यह देखे कि जो लोग यहां वर्षों से रह रहे हैं, उनको इन प्लाटों से वंचित न किया जाय ?

†**श्री करमरकर** : मुझे पूरा पता नहीं है कि वे वहां वर्षों सेहैं। मेरे नोटों से ठीक अवधि का पता नहीं चलता। एक प्रथक प्रश्न की सूचना मिलने पर मैं इसका पता लगाऊंगा। परन्तु इस मामले में ऐसा लगता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बहुत जल्दी कार्यवाही की। अनधिकृत निवासियों के बारे में, दिल्ली में कठिनाई यह है कि जब तक हम उनके विरुद्ध कार्यवाही न करें, हम ठीक से दिल्ली का विकास नहीं कर सकते।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : झोंपड़ियों को गिराने से पहले, क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह देखे कि उनको वैकल्पिक आवास स्थान मिला है या नहीं ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं। सामान्य मानवीय आधार पर, कुछ वर्ष पूर्व, वर्ष १९५०–५१ में, क्योंकि लोगों ने यहां आना शुरू कर दिया था, उसको ध्यान में रख कर, उस समय यह फैसला किया गया था कि यदि इन लोगों को बेघर किया जाय तो उनके लिये वैकल्पिक आवास स्थान ढूंढने का प्रयत्न किया जाय, परन्तु अब यह समझा जाता है कि पर्याप्त वर्षों का नोटिस दिया गया है और जो लोग अनधिकृत रूप से रहते हैं, उनके बेघर किये जाने की शंका सदैव रहती है।

श्री तंगामणि उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। मैं कई प्रश्न समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा जहाजों का निर्माण

†***१०१७. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाज बनाने के लिए और आर्डर इस बीच दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) तब से आठ जहाजों के लिये आर्डर मिल चुके हैं—दो मेसर्ज़ सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई से और छः ईस्टर्न एण्ड वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन से।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाना है और बड़ी मात्रा में कोयला तट के आस पास छोटे जहाज़ों द्वारा लाया जाना है, क्या हम ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड को किसी विशेष डिज़ाइन के लिये आर्डर दिये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : निर्माण-लागत कम करने के लिये हमें कुछ एकसम पैटर्न और डिज़ाइन अथवा जहाज़ों की क़िस्म माननी पड़ती है और स्पष्टतः हमें वह इसलिये करना पड़ता है ताकि उचित रकम से अधिक का भुगतान न करना पड़े। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में हम ने अभी तक, उस बात को ध्यान में रखते हुए, छोटे जहाज़ों के निर्माण पर विचार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाये गये जहाजों के मूल्य और पश्चिम जर्मनी अथवा ब्रिटेन में बनाये गये उसी प्रकार के जहाजों के मूल्य में कोई समानता है ?

†श्री राज बहादुर : उस में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और यह जहाज के निर्माण में कई बातों पर निर्भर है जैसे आयातित सामान की मात्रा, उपकरणों की लागत आदि । उस के अतिरिक्त, वह देश में देशीय सामान की उपलब्धता पर भी निर्भर है । जहां तक कीमतों में समानता का प्रश्न है, जसाकि माननीय सदस्य को ज्ञात है, हम निर्माण-लागत में फ्रांस और इटली के बराबर हैं और ब्रिटेन, जर्मनी और जापान से नीचे हैं । इस विषय में हमारी स्थिति अमरीका से बहुत अच्छी है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि विदेशी डिज़ाइन बनाने वाले हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते और इसलिये भारत में बने जहाजों के लिये विदेशी डिज़ाइन उतने उपयुक्त नहीं रहते जितने कि हमारे अपने डिज़ाइन हो सकते हैं ? क्या हम ने इस बात पर भी विचार किया है ?

†श्री राज बहादुर : जहाजों को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलना होता है और जहां तक संचालन का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में कोई भेदभाव नहीं है । जहाजों की एक विशेष प्रकार के सामान के लिये आवश्यकता हो सकती है और जब जहाज का स्वामी अथवा जहाज कम्पनी आर्डर देते हैं तो उस बात पर ध्यान दिया जाता है । वे हमें यह बताते हैं कि उन के अपने कार्य के लिये किस प्रकार के जहाजों की आवश्यकता है ।

†श्री हेडा : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड का निर्माण ऐसा है कि जब तक उन के पास काफ़ी आर्डर न हों, पूरे संगठन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में आर्डर प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक आर्डरों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि हमारे पास इस समय ८ आर्डर हैं और हमें दो और तीन मिल सकते हैं, एक ग्रेट ईस्टर्न से और दूसरा इंडियन स्टीमशिप कम्पनी से । जहां सभी कर्मचारियों और सामान के उपयोग का प्रश्न है, यह सच नहीं है कि हमें कम से कम १०—१२ आर्डर चाहियें । परन्तु यह बिल्कुल सच है कि यदि हम केवल दो किस्मों अथवा डिज़ाइनों पर ही केन्द्रित रहें, तो निर्माण-लागत में कमी हो सकती है ।

†श्री जोकिम आल्वा : हम जहाज के मालिकों के आर्डरों की प्रतीक्षा करते हैं अथवा हम ने तृतीय योजना में एक विशेष संख्या में जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है ताकि यदि जहाज के स्वामी बाद में जहाज मांगते हैं तो आप उन्हें स्न्दुस्तान शिपयार्ड के पास भेज सकते हैं ।

†श्री राज बहादुर : जहां तक वर्तमान आर्डरों का सम्बन्ध है, वे वर्ष १६६४ के मध्य तक शिपयार्ड को व्यस्त रखने के लिये पर्याप्त हैं । हम ने हाल में भी एक निर्णय किया है जिस से हम उन जहाज कम्पनियों को, जो बाहर से पुराने जहाज खरीदने के लिये हम से ऋण मांगते हैं, यह कहेंगे कि प्रत्येक ऋण के विरुद्ध उन्हें हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को एक जहाज के लिये आर्डर देना होगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : वहां पर अधिक निर्माण-कार्य के फलस्वरूप क्या निर्माण-लागत कम हुई है ? यदि हां, तो इस की आरम्भ के मूल्य से क्या तुलना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : हमें इस्पात की आवश्यकता होती है; हमें मशीनों की आवश्यकता होती है; हमें इंजनों की आवश्यकता होती है; हमें अतिरिक्त पुर्जों और अन्य हिस्सों की आवश्यकता होती है और इनमें अधिकांश का हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। जैसे ही हमें यह हमारे स्थानीय इस्पात कारखानों अथवा प्रस्तावित डीज़ल इंजन निर्माण कारखानों से मिलने आरम्भ हो जायेंगे, लागत में काफ़ी कमी आ जायेगी। और हमारा प्रयत्न यह है कि हम अधिकतर सामान देशीय रूप से उपलब्ध कराने के लिये हम सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दें।

डाक के फार्म

†*१०१८. { +पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खास कर महाराष्ट्र और बिहार में अनेक डाकघरों में मनीआर्डर के तथा दूसरे फार्मों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार के पास उस तरह की शिकायतें पहुंची हैं और क्या समाचार पत्रों में उन का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस हालत के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) इस समय किसी कमी का पता नहीं चला है परन्तु कभी कभी कमी हो जाती है।

(ख) जी हां, कभी कभी।

(ग) प्रमुखतः कागज की कमी और अनियमित संभरण।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जब इन फार्मों की कमी हो जाती है, तब क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसा मैं ने भाग (ग) के उत्तर में कहा है कि प्रमुखतः कागज की कमी है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जब फार्मों की कमी पड़ जाती है तो क्या उस समय फार्मों के बजाय सादे कागज इस्तेमाल करने के आदेश दिये गये हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : फार्म सरकारी प्रेसों में छपते हैं। परन्तु अब हम उन्हें गैर-सरकारी मुद्रणालयों में छपवाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि सरकारी प्रैसें पूर्णतः व्यस्त हैं। जैसाकि मैं ने बताया, कागज की भी कमी है।

†**श्री आसर** : फार्मों की इस कमी के बारे में इस सभा में चर्चा हुई है और मंत्री महोदय ने भी यह आश्वासन दिया है कि वे उचित पग उठायेंगे। परन्तु अभी तक कोई उचित पग नहीं उठाये गये हैं और राज्य में फार्मों की भारी कमी है। क्या मैं कारण जान सकता हूं ? क्या यह कमी केवल कागज के अभाव के कारण ही है या इस की कोई दूसरी वजह भी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : मैं ने बताया कि फार्मों की कमी का कारण कागज की कमी और कुछ सरकारी मुद्रणालयों में काम की अधिकता है। अब हम उन्हें गैर-सरकारी मुद्रणालयों में छपवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री तिम्मय्या: क्या यह विलम्ब इस कारण नहीं है कि मुद्रण नियंत्रक कार्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण अथवा अधिकार हैं, जो आसाम से मैसूर तक और मैसूर से आसाम तक कागज का संभरण करता है, वहां पर कुप्रबन्ध है अथवा उचित प्रबन्ध की आवश्यकता है।

†डा० प० सुब्बरायन : कुप्रबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है। हम जनरल पोस्ट मास्टरों से पर्याप्त मात्रा में फार्म छपाने को कह रहे हैं।

†श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार ने अपना मुद्रणालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है क्योंकि जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि सरकारी मुद्रणालयों में कार्य-भार है ?

†डा० प० सुब्बरायन : हम केवल सरकारी मुद्रणालयों अथवा गैर-सरकारी मुद्रणालयों में जा सकते हैं। डाकघर के लिये कोई मुद्रणालय खोलने का प्रश्न नहीं है।

†श्री बालकृष्णन् : क्या सरकार प्रादेशिक भाषाओं में फार्मों को छापने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि ग्रामीणों को कठिनाई न हो ?

†डा० प० सुब्बरायन : हम ने संबंधित राज्यों के मुद्रणालयों से प्रत्येक क्षेत्र के लिये, प्रादेशिक भाषाओं में, फार्म छापने को कहा है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या उस हानि का अनुमान लगा लिया गया है जो सरकार को इस कारण होती है कि लोग बिना मनीआर्डर किये वापस चले जाते हैं ?

†डा० प० सुब्बरायन : जी, नहीं। ये फार्म सरकारी मुद्रणालय छापते हैं। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि सरकारी मुद्रणालय हमारा काम नहीं कर सकते, तो हम ये फार्म गैर-सरकारी मुद्रणालयों में छपवाते हैं।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : मेरा प्रश्न कुछ और ही है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या उस हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है जो सरकार को इस कारण होती है कि लोग फार्म न मिलने के कारण मनीआर्डर भेजे बिना ही लौट जाते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह इस का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं ?

डा० प० सुब्बरायन : सरकारी मुद्रणालयों के अतिरिक्त सरकार द्वारा छपाई कराने का कोई प्रश्न नहीं है। जब सरकारी मुद्रणालय यह कार्य नहीं कर सकते तब हम गैर-सरकारी मुद्रणालयों में छपाई करवाते हैं।

राजस्थान नहर में नौचालन सुविधायें

+

†*१०१९. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर में नौचालन सुविधा योजना पर अंतिम रूप से विचार कर लिया है, और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). अभी यह मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अन्तिम रूप दिये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री हाथी** : तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय किया जा सकता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये परिवहन तथा संचार मन्त्रालय और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों की कोई समिति नियुक्त की गयी है और क्या उस समिति ने कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में यह मामला परिवहन मन्त्रालय को निर्देशित किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार कर लिया है कि यदि इस समय यह निर्णय नहीं किया जाता है और यदि यह कुछ वर्षों के बाद किया जाता है तो उन्हें अधिक व्यय करना पड़ेगा ?

†**श्री हाथी** : स्पष्टतः उस पर विचार किया गया है ।

वक्फ प्रशासन

+
*१०२०. { **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री १४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच वक्फ़ों के वर्तमान प्रशासन पर विचार किया है और उनकी जांच की है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). राजस्थान को छोड़कर, जहां वक्फ बोर्ड शीघ्र ही स्थापित कर दिया जायेगा, शेष सभी राज्यों में वक्फ़ बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं । इन बोर्डों को कहा गया है कि वे अपनी प्रशासी मशीनरी को उन्नत करें और विविध स्तरों पर गैर-सरकारी समितियां स्थापित करके पर्यवेक्षण के विषय में जन सहयोग को प्राप्त करें ।

श्री सरजू पाण्डेय : उत्तर प्रदेश में जो वक्फ़ बोर्ड बनाया गया है उसमें कौन कौन लोग रक्खे गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): उत्तर प्रदेश में जो वक्फ़ बोर्ड है वह सेंट्रल ऐक्ट के मातहत नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश का कानून अलग है और उसके मातहत वह बनता है और वह बहुत दिनों का बना हुआ है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों से वक्फ़ आयुक्त के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार वक्फ़ आयुक्त के कार्यालय में इसके अच्छे ढंग से कार्यकरण के लिये प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के बारे में सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : वक्फ़ आयुक्त राज्य में अथवा यहां पर ? वह राज्य सरकार के अधीन है । हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ।

†श्री अमजद अली : क्या राज्यों के वक्फ बोर्डों के कार्यकरण की देखभाल करने के लिये कोई व्यवस्था अथवा केन्द्रीय व्यवस्था बोर्ड है ?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : केन्द्र में कोई व्यवस्था नहीं है । सारा काम राज्य सरकार को करना है । यह राज्य का विषय है ।

†श्री अमजद अली : हम उनका उत्तर नहीं सुन सके ।

†श्री हाथी : उन्होंने कहा है कि केन्द्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और वह राज्य का विषय है ।

श्री सरजू पाण्डेय : माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि अलग-अलग सूबों में बोर्ड बनाये गये हैं, लेकिन पिछले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि केन्द्र में एक बोर्ड बनाया जायगा । इसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र में किसी बोर्ड की स्थापना की गई है या नहीं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : केन्द्र में वक्फ बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन यहां पर एक एडवाइज़री बोर्ड बनाया गया है ।

दिल्ली-लंदन बस सेवा

†*१०२१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और लन्दन के बीच एक सीधी बस सेवा चालू करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस बीच किये गये निर्णय का व्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मामला अभी विचाराधीन है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले प्रश्न का भी यही उत्तर दिया गया था । अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : हम सब जानते हैं कि सड़क द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के मामले में विभिन्न देशों के साथ करार आदि समेत कई पहलू शामिल हैं । हमें यह भी पता लगाना है कि पेट्रोल, संधारण और खाद्य तथा अन्य बातों पर विदेशी मुद्रा के व्यय की क्या व्यवस्था होगी । इन मामलों की जांच की जानी है । हम वर्ष १९२६ की अन्तर्राष्ट्रीय मोटर परिवहन के अभिसमय के एक पक्ष हैं और इसलिये हमने, एक या दो अवसरों पर बसों अथवा कोचों के लन्दन से भारत आने की अनुमति दी ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : विभिन्न राज्यों के साथ करार करने के लिये अब तक किये गये प्रयत्नों का क्या स्वरूप और व्यौरा है ?

†श्री राज बहादुर : हमारे देश के भीतर राज्य ? जैसा माननीय सदस्य को पता है, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा ९२ के अन्तर्गत नियम बनाये जाने हैं । हमने, आरम्भतः, पड़ौसी देशों के बीच

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन पर विचार किया है। जो नियम बनाये गये हैं, उनको सहमति के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया। वे हमें वापस मिल गये हैं और अब हमें नियमों को अन्तिम रूप देना है। वह हम शीघ्र ही कर लेंगे।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार यह महसूस करती है कि निर्णय करने में विलम्ब के कारण पर्यटकों से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** सड़क से बहुत थोड़े पर्यटक आयेंगे।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से लन्दन बस चलाने का कुल कितना खर्च पड़ेगा ? क्या इस विषय पर भी विचार किया गया है ?

श्री राज बहादुर : बस चलाने के खर्च के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैसर्ज़ गैरो फिशर टूर्ज़ कम्पनी ने, जो पहली-पहली बार एक बस यहां पर लाई थी, एक मुसाफिर से ९३ पौण्ड और १० शिलिंग के करीब किराया लिया था। इससे कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस बारे में कितना खर्चा पड़ेगा।

डा० गोविन्द दास: अभी मन्त्री जी ने कहा कि वैदेशिक मुद्रा की कमी के कारण इस काम को तुरन्त हाथ में लेने का शायद इरादा नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जहाज से वहां पर जाया जा सकता है और वैदेशिक मुद्रा की इतनी कमी है, तो इस काम को हाथ में लेने का विचार ही क्यों किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : बात यह है कि कुछ प्राईवेट कम्पनियां हैं, कुछ प्राईवेट लोग हैं, जो यह चाहते हैं कि इस तरह की यात्रायें की जायें। इस प्रकार देश-विदेश का भ्रमण हो जाता है और लोग दिलचस्पी और चाव के साथ जाते हैं। जितनी विदेशी मुद्रा हम खर्च करेंगे, उसके मुकाबले में उस से कुछ अधिक कमा भी लेंगे।

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण पर वैधानिक नियंत्रण

+

*१०२२. { **श्री वाजपेयी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण पर वैधानिक नियन्त्रण लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). आयुर्वेदक और यूनानी औषधियों के निर्माण को वैधानिक नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री वाजपेयी : क्या इस सम्बन्ध में वैद्यों और हकीमों से विचार-विनिमय किया गया है और क्या कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उनकी सम्मति प्राप्त की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री करमरकर : सभी वैद्यों की सम्मति तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी हमें इत्तिला है, जितना हमने जानने का प्रयत्न किया है, हम समझते हैं कि आम तौर से वे सब इस को वैलकम करते हैं ।

श्री वाजपेयी : वैद्यों और हकीमों के प्रतिनिधि संगठन बने हुए हैं । जब यह कहा जाता है कि वैद्यों और हकीमों की सम्मति ली जायगी, तो उसका यह अर्थ नहीं होता है कि प्रत्येक वैद्य तथा हकीम से पूछा जायगा । मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनके प्रतिनिधि संगठनों से विचार-विनिमय किया गया है ।

श्री करमरकर : मैं गुस्से के बिना कह सकता हूं कि जहां तक हमें जानकारी है--मैंने खुद इस बारे में चर्चा की है--आम तौर से वैद्य और हकीम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सब यह चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध औषधियां मिलें ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस कण्ट्रोल का कहीं यह तो अर्थ नहीं होगा कि वे लोग अपनी-अपनी दवा न बना सकें, क्योंकि जहां तक मैंने समझा है, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में दवा को बनाने की पद्धति में ही विशेषता रहती है । अगर माननीय मंत्री जी इस की व्याख्या कर सकें कि इस कन्ट्रोल का क्या अर्थ होगा, तो अच्छा होगा । मैं यह जानना चाहती हूं कि इससे कहीं अपने तरीके से दवा बनाने में उनकी स्वतन्त्रता में तो बाधा नहीं होगी ?

श्री करमरकर : व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है । लेकिन फिरभी मैं यह कह सकता हूं कि इस का उद्देश्य यह है कि लोगों को जो औषधियां मिलती हैं, वे शुद्ध मिलें और उनका कोई स्टेण्डर्ड हों । इसलिये हमने खास तौर से पब्लिक के विचार इस बारे में जाने और हमारे पास विनतियां भी आई हैं । हम देखते हैं कि चूंकि आजकल आयुर्वेद पापुलर होता जा रहा है, इसका फायदा उठा कर लोग अशुद्ध चीजें भी रख सकते हैं । इसका अर्थ सिर्फ यह है--इससे ज्यादा नहीं है--कि लोगों को शुद्ध औषधियां मिलें, दवाई पर जो लिखा होता है, वही मिले, न कि कोई दूसरी चीज़ ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या उन पर नियन्त्रण करने की बात सोचना समय पूर्व नहीं है ? क्या पहले अनुसन्धान करना आवश्यक नहीं है ताकि उत्पादन के तरीकों का स्तर निर्धारित किया जा सके ? इस समय उनका स्तर निर्धारित नहीं है । तरीकों का स्तर निर्धारित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** हमने इस पर पूर्णतः विचार कर लिया है कि समय ठीक है या नहीं और हम समझते हैं कि यह ठीक है । कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैं माननीय सदस्या से पूर्णतः सहमत हूं कि ये चीजें करने से पहले हमें और प्रयत्न करने पड़ेंगे । परन्तु इस समय कई नकली औषधियां आ रही हैं और इन परिस्थितियों में हम पहले तो निर्माताओं के नामों की सूची बनायेंगे और फिर हम निर्माताओं से अपने उत्पादों पर लेबल लगाने को कहेंगे जिस पर यह लिखा हो कि इसमें क्या है ताकि हम उनके कारखानों में जाकर यह पता लगा सकें कि वे वह कच्चा माल इस्तैमाल कर रहे हैं या नहीं । मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि हमारी कार्यवाही वैज्ञानिक ढंग से होगी और अन्य प्रकार नहीं ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद में गर्भनिरोध के लिये जो बहुत सी अच्छी औषधियां हैं, जो उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, क्या उनके विषयमें किसी रिसर्च और अनुसन्धान की व्यवस्था की गई है, ताकि उनका लाभ उठाया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में जो चीज़ हमें नजर आती है, जिसके बारे में हम को सूचना मिलती है, उसका हम जिक्र कर देते हैं और जिस हद तक हो सके, उसका संशोधन और अनुसन्धान भी करते हैं ।

डा० मा० श्री अणे : सरकार औषधियों पर कण्ट्रोल करना चाहती है और उनको स्टैण्डर्डइज़ करना चाहती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर सहस्रपुटी अभ्रक की जांच करने के लिये सरकार के पास कौनसा टैस्ट है कि वह सहस्रपुटी है या नहीं । लेबल पर लिखा होता है कि वह सहस्रपुटी अभ्रक है, लेकिन क्या सरकार उसकी शुद्धता की जांच करने के लिये कोई तरीका निकालेगी ?

श्री करमरकर : यह बड़ा विषय है । हम इस बारे में आहिस्ता-आहिस्ता रास्ता निकाल रहे हैं । माननीय सदस्य, डा० अणे, ने जो कहा है, हम उसका भी ज़िक्र करेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो कठिन चीजें हैं, उनको हम पहले नहीं लेंगे, हम पहले आसान चीज़ों को लेंगे । हम इस बारे में निःशंक हैं कि अब वक्त आ गया है कि यूनानी, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधियों का कुछ न कुछ कंट्रोल रहे, जिससे लोगों को शुद्ध औषधियां मिल सकें ।

पोलेंड और चेकोस्लोवाकिया से रेल पटरियां

+

†*१०२३. { **श्री मुरारका :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से रेल पटरियों के आयात के लिए आर्डर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां ।

	नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य—लाख रुपयों में
(ख) (१) पोलैंड :	
८५,००० मीटरिक टन	४३६.४१४
(२) चेकोस्लोवाकिया :	
४०,००० मीटरिक टन	२००.७८८

†श्री मुरारका : वर्ष भर में रेल पटरियों की कुल कितनी आवश्यकता है और उसमें से कितना आयात किया जायेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : वर्ष १९६१-६२ में कुल आवश्यकता ४.५ लाख टन की है । इसमें से २.२ लाख टन देशीय संसाधनों से प्राप्त होगी और २.३ लाख टन का आयात किया जायेगा ।

†श्री मुरारका : क्या यह सच नहीं है कि एक बार यह आशा थी कि चालू वर्ष की पूरी आवश्यकता देशीय संसाधनों से पूरी की जावेगी और यदि हां, तो अब इन्हें देशीय संसाधनों से प्राप्त करना कठिन क्यों हो गया है और उन्हें आयात करना पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज़ खां : हमें आशा है कि रेल की पटरियों के बारे में हमारा देश वर्ष १९६३-६४ से आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : अभी उपमंत्री महोदय ने बताया था कि १,२५,००० मीटरिक टन रेल पटरियों का आयात किया जायेगा । इनका किन देशों से आयात किया जायेगा ?

†श्री शाहनवाज़ खां : पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया से ।

†श्री तंगामणि : कुल देशीय उत्पादन में से कितनी मात्रा उन इस्पात कारखानों से मिलेगी जो अब स्थापित हो गये हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : भिलाई इस्पात संयंत्र से १.२० लाख टन पटरियां प्राप्त होंगी ।

†श्री हेडा : यह कहां तक सच है कि हमारे निर्माताओं ने यह देखा है कि हमारे देश में तैयार किया गया इस्पात उपयुक्त नहीं है अथवा वह रेल की पटरियों के निर्माण के लिये अपेक्षित किस्म का नहीं है और इसलिये पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिये या तो इस्पात का आयात करना पड़ेगा अथवा रेल पटरियों का ही आयात करना पड़ेगा ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह बात सच नहीं है । देश में निर्मित रेल पटरियां बिल्कुल अच्छी हैं ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : पोलण्ड को रेल पटरियों का यह आर्डर टेंडर द्वारा किया गया था अथवा बातचीत द्वारा ?

†श्री शाहनवाज़ खां : उन देशों में पौलैण्ड भी एक है जिनके साथ हमने रुपये में भुगतान करने का करार किया है और अतः हमने उनको आर्डर दिये ।

†श्री मुरारका : रुपये में भुगतान के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमें कोई अतिरिक्त मूल्य देना पड़ेगा अथवा मूल्य विश्व में प्रचलित वर्तमान मूल्यों की तुलना में है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : हम रेल पटरियां लाभप्रद शर्तों पर खरीदते हैं और वे देशीय रेल पटरियों से सस्ती हैं ।

†श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी : भिलाई संयंत्र के अतिरिक्त अन्य इस्पात संयंत्र रेल पटरियां क्यों नहीं बना रहे हैं ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): पटरियां केवल भिलाई के कारखाने से ही नहीं बल्कि टाटा और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से भी प्राप्त होंगी । सरकारी क्षेत्र में, रेल पटरियों के लिये केवल भिलाई की योजना है । अन्य इस्पात संयंत्रों की अन्य वस्तुओं का उत्पादक करने की योजना है ।

†श्री च० द० पांडे : मेरा यह ख्याल था कि विश्व में भारतीय इस्पात सर्वाधिक सस्ता है । अब रेलवे मंत्री का कहना है कि चेकोस्लोवाकिया से हमें जो रेल पटरियां मिलती हैं, वे भारतीय रेल पटरियों से भी सस्ती हैं । यह क्या बात है ?

†श्री जगजीवन राम : संभवतः रेलवे मंत्रालय से इस बारे में विस्तृत उत्तर की आशा नहीं की जा सकती । परन्तु तथ्य यह है जो बताया गया है । हमने काफ़ी लाभप्रद मूल्यों पर ये रेल पटरियां ली हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक चिकित्सालय

+

*१०२४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहदरा (दिल्ली) में जिस मानसिक चिकित्सालय को स्थापित करने का निश्चय किया गया था, उसे स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मानसिक चिकित्सालय, शाहदरा के निर्माण की आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति तथा उस पर होने वाले १४,९४,१०० रुपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग शीघ्र ही इस निर्माण कार्य को अपने हाथ में ले लेगा ।

श्री भक्त दर्शन : अभी बताया गया है कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि शीघ्र का क्या अर्थ है और कब तक यह कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ?

श्री करमरकर : मैं आशा करता हूं कि कुछ महीनों में ही प्रारम्भ हो जाएगा । हमने इसकी सैंक्शन इसी अगस्त के महीने में दी है । कुछ ही महीनों में कार्य शुरू हो जाएगा या यों कहिये कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : दिल्ली क्षेत्र में इस समय कितने मानसिक रोगी हैं और उनको कैसे और कहां पर रखा गया है, अस्पतालों में या अन्य कहीं पर ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे पता है, हमें इसका पता है क्योंकि आवास के लिये ऐसे मामले अक्सर आते हैं—दिल्ली में मानसिक रोगियों के लिये आवास का दबाव अधिक नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर** : कुछ समय पूर्व शाहदरा में बनाये गये साधारण अस्पताल का इस्तेमाल नहीं किया गया । उस इमारत को मानसिक आरोग्य-शाला चलाने के लिये इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता ? मैं समझती हूं कि इसका बिल्कुल भिन्न कार्य के लिये इस्तेमाल किया गया । क्या मंत्री महोदय उस इमारत को मानसिक आरोग्य-शाला अथवा ऐसे ही स्थान, जहां पर उन्हें रखा जा सके और देखभाल की जा सके, के रूप में इस्तेमाल करेंगे ?

†**श्री करमरकर** : जैसा मैंने बताया, दिल्ली में मानसिक रोग की समस्या गंभीर नहीं है । जहां तक मुझे पता है, अभी बहुत ज्यादा लोग रोगी नहीं हैं । अतः यह अस्पताल अन्य प्रयोजन के लिये था और हम वहां मानसिक रोगियों को रख कर अथवा उसको मानसिक आरोग्य-शाला बना कर, विशेषतः जब कि पर्याप्त संख्या में मानसिक रोगी भी नहीं हैं, इसके कार्यकरण में विघ्न डालना नहीं चाहते ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस इमारत का अस्पताल के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है । मेरा ख्याल यह है कि इसको कुछ बच्चों अथवा विद्यार्थियों अथवा किसी अन्य के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसमें चिकित्सा केन्द्र के लिये उपकरण भी नहीं लगाये गये हैं । अतः मेरा प्रश्न यह था कि उस इमारत के मानसिक संस्था चलाने के लिये क्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं मंत्री महोदय को स्मरण दिलाती हूं कि मानसिक अस्पताल का यह प्रश्न प्रथम पंचवर्षीय योजना में उठाया गया था और अब हम तृतीय योजना में हैं और अभी भी इसकी बात कर रहे हैं।

†**श्री करमरकर :** मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है।

†**डा० गोविन्द दास :** दिल्ली की जितनी आबादी है, उस आबादी का मिलान अगर दूसरे स्थानों से किया जाए तो उस अनुपात से दिल्ली में इस प्रकार के बीमारों की संख्या क्या अधिक है और अगर अधिक है तो इसका क्या कारण है?

श्री करमरकर : अधिक मालूम नहीं देती है। खुशनसीबी से मैंटली बीमार लोग बहुत संख्या में यहां दिखाई नहीं देते हैं। मैं आज की बात कह रहा हूं। कल क्या होगा, हमें पता नहीं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि शीघ्र का अर्थ जल्दी से जल्दी होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बनने में देर से देर कितना समय लगेगा, कब तक काम शुरू हो जाएगा?

श्री करमरकर : इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। शीघ्र का मतलब यह है कि कुछ ही महीनों से है। मैं आशा करता हूं कि काम शीघ्र शुरू हो जायेगा। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि देर कितनी होगी। समय तो कभी समाप्त नहीं होता। मैं यह नहीं बता सकता कि विलम्ब कैसे होगा अथवा कितना विलम्ब होगा। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि यह कितनी जल्दी किया जा सकता है। मुझे आशा है यह कुछ ही महीनों में आरम्भ हो जायेगा।

ग्लाइडरों का निर्माण

†*१०२६. { +श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में ग्लाइडरों के निर्माण के लिए अनुमति देने के क्या कारण है; और

(ख) क्या मेसर्स एयरोनाटिकल सर्विसेज लिमिटेड, कलकत्ता और मेसर्स एफको (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, द्वारा चलायी जा रही कम्पनियों को अपने अधीन ले लेने का सरकार का विचार है?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) ग्लाइडरों की मांग बहुत कम थी और इससे सरकारी क्षेत्र में एक नया यूनिट स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

†**श्री तंगामणि :** एक पूर्व अवसर पर भी हमें बताया गया था कि हमने ४०–५० ग्लाइडरों के लिये आर्डर दिये हैं जब कि इन दो फर्मों की क्षमता केवल १०–१५ ग्लाइडरों की है। क्या हम जान सकते हैं कि अब तक कितने ग्लाइडर बने हैं और हमें दिये गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहीउद्दीन : कलकत्ता फर्म की क्षमता प्रति वर्ष २० से २५ ग्लाइडर बतायी गयी है। बम्बई फर्म की भी इतनी ही क्षमता है। जहां तक पिछले दो वर्षों में बनाये गये ग्लाइडरों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि लगभग १० से १५ बनाये गये और वे हमें देने के लिये तैयार थे।

†श्री जोकिम आल्वा : कानपुर प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठान में कुछ जहाजों के पुर्जे जोड़े अथवा जहाज बनाये जा रहे हैं और वह ग्लाइडर भी बनाने जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके आर्डर वहां क्यों नहीं भेजे जाते ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे कानपुर प्रतिष्ठान के ग्लाइडरों का निर्माण करने के लिये तैयार के बारे में पता नहीं है। मैंने हाल में एक विज्ञापन पढ़ा था जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से ग्लाइडरों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी निर्माताओं से टेंडर मांगे गये थे।

†श्री कुन्हन : क्या इन दो फर्मों का उत्पादन हमारी वर्तमान मांग के लिये पर्याप्त है और यदि नहीं, तो सरकार औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन क्यों नहीं करती ?

†श्री मुहीउद्दीन : जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है, मांग इतनी कम है कि सरकारी क्षेत्र में इसको रखना लाभप्रद नहीं है। इस बारे में नीति सम्बन्धी विवरण में भी कुछ छूट दी गयी है।

फरक्का बांध

†*१०२७. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फरक्का में बांध बनाने के संबंध में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : परियोजना की शीघ्र, कुशल और मितव्ययीय कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण बोर्ड बनाया गया है। एक कार्यपालिका उप-समिति और एक टेक्निकल परामर्शदात्री समिति भी बनाई गई है। परियोजना के निर्माण के लिए एक प्रमुख इंजिनियर भी नियुक्त किया गया है।

फरक्का बान्ध के लिए भूमि के अधिग्रहण, शेडों, गोदामों, आदि के निर्माण के लिए सामान एकत्रित करने, दफ्तर और रिहायशी इमारतों के निर्माण की योजनाओं के प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गये हैं। फीडर नहर का अन्तिम रूप में बनाया जाना विभिन्न डिजाइनों पर विचार करके निर्धारित किया गया है और अन्य निर्माण-कार्यों के डिजाइन बनाये जा रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : २४ फरवरी, १९६१ को एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया था कि :

> "फरक्का बान्ध परियोजना का बायां प्रवाह-बन्ध तैयार हो गया है। परियोजना के बड़े बड़े अंगों का निर्माण हो रहा है।"

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना के किन बड़े अंगों का कार्य आरम्भ हुआ है और यह कैसे हो रहा है ?

†**श्री हाथी :** बड़े-बड़े अंगों के प्रारम्भिक कार्य पूर्ण हो गये हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या यह सच है कि उन्होंने १५० क्लर्कों की भर्ती करने की अनुमति मांगी थी परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी कोई अनुमति नहीं दी है। इसके फलस्वरूप वे कलकत्ता में फरक्का बान्ध के मुख्यालय में कार्य आरम्भ नहीं कर सके ?

†**श्री हाथी :** क्या मुख्यालय से उनका अभिप्राय नियन्त्रण बोर्ड से है ?

†**श्री मुहम्मद इलियास :** हां, बेलीगंज के पास ।

†**श्री हाथी :** नियन्त्रण बोर्ड यहां है। सिंचाई और विद्युत उपमंत्री उसके सभापति हैं। मैं नहीं समझता कि यहां १५० क्लर्कों की आवश्यकता है।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** कलकत्ता में कौन कार्यालय रहेगा ?

†**श्री हाथी :** वह परियोजना के कार्यान्विति-कार्य के लिए होगा ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या यह सच है कि उस दफ्तर में १५० क्लर्क न होने के कारण कार्य आरम्भ न हो सका ?

†**श्री हाथी :** मैं नहीं समझता कि यह सच है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह सच है कि कुछ बड़ा काम आरम्भ किया गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण-कार्यवाही हो रही है ? अन्य कार्य आरम्भ होने के लिए इसके समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी :** भूमि-अधिग्रहण कार्य हो रहा है। मानसून समाप्त होने पर हम बड़ा काम आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या टेक्निकल कर्मचारियों के अभाव के कारण बाधा पड़ रही है ?

†**श्री हाथी :** नहीं। हम ने प्रमुख इंजिनीयर नियुक्त कर लिया है। उन्हें कर्मचारियों के अभाव के बारे में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि प्रेसीडेन्ट अय्यूब खां की इस धमकी की दृष्टि से कि यदि भारत अकेले ही कार्य में आग बढ़ता है तो वह यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठायेगा, फरक्का बान्ध का कार्य बहुत ही धीरे हो रहा है ?

†**श्री हाथी :** नहीं, यह सच नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस नियन्त्रण बोर्ड के अतिरिक्त कोई परामर्शदाता बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हाथी :** अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु दो समितियां और हैं ।

†**श्री बी० ना० मुकर्जी :** बान्ध के निर्माण में प्रत्यक्ष अटल विलम्ब और कलकत्ता बन्दरगाह के भय की भयानकता की दृष्टि से बान्ध के निर्माण के लिए हो रही कार्यवाही के अतिरिक्त क्या नदी के बहाव को नियन्त्रित करने और बंगाल की खाड़ी में देश के रेतीले किनारों के बारे में विशेष

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसन्धान के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि अन्तरिम काल में कलकत्ता बन्दरगाह खतरे में न रहे ?

†श्री हाथी : स्थायी हल फरक्का बान्ध है । अस्थायी उपायों में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं ।

†श्रीमती रेणुका राय : श्री सामन्त के प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ने कहा था कि परामर्शदाता बोर्ड बनाने का कोई विचार नहीं है और दो अन्य समितियां हैं । क्या उन समितियों में कोई गैर-सरकारी व्यक्ति भी हैं या वे टेक्निकल समितियां हैं ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि टेक्निकल समितियों में गैर-सरकारी व्यक्ति रखने की आवश्यकता है ।

†श्री हेमबरुआ : उपमंत्री ने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दिया है कि विलम्ब प्रेसीडेन्ट अय्यूब खां की धमकी के कारण नहीं हो रही है । फरक्का बान्ध के कार्य इतने धीरे होने के क्या मुख्य कारण हैं ?

†श्री हाथी : मैं यह नहीं मानता कि कार्य धीरे हो रहा है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति

+

†*१०२६. {**श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) खास कर परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवायी की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् । राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति की रिपोर्ट १ सितम्बर, १९६१ तक पेश किये जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्रीमवतों इला पालचौधरी** : क्या मुख से ली जानेवाली कार्य निरोध औषधि के प्रभाव का, जिसका सुझाव कलकत्ता के डा० सान्याल ने दिया था, कोई निर्धारण किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : अध्ययन किया जा रहा है । कलकत्ता में प्रति वर्ष लगभग ६५० युगलों पर इसका प्रयोग किया गया था । प्रथम वर्ष, यह ९० प्रतिशत, दूसरे वर्ष ८० प्रतिशत सफल रही । अब इसकी सफलता ५० प्रतिशत स्थिर हो गई है । डा० सान्याल की गोलियां खाने वालों में आधे सफल रहते हैं । अब हमने वह औषधि दिल्ली में प्रयोग करने वालों के लिए उपलब्ध कर दी है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि इस समिति ने सुझाव दिया है कि नियमित चिकित्सा सेवा की अनुपूर्ति सहायक चिकित्सा सेवा से होनी चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में १ सहायक चिकित्सा सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : अभी उन की रिपोर्ट नहीं आई है । यह सितम्बर के आस पास आयेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं प्रशिक्षण का उल्लेख कर रही हूं ।

†**श्री करमरकर** : वे सारी समस्याओं से परिचित हैं । अपने प्रकार की यह मोरे समिति के बाद सब से बड़ी प्रथम समिति है । वे माननीय मित्र द्वारा उल्लिखित क्षेत्र सहित जीवन के सभी क्षेत्र पर विचार करेंगे ।

†**डा० सुशीला नायर** : कुछ समय पूर्व हैज़ा और चेचक को दूर करने के लिये एक रिपोर्ट दी गई थी । क्या उस रिपोर्ट की पूर्ण कार्यान्विति में विलम्ब हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट आने में विलम्ब होने के कारण विलम्ब हो रहा है या उस रिपोर्ट के लागू न होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि अधिकतर कथन गलत है । प्रथम, हम इस समिति की रिपोर्ट के कारण उस समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं कर रहे हैं । दूसरे, उस समिति की रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार किया गया था । जैसाकि मेरे मित्र को विदित होगा कि हम ने पिछले वर्ष एक जिले में, प्रत्येक राज्य में १० लाख की जनसंख्या वाले जिले में, चेचक दूर करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में एक छोटी परियोजना आरम्भ की थी । वह बहुत ही सफल रही है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इस वर्ष हमारा विचार चेचक दूर करने का कार्य जारी रखने का है । हैज़ा के बारे में, समस्या यह है कि अधिक ध्यान कलकत्ता के आस पास और पश्चिमी बंगाल में है और इसलिये वहां इस का सामना करने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा टर्बो जेट कारखाना

+

†*१०३१. { **श्री नेक राम नेगी** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल रोल्स रायस कानवे इंजनों की सफाई-मरम्मत तथा परीक्षण के लिये बम्बई में एक टर्बो जेट कारखाना स्थापित करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह कारखाना किसी फर्म या कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है ; और

(ग) इस कारखाने की कुल लागत कितनी है और उसे पूरा करने के लिये समय सीमा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निगम के इंजीनियर रोल्स रायस लि० के परामर्श से और विभिन्न साधनों से आवश्यक सामान खरीद कर नया संयंत्र बना रहे हैं ।

(ग) अनुमान है कि परियोजना की कुल लागत ४५ लाख रु० होगी और फरवरी, १९६२ अन्त तक परियोजना के पूर्ण होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में रोल्स रायस कांनवे इंजनों की सफाई-मरम्मत और परीक्षण की व्यवस्था है ; यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि हम उसका वहां विस्तार नहीं करते और बम्बई में एक अलग कारखाना बना रहे हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट में विभिन्न प्रकार के इंजनों का परीक्षण किया जाता है । परन्तु हमारी आवश्यकता सर्वथा भिन्न है और हमारी आवश्यकता अनिवार्य है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मेरा प्रश्न भिन्न था ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि इस कार्य के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० का प्रयोग क्यों नहीं किया जाये ?

†श्री मुहीउद्दीन : बंगलौर में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करना एयर इंडिया के लिये कठिन है क्योंकि हमें निश्चित रूप से विदित नहीं है कि उस कारखाने में कितने इंजनों की सफाई-मरम्मत हो सकती है । विश्व में चलने वाली सेवाओं के लिये समय पर इंजनों की सफाई-मरम्मत की एयर इंडिया को आवश्यकता है ।

ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई

†*१०३५. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्थानों को ट्रकों से कोयला पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) ट्रकों से कोयले की ढुलाई के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । अभी तो यह निश्चय किया गया है कि श्रेणी २ और उस से निम्न श्रेणी के कोयले की करनपुरा क्षेत्र से उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं तक की अबाधित ढुलाई की अनुमति दी जाये ।

अन्य कोयला-क्षेत्र में सड़क परिवहन की गुंजाइश और कोयला-क्षेत्रों के पास स्थित उद्योगों के लिये, विशेषकर बंगाल-बिहार प्रदेश में, कोयला की सड़क से ढुलाई सुविधाजनक बनाने की कार्यवाही पर परिवहन समिति ने विचार किया था । यह समिति इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने नियुक्त की थी । इसने सिफारिश की है कि पास के क्षेत्रों में इस्पात कारखानों और रेलों के अतिरिक्त अन्य किसी के भी लिये कोयले की रेल से ढुलाई पूर्णतया बन्द कर देनी चाहिये । समिति ने समस्त कोयला-क्षेत्रों के लिये कोयले के सड़क परिवहन की मात्रा ६० लाख टन निर्धारित की है । इस्पात, खान और ईंधन मंत्री इस सिफारिश की जांच कर रहे हैं ।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे अवरोध पर, जैसे मुगल सराय और अन्य स्थान जहां रेलवे को कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, कोयला की ट्रकों से ढुलाई करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह नहीं कह सकता कि हम ने इस पर किसी विशेष रूप में विचार किया है । हां, हम इस पर विचार कर रहे हैं । वस्तुतः एक योजना बनाई गई है परन्तु वह अभी अस्पष्ट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि उत्तर बिहार में ट्रकों से कोयला ढोया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि कितना कोयला ट्रकों से ढोने का इन्तिजाम है और यह कब से लागू होगा ?

श्री राज बहादुर : अभी मैं ने कहा कि करनपुरा रीजन से ग्रेड २ का और उस से नीचे की ग्रेड का कोयला उत्तर प्रदेश और नार्थ बिहार में जायगा । उस के बारे में भी कोल कमिश्नर ने कहा है कि कुछ रेग्यूलेशन होना चाहिये ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मुगलसराय से उत्तर की तरफ कोयला ढोने में रेलवे असमर्थ रही है, इसलिये मुगलसराय में कोयला इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा उत्तर भारत के अन्य भागों में भेजा जायेगा । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कोयला क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रेलों से कोयला ढोना बन्द किया जायगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने मील का लम्बा चौड़ा इलाका होगा और उस में कितने ट्रकों से कोयला ढोया जा सकेगा ।

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने कहा ६ मिलियन टन कोयला इस तरह ढोया जायगा । अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है । जो आप ने बतलाया कि मुगलसराय के उत्तर में या पश्चिम में ट्रकों से कोयला ले जाया जाय, तो उस में सब से बड़ा सवाल यह आता है कि उस की ढुलाई का खर्च ज्यादा होगा क्योंकि ट्रक से ले जाने में खर्चा ज्यादा होता है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या सरकार को विदित है कि ट्रक-भाड़ा रेलवे-भाड़ा से कहीं अधिक होगा; यदि हां, तो क्या वे ट्रक से कोयले की ढुलाई के लिये आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रहे हैं जैसाकि उन्होंने कलकत्ता से भारत के पश्चिमी भागों को जहाज़ से कोयला की ढुलाई करने के लिये किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : अभी तक हम ने कोयले की सड़क से ढुलाई के लिये आर्थिक सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है । वास्तव में, काम करने का एक उत्तम ढंग यह है कि पुलों और पुलियों को मजबूत बनाया जाये ताकि भारी ट्रक या ट्रेलर-सहित ट्रक उन सड़कों पर चल सकें । इस से सड़क परिवहन का भाड़ा काफी कम हो जायेगा ।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह दीर्घकालीन प्रस्ताव है । तब तक उन क्षेत्रों में उद्योगों को हानि होगी ।

†**श्री राज बहादुर** : यह विचारार्थ बात है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : बंगाल-बिहार पट्टी से देश के अन्य भागों को कितना कोयला सड़क द्वारा भेजा जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं सड़क से कोयले की ढुलाई के निश्चित आंकड़े नहीं दे सकता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या राजपथों की उन सहायक सड़कों को, जो कोयला-खानों को जाती हैं, सुधारने की कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : राष्ट्रीय राजपथों का उत्तरदायित्व केन्द्र का है परन्तु सहायक या छोटी सड़कों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । समय समय पर हम इस प्रश्न की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार इकबाल सिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि ट्रक से कोयले की ढुलाई पर अधिक व्यय होता है । परिवहन व्यय काफी कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह उत्तर दे चुका हूं । पहिले पुलों तथा पुलियों को मजबूत बनाना है ताकि भारी ट्रक और ट्रेलर सहित ट्रक उन सड़कों पर चल सकें ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर बिहार में ट्रकों से कोयला ले जाया जायेगा । लेकिन बरौनी से समस्तीपुर तक जो नेशनल हाईवे है वह तो उनके ही हाथ में है । उसको कब तक बना दिया जायेगा ताकि कोयला जा सके ?

श्री राज बहादुर : उसके बनाने का काम तो निरन्तर जारी रहता है । जितना पैसा और स्टाफ हमारे पास होता है उसके मुताबिक उसको जारी रखते हैं ।

डीप-फ्रीजिंग द्वारा हृदय की गति को रोकना

†*१०३६. श्री रघुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लन्दन के अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के प्रयोजन के लिए एक दक्षिणी अफ्रीकी प्रशिक्षित सर्जन डाक्टर डोनाल्ड रोस द्वारा निकाले गये; डीप फ्रीजिंग के तरीके से हृदय की गति को रोकने की क्रिया काफी सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह पद्धति भारत में भी लागू की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) और (ख). डीप फ्रीजिंग के तरीके से हृदय गति को रोकना भारत में कुछ संस्थाओं में पहिले से ही प्रयोग में है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रयोग सफल रहा है ?

†श्री करमरकर : यह प्रयोगावस्था में नहीं है । यह तो वस्तुतः किया जा रहा है । कुछ मृत्यु हो गई हैं । भारत में भी इसका उचित मामलों में प्रयोग किया जा रहा है ।

†श्री नंजप्प : देश के कितने अस्पतालों में हृदय की शल्य चिकित्सा होती है ?

†श्री करमरकर: मेरा ख्याल है कि दिल्ली में इरविन और सफदरजंग अस्पतालों में और बम्बई तथा कलकत्ता के बड़े अस्पतालों में यह प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है ।

यमुना जल विद्युत् परियोजना

\+

†*१०३७. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में यमुना जल विद्युत् परियोजना के दूसरे दौर की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को शुरू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्माण-कार्य कब शुरू होगा; और

(घ) परियोजना के पहले दौर के विभिन्न प्रक्रमों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) परियोजना की अवस्था--२ के निर्माण-कार्य सम्बन्धी रिपोर्ट मिल गई है।

(ख) रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) तीसरी योजना के अन्त में कार्य आरम्भ करना संभव है।

(घ) अवस्था--१ का प्रारम्भिक कार्य हो रहा है। विद्युत्-जनक यंत्रों और सामग्री के संभरण के टेन्डर आ गये हैं और आशा है कि शीघ्र ही उनके क्रमादेश दे दिये जायेंगे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : प्रतिवेदित रूप में योजना का क्या व्यौरा है और रिपोर्ट को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी** : अवस्था--२ का व्यौरा है--नदी पर मार्ग परिवर्तन बांध, नौ मील लम्बी तिकोनी सुरंग और बिजली घर जिनकी कुल अधिष्ठापित जनन क्षमता २६० मेगावाट होगी।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, इस योजना के प्रथम चरण (पहली स्टेज) के बारे में बतलाया गया है कि काम शुरू हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि यह पहली स्टेज का काम देर से देर कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह इस योजना काल में पूरा हो जायेगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यमुना-जल-विद्युत् परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है ?

†**श्री हाथी** : प्रथम अवस्था पर १२.१२ करोड़ रु० व्यय होंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हुगली नदी के तल से मिट्टी निकालने का काम

†*१०२५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी के तल से मिट्टी निकालने के काम पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती है; और

(ख) क्या निकाली हुई मिट्टी को किनारे पर फेंकने के लिए किसी योजना पर विचार हो रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) हुगली नदी की नौवहन-योग्य धारा से मिट्टी निकालने पर वार्षिक व्यय ४५ लाख रु० से ४८ लाख रु० तक रहा है। नौवहन-योग्य धारा से मिट्टी निकालने के अतिरिक्त, पत्तन के डाक और जेटी वर्क्स, लाक एन्ट्रेन्सेज़ और कुछ अन्य स्थानों पर भी मिट्टी निकालनी पड़ी है। यदि मिट्टी निकालने के इन कार्यों और बन्दरगाहों में मिट्टी निकालने की मशीनें रखने तथा टूट फूट का सारा व्यय भी सम्मिलित किया जाये, तो मिट्टी निकालने का व्यय लगभग एक करोड़ रु० होगा।

(ख) हां। नया "सकशन ड्रेजर--चुरनी" में निकाली गई मिट्टी को किनारे पर फैंकने की मशीन में लगी है। इस प्रविधि के सफल कार्यान्वित होने के लिए आयुक्तों को हुगली के दोनों किनारों पर भूमि लेनी होगी और पाइप लाइन लेनी होगी। एक उचित योजना बनानी पड़ेगी। यह विचाराधीन है।

पशुओं के लिये जीवन बीमा

†*१०२८. { **श्री दामानी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में पशुओं के लिए जीवन बीमा चालू करने के विषय में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने पशुओं के लिए जीवन बीमा की योजना अपनी राज्य योजनाओं में सम्मिलित कर ली है। योजना का व्यौरा तैयार किया जा रहा है। पंजाब और महाराष्ट्र सरकारों ने पशुओं के लिए जीवन बीमा योजना को अपनी राज्य-योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया है।

हेलाकंडी स्टेशन के पास रेल की पटरी उखाड़ना

***१०३०. श्री खुशवक्त राय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछार जिले में हेलाकंडी स्टेशन पर २८ मई, १९६१ को दो स्थानों पर रेल की पटरी उखाड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) २९-५-६१ को (न कि २८-५-६१ को) हेलाकंडी स्टेशन के डाउन आउटर सिगनल के पास एक जगह रेल की पटरी में तोड़-फोड़ पायी गयी क्योंकि वहां से दो जोड़े फिशप्लेट हटा दिये गये थे।

(ख) पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा १२६-बी के अधीन मामला दर्ज किया है। मामले की जांच हो रही है। अब तक १० बाहरी आदमी गिरफ्तार किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूल के बच्चों को दूध की सप्लाई

†*१०३२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के बच्चों को दूध देने के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) ने भारत को कितना-कितना दुग्ध चूर्ण दिया;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा का उपयोग किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने चालू वर्ष में भारत को नियत की गयी मात्रा कम कर दी है; और

(घ) नियत की गयी मात्रा पूरी-पूरी क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख).

वर्ष	नियत मात्रा पौंडों में	संभरित तथा प्रयुक्त मात्रा पौंडों में
१९५८–५९	१,४७,४४,२२४	१,११,७८,६३२
१९५९–६०	१,४७,८०,४६०	९८,२६,०१८
१९६०–६१	१,१७,३३,७४४	६८,३९,३३५

(ग) नहीं। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने १९६१–६२ के वर्ष के लिए आवेदित मात्रायें नियत कर दी हैं।

(घ) राज्य सरकारों के पास अपर्याप्त प्रशासी व्यवस्था के कारण।

बिजली परियोजनाओं की योजनाओं को कार्यान्वित करना

†*१०३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में कई बार बिजली बन्द हो जाती है और बिजली की भारी कमी है, क्या बिजली परियोजनाओं को कुशलता से कार्यान्वित करने तथा लाभ पहुंचाने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की स्थूल रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन अभी और कितने समय तक बिजली की कमी सम्भवतः जारी रहेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में बिजली चली जाने की अनेक घटनायें नहीं हुई हैं। बिजली के सम्भरण में रुकावट कलकत्ता और दिल्ली में जनक यन्त्रों में कुछ अदृश्य कठिनाइयों और प्रेषण लाइनों की टावरों के टूटने के कारण हुई। केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बिजली परियोजनाओं की कार्यान्विति और उनके लाभ के वितरण का निश्चित प्रोग्राम है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी योजना काल में बिजली में ६.६६ मेगावाट की वृद्धि करने, ११ और अधिक क्लोवाट (के० वी०) की ६६,००० सर्किट मील लम्बी प्रेषण लाइनों का निर्माण, और २०,००० गांवों में बिजली लगाने का विचार है ।

बिजली जनन का निश्चित प्रोग्राम निम्नलिखित है :—

वर्ष	वर्ष में वृद्धि (१० लाख के० वी०)	वर्ष के अन्त तक अधिष्ठापित जनन क्षमता का योग (१० लाख के० वी०)
१९६१–६२	०.६०	६.३०
१९६२–६३	०.७३	७.०३
१९६३–६४	१.०५	८.०८
१९६४–६५	२.०७	१०.१५
१९६५–६६	२.५४	१२.६९

(ग) आशा है कि देश के विभिन्न भागों की बिजली की आवश्यकता तीसरी योजना के अन्त तक काफी पूरी हो जायेगी ।

चेचक अग्रिम परियोजना समिति की रिपोर्ट

†*१०३४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेचक अग्रिम परियोजनायें समिति की रिपोर्ट सरकार को पेश की गयी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस रोग के निवारण के लिये क्या उपाय किये जाने वाले हैं ;

(ग) इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) चेचक निवारण कार्यक्रम के लिये भारत को फ्रीज-ड्राइड वैक्सीन की कितनी आवश्यकता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय चेचक निवारण प्रोग्राम आरम्भ करने का विचार है ।

(ग) इस योजना के लिये तीसरी योजना में ६८८.९८ लाख रु० की व्यवस्था की गई थी ।

(घ) फ्रीज-ड्राइड वैक्सीन की कुछ आवश्यकता, यदि समूचे निवारण प्रोग्राम के लिये इसी वैक्सीन का प्रयोग किया जाये, लगभग ४० करोड़ खुराकों की आवश्यकता होगी ।

†मूल अंग्रेजी में

मानसिक स्वास्थ्य मंत्रणा समिति

†*१०३८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के तत्वावधान में मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रणा समिति स्थापित करने का निश्चय कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक मानसिक स्वास्थ्य मंत्रणा समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं:—

१.	संघ स्वास्थ्य मन्त्री	सभापति
२.	राज्य के दो स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
३.	सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय (उनकी अनुपस्थिति में उप-सचिव)	सदस्य
४.	स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक	सदस्य
५.	शिक्षा मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
६.	मानसिक संस्थाओं के प्रभारी तीन मानसिक विशेषज्ञ	सदस्य
७.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
८.	भारतीय चिकित्सा संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
९.	साईचियाट्रिस्ट्स के व्यवसायिक संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
१०.	दो गैर-सरकारी सदस्य	सदस्य
११.	स्वास्थ्य सेवाओं के सह/उप निदेशक	सचिव।

गांव के डाकिये को दैनिक भत्ता

†*१०३९. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव के उन डाकियों को जो अपने काम पर एक दिन से अधिक के लिये मुख्य कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, दैनिक भत्ता देने के बारे में, जैसा कि दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी, इस बीच आदेश जारी किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या १ जुलाई, १९५९ से देय बकाया रकमों का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका भुगतान कब किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). कुछ मामलों में बकाया का भुगतान कर दिया गया है और अन्य मामलों में बकाया का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पालम हवाई अड्डा

†*१०४०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पिछले दो महीनों से इन्स्ट्रूमेन्ट लैन्डिग पद्धति चालू नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्स्ट्रूमेन्ट लैंडिग पद्धति की सुविधायें न होने के कारण विमानों के उतरने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पालम में इन्स्ट्रूमेन्ट लैंडिग पद्धति ९ अप्रैल, १९६१ से ७ जुलाई, १९६१ तक लागू नहीं हुई ताकि पुरानी पद्धति के स्थान पर आधुनिक पद्धति लाई जा सके।

(ग) सामान्य मौसम में जहाज उतरने पर प्रभाव नहीं पड़ता। खराब मौसम में, पांच अवसरों पर जहाजों को अन्य हवाई अड्डों पर भेजा गया।

(घ) नयी इन्स्ट्रूमेंट लैन्डिग पद्धति ८ जुलाई, १९६१ से लागू हुई।

सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था

†*१०४१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६१ के दूसरे सप्ताह में श्रीनगर में आयोजित राज्य परिवहन उपक्रम सम्मेलन में सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए जबलपुर में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था स्थापित करने का निश्चय किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है ; और

(ग) उसकी वित्तीय समस्यायें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जबलपुर में सड़क परिवहन के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था बनाने की सिफारिश राज्य परिवहन उपक्रमों की कान्फ्रेन्स में की गई थी जो जुलाई, १९६१ के दूसरे सप्ताह में श्रीनगर में हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). योजना का पूरा ब्यौरा तैयार करने और योजना की कार्यान्विति के लिए आवश्यक विदेशी सहायता की मात्रा की जांच करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की गई है । उप-समिति की रिपोर्ट आने पर भारत सरकार इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

गंडक और कोसी परियोजनायें

†*१०४२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गंडक परियोजना और कोसी परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल की मदद कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की मदद दी जाने वाली है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६**]

क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का हटाया जाना

†*१०४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री पंजाब के लिए संशोधित क्षेत्रीय योजना के बारे में ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल या किन्हीं दूसरे अनाजों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने और अन्त में एक ही क्षेत्र कायम करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) तथा (ख). गेहूं के आवागमन पर ५ अप्रैल, १९६१ से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उस दिन से ही सारे देश को गेहूं का एक ही क्षेत्र बना दिया गया था । ये क्षेत्रीय प्रतिबन्ध आजकल चावल, धान एवं उनके उत्पादों पर ही हैं । अभी इन प्रतिबन्धों को इस स्थिति में हटाना वांछनीय नहीं है ।

टेलीफोन कारखाना

†*१०४४. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री सरजू पांडेय :
श्री न० म० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टलीफोन तैयार करने वाला एक और कारखाना चालू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) तथा (ख) . यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

रजिस्ट्री आफ पैथालाजी

†२६२४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में रजिस्ट्री आफ पैथालाजी (व्याधिकी संग्रहालय) स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् अब रजिस्ट्री आफ पैथालाजी की स्थापना के सम्बन्ध में ब्यौरे बना रही है कि इनकी संख्या क्या हो । इनको किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाय । इनके लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की जाय ।

हावड़ा-मुगलसराय लाइन का विद्युतीकरण

†२६२५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय तथा हावड़ा के बीच की रेलवे लाइन पर कितने मील तक बिजली लगा दी गई है ; और

(ख) इस अनुभाग पर १९६१–६२ में कितने मील की रेलवे लाइन पर बिजली लगाई जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३९० रूट (मार्ग) किलोमीटर/१०७३ ट्रैक (पटरी) किलोमीटर ।

(ख) १९६१–६२ की शेष अवधि में लगभग ७९ रूट किलोमीटर/१८७ ट्रैक किलोमीटर पर बिजली लगाये जाने की आशा है ।

तीसरी योजना में पंजाब के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२६२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनायें मिली हैं ;

(ख) क्या ये स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनके ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पंजाब में बाढ़ नियंत्रण की कई योजनायें लागू हैं इनके अतिरिक्त पंजाब सरकार का विचार ड्रेनेज तथा पानी इकट्ठा न होने देने की योजनायें तीसरी योजना में शामिल करने का है। पहले से चालू योजनाओं तथा तीसरी योजना की नई योजनाओं के लिए १५०१ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि राज्य सरकार से निश्चित योजनायें नहीं मिली हैं।

रेलवे पर आम हड़ताल

†२६२७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर पिछली हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने कर्मचारी पदच्युत कर दिए गए तथा कितने अभी भी मुअत्तिल हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : उत्तर रेलवे की अन्तिम स्थिति यह है :

पदच्युति	१०
सेवा से निकाल देना	३*
मुअत्तिल	

*आकस्मिक मजदूर

आर० एम० एस० के बड़े डिवीज़न

†२६२८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ वेतनक्रम अधिकारियों के अधीन आर० एम० एस० के बड़े डिवीज़न बनाने की सरकार ने अब जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). आर० एम० एस० डिवीज़नों का पुनर्गठन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है परन्तु अब वरिष्ठ वेतनक्रम के पद हैं ही नहीं।

यूगोस्लाविया से जहाज

†२६२९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाव सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि वह रुपये के आधार पर भारत के लिये १०० लाख डालर के जहाज बनाने को तैयार है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). भारतीय नौवहन समवाय यूगोस्लाव सरकार से यूगोस्लाविया से मिलने वाले ऋण के अधीन उसी देश में तीन से चार जहाजों के, रुपये के भुगतान के आधार पर निर्माण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह मालूम हुआ है कि यद्यपि यूगोस्लाविया में बनने वाले जहाजों के ढाचें आदि के बारे में समझौता हो चुका है परन्तु जहाजों के निर्माण मूल्य के बारे में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

अण्डे के पाउडर के निर्माण के लिये संयंत्र

†२६३०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री वें० ईयाचरण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में अण्डे के पाउडर के निर्माण के लिये संयंत्र स्थापित करने की योजना के बारे में सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). प्रारम्भिक रूप से अंडे का पाउडर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है। इस पर अनुमानित व्यय ३.५ लाख रुपये होगा इस योजना को १९६३–६४ में शुरू करने का विचार है।

बृहद कलकत्ता के लिए जलसंभरण तथा जलनिस्सारण योजना

†२६३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहद कलकत्ता के जल संभरण तथा जलनिस्सारण सम्बन्धी योजना के लिये वित्तीय व्यय का हिसाब लगा लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सहकारी समितियां

†२६३२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में १९६०–६१ में कितनी सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में १९६०–६१ (१ जुलाई, १९६० से ३० जून, १९६१ तक) १९५ सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया था।

छपरा कचहरी पर गाड़ी की टक्कर

†२६३३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या रेलवे मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८८ के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा कचहरी स्टेशन पर गाड़ी की टक्कर के कारणों की जांच हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). जी हां। संख्या २१७ अप यात्री गाड़ी उसी लाइन पर ले ली गई जिस पर पहले से ही दूसरी मालगाड़ी खड़ी थी। ऐसा मनुष्य की गलती से हुआ था।

कुरडुवाडी–मिराज–लातूर लाइन

†२६३४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्यय १८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरडुवाडी-मिराज-लातूर छोटी लाइन के सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे वर्कशापों के कर्मचारियों को अधिक समय तक किये गये काम के लिए मजूरी की गणना

†२६३५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **रेलवे** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों के कर्मचारियों के लिये कारखाना अधिनियम के अधीन अधिक समय तक किये गये काम की मजूरी की गणना करते समय मकान किराया भत्ता शामिल करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ।

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है । विलम्ब का यह कारण है । इसको अधिक काम की मजूरी की गणना करते समय मकान का किराया भत्ता शामिल करने के लिये वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल कर दिया गया था ।

दिल्ली-जोधपुर मेल में कन्डक्टर

†२६३६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उतर रेलवे पर दिल्ली से जोधपुर तथा जोधपुर से दिल्ली तक के एक लिये कन्डक्टर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उतर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे स्टेशनों पर सेफ डिपोजिट वोल्ट

†२६३७. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के बम्बई और पूना स्टेशनों पर खोले गये सेफ डिपोजिट वोल्ट्स का ३० जून, १९६१ तक कितने लोगों ने लाभ उठाया ;

(ख) क्या १९६१-६२ में भारतीय रेलवे के कुछ अन्य स्टेशनों पर सेफ डिपोजिट वोल्ट खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो वह स्टेशन कौन कौन से हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) बम्बई वी० टी० तथा पूना स्टेशनों पर सेफ डिपोजिट लाकर्स की स्थापना के बाद से उसका २८९ तथा २० व्यक्तियों ने लाभ उठाया है ।

(ख) और (ग). २३ स्टेशनों पर सेफ डिपोजिट लाकर्स लगाये जा चुके हैं तथा भारतीय रेलवे के टाटा नगर तथा सिलीगुड़ी जंकशन, दो और स्टेशनों पर इनको लगाया जा रहा है । इससे अधिक स्टेशनों पर लाकर्स की व्यवस्था करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

†२६३८. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में मध्य रेलवे पर बिजली आदि की कितनी मूल्य की रेलवे सम्पत्ति चोरी गई; और

(ख) सरकार ने उपरिलिखित अवधि में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मध्य रेलवे पर १९६० में लगभग ४,३२,५७९ रुपये की रेलवे सम्पत्ति चोरी गई ।

(ख) निम्नलिखित सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है :—

१. आक्राम्य स्थानों के ट्रैक पर सशस्त्र सैनिकों द्वारा गश्त ।

२. उपनगरीय रेलगाड़ियों पर सशस्त्र सैनिकों द्वारा पहरा ।

३. डिपो तथा शैड में डिब्बों पर पहरा ।

४. चोरी आदि की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में कर्मचारियों द्वारा पहरा ।

५. महत्वपूर्ण जंकशन स्टेशनों पर संयुक्त रोकथाम ।

६. अपराधियों तथा चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों पर ध्यान रखने के लिए विशेष जांच कर्मचारियों का लगाया जाना ।

७. जिन मामलों में संभव हो उनमें रेलव भांडार (अवैध कब्जा) अधिनियम, १९५५ के अधीन अभियोग लगाया जाना ।

रेलवे स्टेडियम

†२६३९. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में कितने स्डेडियम बनाये गये हैं ;

(ख) उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) तीसरी योजना में कहां कहां पर कितने स्टेडियम बनाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख) यह जानकारी अनुबन्ध में दी जाती है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७।]

रेलवे स्टेशनों पर प्रतिकर भत्ता

†२६४०. श्री हेमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलाब, पंजाब, पंचसखी, बैजनाथ पपरौला, बैजनाथ मंदिर तथा आहजू स्टेशनों पर प्रतिकर भत्ता देने की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्टेशनों पर निवास स्थिति वैसी ही है जैसी पालमपुर पंजाब तथा जोगेन्द्रनगर की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरिलिखित स्टेशनों पर यह किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) स्थानीय प्रतिकर भत्ता देने के बारे में सरकार की नीति यह है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानों के वर्गीकरण के अनुसार ही भत्ता दिया जाये । इसीलिए केन्द्रीय सरकार अलग से कोई विशेष जांच नहीं करती है कि किस पर्वतीय स्टेशन पर प्रतिकर भत्ता दिया जाये । हाल में ही मालूम हुआ है कि पंजाब सरकार ने पालमपुर की ५ मील की परिधि में नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिकर (पर्वतीय) भत्ता देना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब केन्द्रीय सरकार भी पंचसखी तथा सलाह पंजाब की ५ मील की परिधि में रहने वाले अपने कर्मचारियों को यही भत्ता देने के बारे में विचार कर रही है।

(ख) राज्य सरकार ने अन्य स्टेशनों को प्रतिकर भत्ता दिए जाने योग्य नहीं समझा है इसलिए बैजनाथ पपरोला, बैजनाथ मंदिर तथा आहजू की निवास स्थिति की पालमपुर पंजाब तथा जोगेन्द्रनगर से तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला कांगड़ा (पंजाब) में परिवार नियोजन केन्द्र

†२६४१. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक जिला कांगड़ा (पंजाब) में किन किन स्थानों पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिला कांगड़ा में परिवार नियोजन केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर खोले गये थे :—

१. धर्मशाला (असैनिक अस्पताल से संबद्ध)

२. हमीरपुर (प्रायमरी हैल्थ सैंटर से संबद्ध)

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को दी गई वित्तीय सहायता तथा अनुदान

†२६४२. **श्री हेमराज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब के पहाड़ों में सड़क तथा पुल बनाने और परिवहन का विकास करने के लिये पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिया था ; और

(ख) किन मुख्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता तथा अनुदान दिया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजपथ के अतिरिक्त पुलों और सड़कों के लिए ७२.३० लाख रुपया।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८ ।]**

स्पिति घाटी में खच्चरों का रास्ता

†२६४३. **श्री हेमराज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पिति घाटी का प्रांग दर्रा स्पिति को काश्मीर से मिलाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान खच्चरों के रास्ते को चौड़ा करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां । प्रांग दर्रे से पंजाब राज्य के डोकपो फिर से, उमदुंग और नारदू सुभदों होते हुए स्पिति से काश्मीर तक खच्चरों का रास्ता है ।

(ख) वर्तमान खच्चरों के रास्ते को चौड़ा करने के लिए पंजाब सरकार ने इस मंत्रालय से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है ।

शकूरबस्ती में ऊपरी पुल

†२६४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शकूरबस्ती में एक ऊपरी पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) शकूरबस्ती में पैदल ऊपरी पुल बनाने का काम ७–२–१९६१ को पूरा हो गया है ।

(ख) लगभग १,९५,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पशुपालन तथा मुर्गीपालन योजनायें

†२६४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को पशुओं तथा मुर्गियों की नस्ल सुधारने के लिए किस प्रकार की सहायता दी थी ;

(ख) उसी अवधि में केन्द्रीय सहायता से किस प्रकार की योजनायें क्रियान्वित की गईं ; और

(ग) उन्हीं योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना आवंटन किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुशपालन तथा मुर्गीपालन की ६ योजनाओं पर २९.५८ लाख रुपया व्यय किया था । उनको केन्द्रीय सरकार ने आवर्त्तक व्यय का २५—७५ प्रतिशत का अनुदान तथा अनावर्त्तक व्यय का २५ प्रतिशत ऋण की वित्तीय सहायता दी है । प्रत्येक योजना में दिए गए व्यय तथा उसकी प्रगति दिखाने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९।]**

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब को अन्तिम रूप में आवंटित अधिकतम राशि के आधार पर राज्य सरकार ने पशु तथा मुर्गी के विकास के लिए पहले से चालू तथा नई योजनाओं के लिए १५३.२८ लाख रुपये की व्यवस्था की है । अब तक इन योजनाओं के लिए तीसरी योजना में किस-प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जावेगी, इसका निश्चय नहीं किया गया है ।

ढोरों का रोग

†२६४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष ढोरों के रोग के निवारण के लिए पंजाब को किस प्रकार की सहायता दी ;

(ख) उस अवधि में राज्य में केन्द्रीय सहायता से किस प्रकार योजनाओं को कार्यान्वित किया गया ;

(ग) इन्हीं योजनाओं के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि दी जा जा रही है।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य रिंडरपेस्ट रोग की ओर निर्देश कर रहे हैं। रिंडरपेस्ट के निवारण के लिए (अधिकाधिक पशुओं को टीके लगाने और टीके तैयार करने) भारत सरकार ने पंजाब को द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†मूल अंग्रेजी में

काल में वित्तीय सहायता दी है :—

वर्ष	सहायता की राशि
	रुपये
१९५६–५७	१,४७,३००
१९५७–५८	१,३४,०००
१९५८–५९	२,४६,०००
१९५९–६०	२,९४,०००
१९६०–६१	२,४१,०००
कुल	१०,६२,३००

इसके अतिरिक्त कुछ साज सामान जैसे कि रेफ़्रिजेरेटर, जमाने के यंत्र और गाड़ियां भी इस कार्य के लिए दी गई हैं।

(ख) पंजाब राज्य में रिंडरपेस्ट निवारण योजना संतोषजनक रूप में चल रही है। योजना के आरम्भ से मार्च, १९६१ तक ७६.५७ लाख पशुओं को टीके लगाये गये हैं।

(ग) ४.६३ लाख रुपये।

जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा

†२६४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिवर्ष पंजाब राज्य को जंगली जानवरों के कल्याण और रक्षा के लिए किस प्रकार की सहायता दी;

(ख) उस अवधि में राज्य में केन्द्रीय सहयता से योजनाओं की कार्यान्विति किस प्रकार हुई ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिए कितनी धन राशि रखी गई ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० श० देशमुख)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय वित्तीय सहायता का स्वरूप जानवरों के जीवन की रक्षा सम्बन्धी पर ५० प्रतिशत तक अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देता रहा है। किन्तु पंजाब सरकार ने जानवरों के जीवन रक्षा सम्बन्धी योजनाओं के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में 'जंगली जानवरों की रक्षा' सम्बन्धी योजनाओं के लिए ४ लाख रुपये की राशि रखी गई है। इस राशि में केन्द्र और राज्य दोनों के हिस्से शामिल है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता का स्वरूप अभी अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय तक रेल लाना

२६४८. **श्री का० भे० मालवीय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह सुझाव आया है कि दिल्ली में उपनगरीय रेलवे को केन्द्रीय सचिवालय तक बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। लेकिन दिल्ली और इसके आस-पास यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरी आयोजना में दिल्ली-मथुरा लाइन को शकूरबस्ती से और शकूरबती को बादली (रिंग रेलवे) से मिलाने के लिए दिल्ली क्षेत्र में माल-परिहार लाइन बनाने का अनुमोदन दिया गया है।

उड़ीसा में काली मिर्च और इलायची की खेती

†२६४९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में काली मिर्च और इलायची पैदा करने की संभावनायें की जांच का कोई परिणाम निकला है ;

(ख) क्या उड़ीसा में इलायची पैदा करना उपयुक्त समझा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में इलायची की कृषि के लिए कोई योजनायें तैयार की गई हैं ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) तथा (ख). जांच की प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार उड़ीसा में इलायची पैदा करने की कुछ गुंजायश है। काली मिर्च की कृषि की संभावना अभी प्रतीत नहीं हुई।

(ग) राज्य सरकार से इलायची के विकास के कोई योजना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई।

भारत में गेहूं की खपत

†२६५०. **श्री दी चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय प्रति व्यक्ति गेहूं की खपत कितनी है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में देश में गेहूं की कुल अनुमित खपत और उत्पादन क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Goods avoiding lines.

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) आज की परिस्थितियों में जब खाद्यान्न पर नियंत्रण नहीं है विभिन्न खाद्यान्नों के विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बगैर देश में गेहूं की प्रतिव्यक्ति खपत का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किन्तु बीज के लिए गेहूं रखने और अनाज के नष्ट हो जाने आदि के बारे में काफी छूट देने के बाद और गेहूं के आयात को ध्यान में रखते हुए हिसाब लगाया गया है कि प्रतिव्यक्ति खपत के लिए लगभग २ आऊंस गेहूं प्रति दिन उपलब्ध है। इस पर बल देने की आवश्यकता है कि यह देश में गेहूं की औसत व्यक्ति उपलब्धि है। कुछ क्षेत्रों में गेहूं की खपत बहुत ही कम होती है किन्तु जिन क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूं खाया जाता है वहां प्रतिव्यक्ति खपत बहुत अधिक है। अतः भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गेहूं की वास्तविक प्रतिव्यक्ति खपत भिन्न-भिन्न है।

(ख) १९५९–६० में अर्थात् मार्च अप्रैल १९६० में काटी गई फसल का उत्पादन १००.९ लाख टन है।

देश के उत्पादन और विदेशी आयात से १९६०–६१ में गेहूं की खपत के लिए उपलब्ध मात्रा का मोटे तौर पर अनुमान ११७.४ लाख टन है।

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन

†२६५२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक आंध्र प्रदेश में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) १९६१–६२ में इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

एक्सप्रेस मार्ग

†२६५३. **श्री सम्पत्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपने राज्यों में एक्सप्रेस मार्गों के लिए इच्छा प्रकट की है और इसके लिए प्रस्थापनायें भेजी हैं ;

(ख) कौन सी प्रस्थापनायें स्वीकृत की गई हैं और किन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और मद्रास।

(ख) किसी एक्सप्रेस मार्ग परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गई। १९५५ में बम्बई निगम क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेस मुख्यमार्गों की दो परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी और उनका कार्य हो रहा है। इन परियोजनाओं के स्वरूप और परिमाप एक्सप्रेस मार्गों में लागू स्वरूप और परिमाप से निम्न प्रकार के हैं।

†मूल अंग्रेजी में

रामपुरम् में समुद्रतट पर मछुवे

†२६५४. **श्री सम्पत्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास ने रामपुरम समुद्र तट का प्रयोग करने वाले मछुओं को उसे खाली कर देने का आदेश दिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि मछवाहों के परिवार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से इस तट का प्रयोग कर रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) यह भूमि पत्तन न्यास की है। प्राचीन काल में इस तट के भाग किराये पर दिये गये थे। कोई मछुवे इस तट को नावें रखने के लिये प्रयोग करते रहे हैं किन्तु कोई भी वहां रहता नहीं है। पहले दिनों में पत्तन न्यास ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उसकी सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया गया है क्योंकि इसे किसी विशेष प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु अब पत्तन न्यास को अपने प्रयोजन के लिये तट की आवश्यकता है।

दक्षिण रेलवे पर आम हड़ताल

†२६५५. **श्री सम्पत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० की आम हड़ताल में और उस के परिणाम स्वरूप दक्षिण रेलवे में जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था उनकी कितनी अपीलें ३१ जुलाई, १९६१ को विचाराधीन थीं ; और

(ख) कितनी अपीलें अन्तिम रूप में रद्द कर दी गई हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कोई नहीं।

(ख) पांच ।

मद्रास में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

†२६५६. **श्री सम्पत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने उन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का व्योरा दिया है जिन्होंने वे १९६१-६२ में आरम्भ करना चाहते हैं, और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली-काठगोदाम रेल किराया

†२६५७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से काठगोदाम के लिए एक्सप्रेस गाड़ी का रियायती टिकट छपे हुये किराये अर्थात् २० रुपये ९८ नये पैसे पर दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या काठगोदाम पहुंचने पर टिकट चेकर और टिकट कलेक्टर यह कह कर कि टिकट पर ५२ नये पैसे कम मूल्य लगाया गया है, जुर्माने सहित १ रुपया ४ नये पैसे वसूल कर लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उत्तर रेलवे के टिकटों के मामले में ऐसी बातें प्रायः होती हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सामान्यता दिल्ली से काठगोदाम जाने वाले यात्री दिल्ली से बरेली तक लखनऊ एक्सप्रेस द्वारा और उस से आगे कुमाऊं एक्सप्रेस द्वारा जाते हैं। बाद की यात्रा के लिये साधारण गाड़ी का किराया लिया जाता है। इसलिये एक्सप्रेस/साधारण टिकट जारी किये जाते हैं। किन्तु कुछ यात्री बरेली से नैनीताल एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करते हैं जिस पर एक्सप्रेस / माल का किराया लिया जाता है। इसलिए ऐसे यात्रियों से साधारण गाड़ी और एक्स्प्रैस / माल गाड़ी के किराये का अन्तर वसूल किया जाता है और साथ ही अधिक वसूल की जाने वाली राशि के बराबर और राशि वसूल की जाती है जो कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये १ रुपया ४ नये पैसे बैठता है।

दिल्ली में उत्तर रेलवे के टिकट क्लर्कों को हिदायत की गई है कि वे यात्रियों को चेतावनी दे दें कि यदि वे कुमायूं एक्सप्रेस की बजाय नैनीताल एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करना चाहते हों तो वे सीधी एक्सप्रेस टिकटें खरीदें।

१ ' ६६१ से एक्सप्रेस/साधारण द्वितीय श्रेणी की पहाड़ी प्रदेश के लिये वापसी टिकट का किराया २१.०० रुपये है। उससे पूर्व किसी गलती के कारण ये टिकटें २० रुपये ९९ नये पैसे की दी जाती थीं।

(घ) उत्तर रेलवे को अन्य किसी ऐसे उदाहरण का पता नहीं लगा है।

दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य योजना

†२६५८. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और दिल्ली में चालू की जाने वाली अथवा अब तक चालू की गयी स्कूल स्वास्थ्य योजना का ठीक स्वरूप क्या है और उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ;

(ख) कितने स्कूलों और कितने छात्रों के लिये यह योजना चलाई गई है,

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की गई और कितनी राशि की व्यवस्था तृतीय पंच वर्षीय योजना में की गई; और

(घ) क्या योजना में स्कूल के बच्चों के बीमार हो जाने पर उनके उपचार का कार्यक्रम सम्मिलित है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) स्कूल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केवल दरियागंज और जामा मस्जिद क्षत्रों के सब स्कूल आते हैं इसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(एक) प्रवेश के समय बच्चे की डाक्टरी जांच।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) मामूली उपचार ।

(तीन) दांतों का उपचार,; और

(चार) आंखों का उपचार ।

नई दिल्ली नगर पालिका का क्षेत्र

स्कूल स्वास्थ्य सेवा द्वारा इस समय नगरपालिका स्कूलों के केवल ८,००० बच्चों और अन्य स्कूलों के ७००० बच्चों के लिये कार्य किया जाता है ।

विचार है कि इसके अन्तर्गत ५५ स्कूलों (४१ नगरपालिका के और १४ अन्य) के सारे २६,००० छात्र लाये जायेंगे । सारे क्षेत्र के प्रायः समान पांच खण्डों में बांटा जायेगा और प्रत्येक खण्ड पर एक स्कूल चिकित्सा अधिकारी पर्यवेक्षण के लिये होगा । एक क्लिनिक के अधीन एक या दो उप क्लिनिक होंगे । प्रत्येक खण्ड में निम्नलिखित आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण किया जायेगा :—

(एक) प्रत्येक खण्ड में छात्रों की संख्या प्रायः बराबर हो ।

(दो) स्कूल चिकित्सा अधिकारी सुगमता से प्रत्येक स्कूल में पहुंच सकें ।

(तीन) स्कूलों में बालक बालिकाओं की गणना के अनुसार ।

(चार) सारी योजना में लड़कों के लिये ३ स्कूल चिकित्सा अधिकारी, लड़कियों के लिये दो स्कूल चिकित्सा अधिकारी होंगे ।

(ख) दिल्ली नगर निगम क्षेत्र

योजना में ७३ स्कूल (लड़कियों के ३६ स्कूल और लड़कों के ३७ स्कूल) आते हैं जिनमें प्रति वर्ष लगभग २२,००० छात्र होते हैं ।

नई दिल्ली नगर पालिका समिति क्षेत्र

इस समय स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में २० स्कूल हैं जिन में १५,००० छात्र हैं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम क्षेत्र

निगम ने १-६-१९५८ से ३१-३-१९६१ तक १,८६,५८८ रुपये की राशि व्यय की है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना के विस्तार के लिये १० लाख रुपये की प्रतीक व्यवस्था की गई है ।

नई दिल्ली नगरपालिका समिति का क्षेत्र

अब तक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया । इस प्रयोजन के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र

हां, श्रीमान । इस प्रयोजन के लिये बनाये गये क्लिनिकों में उपचार की व्यवस्था की जायेगी ।

नई दिल्ली नगर पालिका समिति का क्षेत्र

क्लिनिकों और उप-क्लिनिकों में साधारण उपचार किया जाता है जब कि दांत और आंखों के रोगियों को नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा थोड़े समय के लिय नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है । अन्य रोगियों को समीमवर्ती अस्पतालों में भेजा जाता है ।

राष्ट्रीय पक्षी

२६५९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोर को राष्ट्रीय पक्षी मानने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मोर को किन आधारों पर राष्ट्रीय पक्षी माना गया है; और

(ग) क्या सरकार के पास अन्य पक्षियों के लिये सुझाव आये हैं और क्या हंस को राष्ट्रीय पक्षी मानने का है सुझाव भी आया है ?

कृषि उपमन्त्री (श्री डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी नहीं। इस मामले पर भारतीय वन्य जीवन मंडल अपने आगामी सत्र में विचार करेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां ।

डीजल बसों का धुआं

†२६६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डीज़ल बसों के धुओं के प्रभाव के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो, उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्णफूली बांध

†२६६१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच यह निश्चय किया जा चुका है कि कर्णफूली बांध से कितनी भूमि डूब जायगी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं श्रीमान्। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के सर्वेक्षण विभागों द्वारा लुशाई पहाड़ियों, असम और पूर्वी पाकिस्तान के चिटागांग पहाड़ी क्षेत्रों की हद बंदी के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। सीमा क्षेत्रों की हदबंदी पूरी होने पर भारतीय क्षेत्र में डूबने वाली भूमि का निश्चय किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे में भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठानों का कार्य संचालन

†२६६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, रेलवे की भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठानों के कार्य संचालन के बारे में विशेष अधिकारी की शेष सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). ३६ सिफारिशों में से ११ और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। शेष सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

पानी की दरें

†२६६३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह १४ मार्च, १९६१ के अतारांतिकत प्रश्न संख्या १५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी की दरों के पुनर्निधारण में (राज्यवार) क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) अन्तिम स्थिति बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

नगर आयोजन

†२६६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ते हुए नये नगरों में नगर आयोजना के लिये तथा सम्पूर्ण भूमि पर सरकार का नियंत्रण लागू करने के लिये लोक प्रशासन समस्याओं पर राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित की गई गोष्ठी की सिफारिशें क्या सरकार को प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी सरकार को रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ियों पर कराधान

†२६६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर कराधान के सम्बन्ध में एकरूप नीति अपनाने के संबंध में राज्य सरकारों को राजी करने के लिये किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर) : नियमित परमिटों के आधार पर अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों के मामले में मद्रास को छोड़ कर अन्य सभी राज्य सरकारों ने इकहरे कराधान की नीति को मान लिया है। मद्रास सरकार का कहना है कि अन्तर्राज्यीय आवागमन से राज्य के भीतर ही आवागमन की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, अतः अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों पर ऊंची दर से कर लगाया जाना चाहिये। इस मामले में मद्रास सरकार के इस रवैये को देखते हुए दक्षिण खण्ड के अन्य राज्यों ने भी, जैसे केरल, आन्ध्र प्रदेश, और मैसूर, अन्तर्राज्यीच मार्गों पर नियमित रूप से चलने वाली गाड़ियों पर दोहरा कराधान लगाने की नीति अपना ली है ।

२. जहां तक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अस्थायी परमिट से चलने वाली गाड़ियों का सवाल है, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उड़ीसा ने इन गाड़ियों पर इकहरे कराधान का सिद्धान्त लागू करना नहीं माना है। प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी राज्यों में एकरूप नीति हो।

३. परिवहन विकास परिषद् की आगामी बैठक के सामने यह मामला पेश करने का विचार है ।

यमुना पर दूसरा पुल

†२६६६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री, ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना पर पुराना किला, नई दिल्ली के निकट दूसरा रेलवे पुल बनवाने की दिशा में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** क्या साहिबाबाद से तुगलकाबाद तक नई लाइन का मिट्टी जमाने का काम, जमुना पर दूसरा रेलवे पुल इसी लाइन पर बनने वाला है, चल रहा है। पुश्ते तथा खम्भे और पुल की नींव बनाने के काम के ठेके दिये गये हैं और काम अक्टूबर, १९६१ से शुरू हो जाने की आशा है ।

पुल के गार्डरों के निर्माण, संभरण तथा लगाने के लिये मांगे गये टेण्डर २४ अगस्त, १९६१ को खोल दिये गये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतें तथा पंचायत समितियां

†२६६७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत तथा पंचायत सिमितियों के अधिकार बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामला दिल्ली नगर निगम के सामने विचाराधीन है ?

आवास सहकारी समितियां

†२६६८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवास सहकारी समितियों के निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(ग) अब तक कुल कितनी आवास सहकारी समितियां बनी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश बोगस हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है; और

(च) क्या संसद् सदस्य ऐसी समितियों के सदस्य बन सकते हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** (क) जी हां।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवास सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन १-४-१९६१ से बन्द कर दिया गया है। गृह-कार्य मंत्रालय ने इस आशय के आदेश तब तक के लिये निकाल दिये हैं जब तक कि आवास सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नये नियम न बन जायें।

(ग) ३१५।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) संसद् सदस्य ऐसी समितियों के सदस्य बन सकते हैं यदि वे उनकी शर्तें पूरी करते हों।

राज्य व्यापार

†२६६९. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा पंजाब की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह मांग की है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा केन्द्रीय सरकार के कहने पर उहोंने जो खाद्यान्न खरीदा था, उसके राज्य व्यापार में हुए घाटे की राशि उन्हें वापस दे दी जायें;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना-कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ग) घाटे की कमी पूरी करने के लिये उन्हें कितना-कितना धन दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). १९५९–६० में खाद्यान्नों के राज्य व्यापार में पंजाब सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ। १९६०-६१ का हानि-लाभ का विवरण अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो पाया है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उनके पास जो गेहूं उपलब्ध है, उसे बेचने में जो घाटा होगा, उस में केन्द्र को भी हाथ बटाना चाहिये।

सारा गेहूं बिक जाने के बाद ही पता लगेगा कि मध्य प्रदेश सरकार को कितना घाटा हुआ। केन्द्र घाटे का ५० प्रतिशत या अधिकतम १ रु० प्रति मन के हिसाब से। घाटे का बोझ उठाने के लिये तैयार है।

रूरकेला स्टेशन पर विश्रामकक्ष

†२६७०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला स्टेशन पर विश्राम कक्ष बनवाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यात्रियों की भीड़ को देखते हुए क्या दुमंजली इमारत बनाई जायेगी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) जी हां।

(ख) १९६२ में।

(ग) वर्तमान इमारत के बीच के भाग में दुमंजिली इमारत बनाकर उसमें विश्राम कक्ष बनाये जायेंगे।

चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तरों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम

†२६७१. **श्री कोडियान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाई गई फेलोशिप योजना कार्यान्वित हो गयी है कि जिन लोगों ने चिकित्सा विज्ञान के किसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें परिषद् तब तक गवेषणा पद पर रख लेगी जब तक कि उन्हें कोई निश्चित वैज्ञानि कार्य नहीं मिल जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस तरह कितने आदमी रखे हुये हैं ; और

(ग) वे किन विषयों पर गवेषणा कार्य कर रहे हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) चुने गये ८ उम्मीदवारों में से केवल दो ने अभी तक पेशकश स्वीकार की है।

(ग) ये दोनों व्यक्ति गेस्ट्रोएटरनॉलोजी पर अनुसंधान करेंगे —इसी विषय पर उन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के उपहारगृह

†२६७२. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के उपहारगृहों से गाड़ियों में यात्रियों को नाश्ता तथा खाना देने वाले बैरे यात्रियों द्वारा मांगे जाने पर बिल नहीं देते और यात्रियों को अधिक मूल्य देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है ; और

(ग) क्या सरकार ने रेलवे के उपाहार गृहों को कड़े आदेश जारी कर दिये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). यात्रियों को बिल दिये जाने की कुछ शिकायतें आती हैं और जिन मामलों में शिकायतें सही साबित हो गईं उनमें कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी। रेलवे को पहले ही ऐसे आदेश दे दिये गये हैं कि तुरन्त बिल न पेश करने की बात गम्भीर है; एक बार पुनः ऐसे आदेश दिये जा रहे हैं ।

दिल्ली में लू लगने के मामले

†२६७३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस गर्मी में दिल्ली में लू लगने के कितने मामले हुये ; और

(ख) कितने मामले ऐसे रहे, जिन में लोगों की मृत्यु हो गयी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १२७।

(ख) ४ ।

वाइकाउन्ट की खरीद

†२६७४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो और वाइकाउन्ट खरीदना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन मार्गों पर चलाये जायेंगे ;

(ग) क्या बम्बई, मद्रास—सिंगापुर —जकार्ता मार्ग पर सुपर कान्स्टेलेशन के स्थान पर, बोइंग चलाने का भी विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से इसके आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) वाइकाउन्ट विमानों की संख्या बढ़ने पर इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन विदेशी मार्गों पर सेवायें बढ़ाना चाहता है।

(ग) और (घ). जी हां। जब मद्रास हवाई अड्डा बोइंग विमानों के चलाने के लिए समुचित रूप से विकसित हो जायेगा। इस संबंध में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जूट उद्योग

†२६७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जूट उद्योग तथा जूट की कृषि के लिए १९६१ का वर्ष संकट का वर्ष है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कृषि की रक्षा तथा क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) १९६१ का वर्ष अभी तक जूट उद्योग के लिए संकट का वर्ष रहा है क्योंकि गत दो फसलों के उत्पादन में कमी रही है। यह वर्ष जूट के लिए अच्छा है और आशा है कि जरूरत भर का उत्पादन हो जायेगा।

(ख) कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अनेक प्रकार की गवेषणा कराके, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देकर तथा अच्छे बीज के वितरण के लिए सरकारी सहायता देकर सरकार राज्य सरकार की मदद कर रही है। सरकार नये टैंक देकर तथा पुराने टैंकों को सुधरवा कर तथा सुधरे किस्म की मशीनों द्वारा कृषि प्रणाली में सुधार करने की योजनाओं के लिए तथा पौदा संरक्षण योजनाओं के लिए सरकार किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दे रही है। जूट की फसलों के लिए उर्वरक खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जा रहे हैं।

बिहार का इमारती लकड़ी का व्यापार

†२६७६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी के कारण बिहार के इमारती लकड़ी के व्यापार को बहुत हानि पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक वगन देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सरकार को पता नहीं है कि वैगनों की कमी के कारण बिहार से इमारती लकड़ी के आवागमन को हानि पहुंची है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह बताया जा सकता है कि जब अप्रैल, मई १९६१ में चक्रधरपुर जिले के, जो कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बिहार में इमारती लकड़ी पैदा करने वाला मुख्य क्षेत्र है, काफी समय से पड़े इमारती लकड़ी के भंडार कोहटाने के लिए विशेष प्रयत्न किया गया, तो इस से ३०८ मांगों को रद्द करना पड़ा और १२१८ वैगन लादे गये, जिस से पता लगता है कि कितनी फालतू मांग थी।

चोरी तथा जेब कटने के मामले

†२६७७. **श्री यादव नारायण जाधव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में मध्य रेलवे के पर्ली-वजनाथ स्टेशन पर चोरी तथा जेब कटने की कितनी घटनायें हुई और उनका व्योरा व चोरी व जेब कटने में गयी राशियों का विवरण क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपराधियों को दण्ड देने के लिए क्या उपाय किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त स्टेशन पर ऐसी घटनायें हमेशा होती रहती हैं; और

(घ) उक्त अवधि में कितने बार चोरी या जेब कटने की राशि बाद में बरामद की गयी तथा यात्रियों को वापस दी गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सन्लग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) जिन मामलों की रिपोर्ट की जाती है, उनकी पूरी छान-बीन की जाती है और उस क्षेत्र के मुख्य मुख्य अपराधियों से पूछ ताछ की जाती है।

ऐसी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में बदनाम स्थानों पर निगाह रखी जाती है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है।

(ग) अपराधों की सम्पूर्ण स्थिति के विश्लेषण से प्रकट होता है कि पर्ली–वेजनाथ स्टेशन की स्थिति कोई चिन्ताजनक नहीं है और पूर्णतः नियंत्रण में है।

पंचायती राज

†२६७८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने या किसी राज्य सरकार ने पंचायती राज्य के कार्यान्वयन तथा उसकी कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मालेगांव में टेलीफोन रखने वाले[1]

†२६७९. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला नागसिक, मालेगांव में एक्सटेन्शनों सहित टेलीफोन रखने वाले कितने व्यक्ति हैं;

(ख) वहां टेलीफोन आपरेटर कितने हैं तथा उनकी कितनी संख्या समुचित होनी चाहिये ;

(ग) वर्तमान लोगों के अलावा कितने नये लोगों को कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं; और

(घ) वर्तमान कनेक्शन बोर्ड की क्षमता क्या है तथा बोर्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मेन कनेक्शन १९१, एक्सटेन्शन ३४।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Telephone Subscribers.

(ख) ८ टेलीफोन आपरेटर हैं। वर्तमान बोर्डों की संख्या को देखते हुए यह संख्या उचित है।

(ग) अगस्त १९६१ के अंत में जब १०० और लाइनें बिछा दी जायेंगी, तो ९५ और कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(घ) वर्तमान क्षमता २०० लाइने हैं। अगस्त १९६१ के अन्त तक इस के स्थान पर ३०० लाइनों वाला बोर्ड लगाया जायगा। १०० और लाइनों के विस्तार की स्वीकृति दे दी गई है।

राजस्थान-कांदला-पत्तन सड़क

†२६८०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से कान्दला पत्तन तक सड़क बनाने का कोई विचार क्या विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन खर्च होगा और गुजरात तथा राजस्थान सरकारें कितनी-कितनी सहायता देंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) इस समय कांदला पत्तन तथा राजस्थान के बीच कोई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८क जोकि इस समय बन रही है, कान्दला पत्तन तथा राजस्थान को कान्दला—मोरवी—लिम्बदी—अहमदाबाद—दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ मार्ग से मिला देगा। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८क के विकास का सारा खर्च भारत सरकार उठा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा के किसान

†२६८१. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के किसानों की प्रति व्यक्ति ऋण ग्रस्तता क्या है;

(ख) साहूकारी अधिनियम के अधीन महाजनों के विरुद्ध कितने मामले चलाये गये;

(ग) क्या ऋण के भार को कम करने के लिये उठाये गये कदम पर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा के किसानों की प्रति व्यक्ति ऋण ग्रस्तता के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कदम उठाये गये ; अर्थात्,

(१) दुखित किसानों को छोटे ऋण देना।

(२) पीडित क्षेत्रों में सहायता-कार्य करना।

(३) झंझावात और बाढ़ पीड़ितों को सहायता और ऋण देना।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में हड्डी की खाद तैयार करने के संयंत्र

†२६८२. **श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय हड्डी की खाद तैयार करने के कितने संयंत्र (बोन डाइ-जेस्टर) हैं ;

(ख) इन पर प्रति इकाई कितनी लागत आयी है ;

(ग) वर्ष १९६०–६१ में इन में कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(घ) क्या यह उत्पादन संतोषप्रद है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) १२ जिनमें से अब तक ९ में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) ९३४ मन ।

(घ) और (ङ). ये संयंत्र पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे थे क्योंकि कच्ची हड्डियों का संभरण कम था और बदलने के लिये पुर्ज़े आसानी से उपलब्ध नहीं थे । कच्ची हड्डियों को संग्रह करने का काम तेज कर दिया गया है और अतिरिक्त पुर्ज़ों का एक रक्षित भंडार बनाया गया है । जिन संयंत्रों में उत्पादन नहीं हो रहा है उन्हें बेच दिया जायेगा ।

त्रिपुरा में बरगादारों का निष्कासन

†२६८३. **श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमलपुरा डिवीजन में त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने के बाद से कितने बरगादारों को निकाला गया ; और

(ख) इन निष्कासित बरगादारों को त्रिपुरा प्रशासन ने क्या संरक्षण दिया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इम्फाल टेलीग्राफ आफिस का सिगनलर इन्चार्ज

†२६८४. **श्री ले० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के टेलीग्राफ आफिस के सिगनलर इंचार्ज को मनीपुर रोड स्थानान्तरित कर दिया गया था और फिर उस पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का अभियोग लगा कर और विभागीय कार्यवाही करने के बाद वापस इम्फाल बाजार डाकघर में भेज दिया गया ; और

(ख) क्या इस मामले में विशेष पुलिस ने कोई जांच पड़ताल की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मनीपुर रोड को स्थानान्तर कुछ कारणों से रोक रखा गया और इस पदाधिकारी को अस्थायी रूप से इम्फाल बाजार डाकघर में भेज दिया गया जो उस कार्यालय से बिल्कुल भिन्न है जहां वह पहले काम करते थे ।

(ख) यह मामला पुलिस को नहीं बताया गया ।

चीनी मिलों में जमा चीनी के भंडार का वितरण

†२६८५. **श्री नंजप्प** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने यह प्रार्थना की है कि उन्हें उनकी अपनी बस्तियों में चीनी मिलों में जमा चीनी के भंडार को वितरित करने के लिये अधिकार दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मद्रास, गजरात और राजस्थान सरकारों ने अपने अपने राज्यों में मिलों से चीनी की बिक्री के लिये चीनी देने के अधिकार लेने की प्रार्थना की है ।

(ख) ये प्रार्थनायें मंजूर नहीं की गयी हैं क्योंकि कारखानों से चीनी अखिल भारत आधार पर दी जाती है ।

प्रशिक्षित कर्मचारी

२६८६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५८ में सरकार ने इंडियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसियेशन के कुछ अप्रशिक्षित कर्मचारियों को अकुशल से कुशल कर्मचारियों की श्रेणी में रखने का निश्चय किया था लेकिन बाद में यह निश्चय किया गया कि इस मामले पर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर अभी भारतीय रेल सम्मेलन के अध्यक्ष विचार कर रहे हैं ।

नागपुर में रेल दुर्घटना

२६८७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ फरवरी, १९६१ को नागपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे नियमों का पालन न करने से जो दुर्घटना हुई थी उसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : इस मामले को पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है और अदालत में मुकदमा चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गोशाला सहायक

२६८८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने गोशाला सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ख) उनमें से कितने सहायक गोशालाओं में नियुक्त किये गये ; और

(ग) जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है उन की सेवाओं का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). राज्य सरकारों आदि से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की टेबल पर रख दी जायेगी।

पौधों का आयात

२६८९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अब तक विदेशों से पौधे आयात करने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने सरकार ने अस्वीकार कर दिये ; और

(ख) क्या सब आयात किये गये पौधों को कृमिनाशक धुंएं से फ्यूमीगेट किया जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) ३० जून, १९६१ तक सतत्तर। कोई भी अस्वीकार नहीं किया गया।

(ख) समस्त आयात पौधों और पौध-सामग्रियों का निरीक्षण बन्दरगाह पर आने के समय किया जाता है और यदि आवश्याकता होती है तो उनको धुंआ दिया जाता है या अन्य रूप से रोगाणु नाशिक किया जाता है।

गोसदन और गोशाला विकास योजनायें

२६९०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोसदन और गोशाला विकास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि निश्चित की गई थी ;

(ख) उस में से कितनी वस्तुतः खर्च की गई ; और

(ग) समस्त राशि खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोसदन योजना के लिए ३३·५ लाख रुपये और गोशाला विकास योजना के लिये ३७·० लाख रुपए का उपबन्ध था।

(ख) बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर समस्त राज्यों में ५६·४८ लाख रुपये। इन दोनों से जानकारी की इन्तजार है और शीघ्र ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी।

(ग) मुख्य कारण हैं :—(१) गोशाला विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित निबन्धन और शर्तों को मानने में निजी संस्थाओं की अयोग्यता या असफलता और (२) वन क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों की अनुपलब्धता, उन क्षेत्रों को ढोरों के परिवहन की कठिनाइयां और गोसदन योजना के मामले में लोगों की प्रतिक्रिया में कमी ।

खाद्यान्नों का मूल्य

†२६९१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चावल और अन्य रेशे वाले खाद्यान्नों के मूल्य के उस भाग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जो उत्पादकों और मध्यस्थों को मिलता है ; और

(ख) क्या इन खाद्यान्नों के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये आंकड़े प्राप्त करने के ख्याल से ऐसे अध्ययन की वांछनीयता पर विचार कर लिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) विपणन तथा परीक्षण कार्यालय ने रेशे वाले खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ, मक्का, ज्वार बाजरा और दालों का समय समय पर विपणन सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है और इन कृषि वस्तुओं के विपणन सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इन रिपोर्टों में उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्य में उत्पादन के अंश, उत्पाद तैयार करने में किया गया व्यय, इसके परिवहन पर व्यय आदि और विपणन पद्धति में मध्यस्थों के अंश के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं। निदेशालय ने चावल के बारे में भी कुछ अध्ययन किये हैं जिसके परिणाम "प्राइस-स्प्रेड आफ राइस-स्टडीज इन कास्टस एंड मार्जिन्स" (मूल्य चावल का विकास—लागत और लाभ सम्बन्धी अध्ययन) नामक पुस्तक में दिये गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अन्य खाद्यान्नों के बारे में भी ऐसे ही अध्ययन करने का उपबन्ध किया गया है।

(ख) इन अध्ययनों से प्राप्त जानकारी उचित मूल्य निर्धारित करने में लाभप्रद होगी परन्तु कुछ अन्य बातें भी हैं जिनपर ध्यान दिया जाना है; उदाहरणतः बाजार भाव, समाहार मूल्य और पहले निर्धारित किया गया अधिकतम नियंत्रित मूल्य, उत्पादन लागत, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में सम्बन्ध, आन्तरिक और विदेशी मंडियों में वस्तु की मांग, उपभोक्ता की रुचि, मूल्य का स्तर जो आर्थिक स्थिति वहन कर सकती है, आदि।

डाक जीवन बीमा

†२६९२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों से डाक जीवन बीमा पालिसीयों की संख्या और उनके अन्तर्गत बीमा की कुल रकम में निरन्तर कमी हो रही है; और

(ख) क्या इस कमी के कारणों की कोई जांच की गयी है और उनको सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है। यह कमी जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण और प्रचार की कमी के कारण है। १-२-६१ से विशेष डाक जीवन बीमा इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं और उन्होंने अब तक सामान्य बिजनेस के अतिरिक्त ६४ लाख से भी अधिक का बिजनेस प्राप्त किया है। इन्स्पेक्टरों की गतिविधियां इस समय केवल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही सीमित है। शनैः शनैः उनको देश के अन्य भागों में भी भेजा जायेगा। अथवा अधिक इन्स्पेक्टर नियुक्त किये जायगे।

उच्च-स्तरीय बाढ़ समिति

२६६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च-स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति, जो सरकार द्वारा अप्रैल १९५७ में नियुक्त की गई थी, की सिफारिशें लागू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : आम निर्धारण, बाढ़ नियंत्रण के लिये सिद्धान्त और नीतियों के विषय पर लिखी अपनी रिपोर्ट की प्रथम जिल्द में बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति ने २३ सिफारिशें कीं। केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने अपनी १२ मई, १९५८ की बैठक में इन सिफारिशों को मान लिया। इनमें से केवल १० सिफारिशें ऐसी थीं जिनको की विशिष्ट कार्यान्विन की आवश्यकता थी, जब कि बाकी केवल मात्र नोट करने को ही थीं। इन सिफारिशों के कार्यान्विन की स्थिति संलग्न विवरण में दी है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--३१७६/६१]

बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की दूसरी जिल्द विविध नदी बेसिनों में बाढ़ नियन्त्रण के विषय पर है। इस जिल्द की प्रतिलिपियां, जिनमें समिति की शिफारिशें हैं, राज्य सरकारों/प्रशासनों को पहले ही उनकी समीक्षा के लिये भेजी जा चुकी हैं? सब राज्य सरकारों से उनकी समीक्षा आने पर, नदी आयोग इन सिफारिशों पर विचार करेगा और फिर इन्हें केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के पास भेज देगा।

ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, बुदनी

२६६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०-६१ में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, बुदनी में कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ख) इन लोगों के प्रशिक्षण का किस प्रकार उपयोग किया जाता है?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) ११२.

(ख) ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र म दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों की निम्न लिखित श्रेणियां हैं:—

१. कृषकगण जिन के पास पर्याप्त भूमि, ट्रैक्टर और उपकरण (स्वामी चालकें)

२. कृषकगण जिनके पास बहुत भूमि है, जो ये चाहते हैं कि उनके फार्मों में यांत्रिक ढंग से खेती हो और जो सुधरी हुई खेती तकनीकी को अपनाते हैं।

३. वे व्यक्तिगण, जिन्होंने कृषि, यान्त्रिक या स्वयंचलित यन्त्रशास्त्र में तकनीकी प्रशिक्षण लिया हो और जिनकी इच्छा है कि घने व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ अपनी विद्या सम्बन्धी पृष्ठभूमि को और अधिक मजबूत बनायें।

४. निजी और सरकारी फार्मों से ट्रैक्टर चालक और यान्त्रिक, राज्य ट्रैक्टर संगठन, सहकारी और व्यावहारिक फार्मिंग स्थापनें इत्यादि।

५. कृषि, सामुदायिक विकास और अन्य विभागों के वे कर्मचारीगण, जो कि सुधरी खेती के तरीकों और तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं।

इसलिए प्रशिक्षण के बाद अधिकांश लोग या तो अपने फार्मों को वापिस जाते हैं या उस पद पर चले जाते हैं जिसपर वे पहले से कार्य कर रहे हैं। वे मनुष्य, जिनके पास विद्या सम्बन्धी पृष्ठभूमि जैसे यान्त्रिक/स्वयंचालित/कृषि यन्त्रशास्त्र में डिपलोमा या डिग्री हैं, या तो सरकारी विभागों या निजी संगठनों में पदों पर काम करते हैं, जो कि ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनें इस्तेमाल करती हैं या अधिक प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं या कालिजों में दाखिल होते हैं।

दिल्ली में चकबन्दी

२६९५. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में चकबन्दी से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक किये जाने की आशा है?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). उन २५ गांवों में से, जहां पर चकबन्दी करने का प्रस्ताव था, १९ गांवों के भूमिदारों ने चकबन्दी के कार्य के विरुद्ध आपत्ति की है। दिल्ली प्रशासन ने बताया कि यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत, चकबन्दी अनिवार्य रूप से की जा सकती है, फिर भी गांव में व्यावहारिक रूप में चकबन्दी का कार्य वहां के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में वास्तविक रूप में भाग लेने और सहायता करने के बिना सन्तोषजनक तौर पर नहीं किया जा सकता है। इन आपत्तियों के सम्बन्ध में निश्चय शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है।

हावड़ा में रेलगाड़ी का रुक जाना

†२६९६. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ११ मई, १९६१ को हावड़ा स्टेशन पर रेलगाड़ियों के यकायक रुक जाने से हजारों यात्रियों को कष्ट हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है.

विवरण

११-५-१९६१ को हावड़ा से सभी रेलगाड़ियां २२.३० बजे तक समय पर चलती रहीं जब कि भारी तूफान के परिणामस्वरूप ऊपरी बिजली के उपकरण टूट जाने के कारण रेलगाड़ी सेवा के अस्त-व्यस्त हो गयी। फलस्वरूप, १९-अप मिथिला एक्सप्रेस, एच० बी० ७१ अाप और एच० बी० ७३ अाप गाड़ियां हावड़ा से समय पर नहीं चल सकीं। जैसे ही लाइन साफ हुई, एच० बी० ७१ अप और एच० बी० ७३ अप के यात्रियों को १२-५-१९६१ को २.०० बजे एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा भेजा गया और मिथिला एक्सप्रेस भी १२-५-१९६१ को २.११ बजे हावड़ा से चली।

भारत में निर्मित टेलीप्रिन्टर

†२६६७. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर कारखाने में निर्मित टेलीप्रिन्टरों का पहला समुदाय कब निकलेगा,

(ख) इसकी संख्या क्या होगी और प्रत्येक की लागत क्या है और विक्रय मूल्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या टेलीप्रिन्टरों के पहले समुदाय में अथवा बाद में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त कोई अन्य लिपि होगी; और

(घ) यदि हां, तो कौन-सी अन्य लिपि होगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड मद्रास में समन्यायोजित ७० टेलीप्रिन्टरों का पहला समुदाय जून, १९६१ के अन्त में तैयार था। टेलीप्रिन्टरों का विक्रय मूल्य एक टेप माडल मशीन में लिये ४,००० रुपये और प्रेज माडल मशीन के लिये ४,६०० रुपये निर्धारित किया गया है। क्योंकि अभी तक आयात किये गये पुर्जों से केवल ७० टेलीप्रिन्टर ही समन्यायोजित किये गये हैं, अभी लागत का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है परन्तु मूल्य अगले ५ वर्षों में कुल पूर्वाशित व्यय को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ). टेलीप्रिन्टरों के प्रथम कुछ समदायों में केवल अंग्रेज़ी में टाइप-लिपि होगी परन्तु बाद में इसमें हिन्दी लिपि भी लागू करने की प्रस्थापना है।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

†२६६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों के एक प्रवक्ता ने ७ जुलाई, १९६१ को इलाहाबाद में एक सम्वाददाता सम्मेलन में भाषण करते हुए केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश में उन चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने का आग्रह किया जो गन्ना उत्पादकों को भुगतान नहीं

†मूल अंग्रेजी में

कर सकीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) राज्य सरकार से जांच करने पर पता चला कि उन्हें इस बारे म उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों के एक प्रवक्ता द्वारा इलाहाबाद में एक सम्वाददाता सम्मेलन में भाषण दिये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†२६९९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में पंजाब को राज्य में ग्राम्य जल संभरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कोई धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि; और

(ग) जिन योजनाओं के लिये आवंटन किये गये है, उनके नाम और स्वरूप क्या हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने वर्ष १९६१–६२ के लिये राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत ८.८ लाख रुपये का उपबन्ध किया है। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय आवंटन के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार को स्थानीय विकास-कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत २२.५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ग) जहां तक राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) का सम्बन्ध है यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। स्थानीय विकास-कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण के उपाय

†२७००. श्री बांगशी ठाकुर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बाढ़ नियन्त्रण विशेषज्ञों ने जुलाई, १९६१ के मास में त्रिपुरा का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में स्थायी रूप से बाढ़ रोकने के बारे में उनकी क्या राय है?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के संघ-राज्य क्षेत्रों के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने जून, १९६१ में त्रिपुरा का दौरा किया था।

(ख) सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने, केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कार्य-सर्वेक्षण के साथ, त्रिपुरा के मुख्यायुक्त द्वारा उनको बाढ़ समस्या के बारे में बताये जाने के बाद, त्रिपुरा में विभिन्न बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने दौरा किये गये विभिन्न बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में त्रिपुरा प्रशासन को परामर्श और सुझाव दिये। ये बांधों को मजबूत बनाने, नाली-व्यवस्था में सुधार करने और बाढ़ नियंत्रण के लिये और उपाय निकालने के लिये अग्रेतर अध्ययन के सम्बन्ध में थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

†२७०१. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री मणियंगाडन :
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में केरल में राष्ट्रीय राजपथों के लिये कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने बचन दिये गये राष्ट्रीय राजपथों को पूरा करने के लिये एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मांगा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने वह प्रस्ताव मान लिया है; और

(घ) राष्ट्रीय राजपथों संख्या ४७ और ४७-क पर काम कब पूरा होने की सम्भावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में केरल में राष्ट्रीय राजपथों के लिये आवंटन निम्न प्रकार है :

(१) किये जा रहे कार्य	लगभग	४०.४७ लाख रुपये
(२) नये कार्य	लगभग	९.३० लाख रुपये
	कुल	४९.७७ लाख रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ।

(घ) जो कार्य प्रगति पर हैं उनके तृतीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। कुछ नये कामों को चतुर्थ योजना में ले जाना पड़ेगा ।

चावल का उत्पादन

†२७०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिये कोई योजना अथवा लक्ष्य बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप और ब्योरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न में आत्म-निर्भर की व्यवस्था है । १००० लाख टन के उत्पादन के लक्ष्य में से चावल ४५० लाख टन है । चावल समेत, खाद्यान्नों का अधिकतर उत्पादन सिंचाई, भू-संरक्षण और शुष्क खेती, भूमि कृष्णकरण, उर्वरक और खाद, बीज गुडान और वितरण, पौध संरक्षण,

†मूल अंग्रेजी में

सुधरे हुये कृषि औजार और अच्छे कृषि के तरीकों जैसे कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जायेगा। तथापि, धान की खेती के जापानी तरीके और अच्छे धान के बीजों के वितरण जैसी योजनायें स्पष्टतः चावल के उत्पादन में सहायक होंगी और इसी प्रकार चुने हुये चावल वाले जिलों में गहन कृषि जिला कार्य-क्रम सहायक होंगे।

तालचर से बरसुआ तक रेलवे लाइन का निर्माण

†२७०३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में तालचर से बरसुआ तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये कोई नवीन प्रार्थना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रार्थनायें कब की गई थीं; और

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में इस नई रेलवे लाइन का तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये इस लाइन का अनुमोदन नहीं किया गया है।

दामोदर घाटी निगम

†२७०४. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निचली दामोदर नदी में पानी का बारहमासी बहाव बनाये रखने के लिये दामोदर घाटी निगम पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा के आदिम जाति लोगों को लकड़ी काटने से रोकना

†२७०५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की आदिमजातियों को त्रिपुरा जंगल से अपने निजी उपयोग के लिये मामूली दर्जे के पेड़ और बांस काटने से रोका जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मनाही त्रिपुरा भूमि लगान और भूमि सुधार अधिनियम के अनुरूप है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां, केवल आरक्षित जंगलों में।

(ख) जी नहीं। ये निर्बन्धन भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के उपबन्धों के अधीन लगाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हाफकिन इंस्टिट्यूट, बम्बई

†२७०६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाफकिन इंस्टिट्यूट, बम्बई ने कुत्ते द्वारा काटे जाने पर उसके विष से छुटकारा पाने के लिये जीवित विषाणु टीका तैयार किया है; और

(ख) क्या इसकी बिक्री की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां। यह रैबीज वैक्सीन (फ्लूरी वैक्सीन) केवल कुत्तों के छुटकारे के लिये है, न कि मनुष्यों के लिये।

(ख) जी नहीं। उसकी बिक्री की संभावना तथा उसके मूल्य के ढांचे के बारे में छानबीन की जा रही है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ और ४७-क

†२७०७. **श्री मणियंगाडन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ और ४७-क की कितनी मील सड़कें पूरी की जा चुकी हैं ;

(ख) अभी कितने मील पूरा करना बाकी है; और

(ग) इन राजपथों पर काम कब पूरा हो जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर काले सिरे अथवा सीमेन्ट कंकरीट समतल वाली एक गली की सड़क पहले ही मौजूद है। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ -क पर भी अंशतः काले सिरे और अंशतः मैकेडम समतल वाली एक गली की सड़क मौजूद है। इसलिये सड़क तैयार करने का सवाल पैदा नहीं होता। फिर भी राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर गाड़ियों के आने जाने के मार्ग पर दो गलियां बनाने जैसे और सुधार का काम चल रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७७.८५ लाख रुपये का निर्माण कार्य शामिल किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया निर्माण कार्य तीसरी योजना अवधि में पूरा हो जायगा।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने

†२७०८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नये डाकखाने खोले गये; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९६१–६२ में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने नये डाकखाने खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क)

वर्ष	खोल गये डाकखानों की संख्या
१९५९–६०	४०७
१९६०–६१	४९६

(ख) २४५ ।

चीनी तथा स्पिति घाटी में डाक का वितरण

†२७०९. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी से काज़ा तक के बर्फीले क्षेत्र में डाक ओवरसीयर के आने जाने की सीमा बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में स्पिति तथा हिमाचल प्रदेश में चीनी के इन सीमावर्त्ती जिलों में उनकी संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) इस लाइन पर तीन डाक ओवरसीयर हैं। अभी हाल में और अधिक डाकखाने खोले जाने के कारण उनका काम कुछ ज्यादा हो गया है ।

(ख) इस क्षेत्र में और अधिक ओवरसीयर रखने के औचित्य की छानबीन हो रही है ।

मध्य प्रदेश में जोंक सिंचाई परियोजना

२७१०. **श्री जांगड़े** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जोंक नदी सिंचाई परियोजना दूसरी और तीसरी योजनाओं में शामिल करने के लिये योजना आयोग को दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना को उक्त योजनाओं में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना के बारे में कोई निर्णय न होने के कारण उस क्षेत्र में कई मंझोली और छोटी सिंचाई योजनाओं को आरम्भ नहीं किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी बात नहीं है । केदार नाला टैंक परियोजना नामक एक मंझोली सिंचाई योजना जिला रायगढ़ में दूसरी योजना अवधि में शुरू की गई थी; तथा उसी शहर में फुतका नाला परियोजना नामक एक और मंझोली सिंचाई योजना को राज्य सरकार ने तृतीय योजना अवधि में आरम्भ करने के लिये सुझाव दिया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

ब्रह्मपुत्र पुल

†२७११. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र पुल बनाने के सम्बन्ध में सब से हाल की प्रगति क्या है ;

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस पुल के लिये प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारियों की भरती की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पुल के खंभे और नींव बनाने का काम पूरा हो चुका है। रास्तों में मिट्टी डालने के काम का लगभग ८४ प्रतिशत काम भी हो चुका है। पहला गर्डर खड़ा करने का काम अभी अभी शुरू किया गया है।

(ख) लगभग सात करोड़ रुपया।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

इस पुल के लिये प्रत्येक श्रेणी में भरती किये कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	ग्रेड (निर्धारित वेतन क्रम)	**संख्या**
	रुपये	
(क)	३००—४००	२
(ख)	२६०—३५०	६
(ग)	२६०—५००	१
(घ)	२००—३५०	१
(ङ)	२००—३००	७
(च)	१६०—२५०	२
(छ)	१५०—२२५	३०
(ज)	१००—१८५	७
(झ)	८०—२२०	२७
(ञ)	८०—१६०	३६
(ट)	८०—१८५	२
(ठ)	६०—१५०	१८
(ड)	६०—१३०	८७
(ढ)	५५— ८५	२४
(ण)	४०— ६०	६
(त)	३५— ६०	१६
(थ)	३५— ५०	१
(द)	३५— ४०	३
(ध)	३०— ३५	११६
	कुल	३८०
	विभिन्न दैनिक दरों पर आकस्मिक मजदूर	१२००

†मूल अंग्रेजी में

1198 (Ai) LSD.—5

व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसन्धान[1]

†२७१२. **श्री कोडियान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसन्धान के लिये एक परिपूर्ण संस्था कायम करने की कोई योजना सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संस्था के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केरल में जमीन की पैमाइश

†२७१३. **श्री कोडियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संपूर्ण केरल राज्य में जमीन की दोबारा पैमाइश कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देना मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) इस योजना के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर योजना आयोग वित्त मंत्रालय के परामर्श से अभी विचार कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

किराये की इमारतों में डाकखाने

†२७१४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पुरी डिवीजन में किराये की इमारतों में अभी तक कितने डाकखाने/छोटे डाकखाने और शाखा डाकखाने काम कर रहे हैं;

(ख) किराये की इमारतों के लिये माहवार कितना किराया दिया जा रहा है; और

(ग) इस डिवीजन के लिये विभागीय इमारतें तैयार करने के लिये वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितनी रकम नियत की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क)

	किराये की इमारतों में डाकखानों की संख्या	भूतपूर्व राज्यों की इमारतों में अर्थात निःशुल्क इमारतों में डाकखानों की संख्या
बड़ा डाकखाना	कोई नहीं	कोई नहीं
छोटा डाकखाना	१३	६
शाखा डाकखाना	कोई नहीं	७

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Occupational Health Research.

(ख) रुपये ६६७ और २५ नये पैसे ।

(ग) १९६०–६१ २,८०० रुपये
१९६१–६२ १५,००० रुपये ।

मध्य प्रदेश में घोड़ों की बीमारी

२७१५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में घोड़ों की बीमारी संक्रामक रूप में फैली है; और

(ख) यदि हां, तो यह बीमारी अन्य स्थानों पर न फैले, इसके लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, नहीं। उस रोग की अधिकता जो रोग भारत में पहली बार अप्रैल, १९६० में हुआ था, जनवरी, १९६१ से काफी कम है । मध्य प्रदेश में जनवरी से जुलाई, १९६१ तक १०५ घोड़े मरे, जबकि अप्रैल से दिसम्बर, १९६० तक २८७८ मरे थे ।

(ख) पशुधन के रोगों पर नियंत्रण करना राज्य सरकारों का काम है जिनको सलाह दी गई है कि :

(१) स्पर्शजन्य रोग अधिनियम के अन्तर्गत दक्षिणी अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी को एक अनुसूचित रोग के रूप में शामिल करें ।

(२) पशुओं को अनिवार्य रूप में टीका लगाना तथा दाग लगाने की व्यवस्था करें ।

(३) घोड़े आदि की बड़ी भीड़ को रोके जैसे पशुधन के मेले और बाजार ।

(४) घोड़ों को एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा राज्य के अन्दर एक रोगग्रस्त क्षेत्र से स्वच्छ क्षेत्र में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगायें ।

(५) हानि पहुंचाने वाले घोड़ों को यथासमय टीके लगवायें ।

(६) राज्य के किसी भाग में रोग के फैलते ही रोग निदान की पुष्टि करने के लिये भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था के निदेशक से परामर्श करें ।

(७) व्यापार मार्गों का निर्धाण करें, राज्य में अन्दर आने वाले पशुओं के निरीक्षण के लिये चौकियां स्थापित करें तथा जिन पशुओं को टीके न लगे हों उन को टीके लगवायें । मध्य प्रदेश सरकार ने इस रोग के नियंत्रण के लिये एक अलग घोड़ा बीमारी अधिनियम लागू किया है ।

भारतीय-पशू चिकित्सा अनुसन्धान संस्था इस रोग के नियंत्रण के लिये टीका तैयार कर रही है और यह मांग आने पर राज्य सरकारों को सम्भरित किया जाता है । इस रोग के नियंत्रण के सम्बन्ध में समन्वय करने और परामर्श देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई है ।

फीरोजपुर में टेलीफोन

†२७१६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीरोजपुर (पंजाब) में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिये अर्जी दी है और कितने लोगों को अभी तक टेलीफोन नहीं दिये गये हैं; और

† मूल अंग्रेजी में

(ख) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) ३१-७-१९६१ तक ३८ ।

(ख) और अधिक टेलीफोन लगाना एक्सचेंज में उपकरण क्षमता के बढ़ाये जाने पर निर्भर है । उपलब्ध होने वाले साधनों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल की छानबीन की जा रही है ।

रेलवे का उत्पादन

२७१७. श्री अमर सिंह डामर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में भारतीय रेलवे ने उत्पादन में क्या प्रगति की है;

(ख) क्या भारतीय रेलवे उत्पादन केन्द्रों का सामान विदेशों को निर्यात भी किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को और कौन सा सामान निर्यात किया गया या किया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाना और इन्टेग्रल सवारी डिब्बा कारखाना भारतीय रेलवे के उत्पादन केन्द्र हैं । इन केन्द्रों में रेल-इंजन और सवारी डिब्बों के उत्पादन की प्रगति का एक विवरण साथ नत्थी है ।

विवरण

(१) चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाना :—उत्पादन १९५०–५१ में शुरू हुआ ।

वर्ष	रेल-इंजनों का उत्पादन
अक्तूबर, १९५० से मार्च, ५१ तक	७ डब्ल्यू जी
१९५१–५२	१७ डब्ल्यू जी
१९५२–५३	३३ डब्ल्यू जी
१९५३–५४	६४ डब्ल्यू जी
१९५४–५५	९८ डब्ल्यू जी
१९५५–५६	१२९ डब्ल्यू जी
१९५६–५७	१५६ डब्ल्यू जी
१९५७–५८	१६४ डब्ल्यू जी
	+ डब्ल्यू टी
१९५८–५९	१६४ डब्ल्यू जी
	+ १ डब्ल्यू टी
१९५९–६०	१६४ डब्ल्यू जी
	+ ९ डब्ल्यू टी
१९६०–६१	१७३ डब्ल्यू जी
१९६१–६२ (३०-३-१९६१ तक)	४२ डब्ल्यू जी
	१२११ डब्ल्यू जी
	+१० डब्ल्यू टी-१२२१

†मूल अंग्रेजी में

(२) सवारी डिब्बा कारखाना :—उत्पादन १९५५–५६ में शुरू हुआ।

वर्ष	सवारी डिब्बों के खोल का उत्पादन
अक्तूबर ५५ से मार्च ५६ तक	१२
१९५६–५७	८८
१९५७–५८	२२२
१९५८–५९	३८१
१९५९–६०	४४७
१९६०–६१	५८३
१९६१–६२ (३०-६-६१ तक)	१५
	१८८४

(ख) विभिन्न देशों से जो टेन्डर मांगे गये थे, उस के उत्तर में भारत के राजकीय व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) ने सवारी डिब्बा कारखाने में तैयार सवारी डिब्बों के लिये पाकिस्तान और अर्जेनटाइना को टेन्डर दिया था। इन टेन्डरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे के लिये मशीनरी का आयात

२७१८. श्री प० ला० बारूपाल : रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार रेलवे परिवहन के लिये कितने मूल्य की मशीनरी का आयात करना चाहती है

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेल परिवहन के लिये बाहर से जो संयंत्र और मशीन मंगाने का प्रस्ताव है, उस की संभावित लागत लगभग १२.५० करोड़ रुपये होगी।

बाढ़ के कारण राजपथों को नुक्सान

†२७१९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण राजपथों, पुलों और पुलियों को जो नुकसान पहुंचा उसका क्या अनुमान है ; और

(ख) उन्हें कब तक ठीक किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजपथों को बाढ़ के कारण हुई हानि का लगभग अनुमान इस प्रकार है :—

	लाख रुपये।
(१) केरल	२५.५४
(२) मद्रास	०.२०
(३) मैसूर	१.७०
(४) उड़ीसा	०.४७
(५) महाराष्ट्र	७.००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कई मामलों में तो मरम्मत की जा चुकी है लेकिन कई मामलों में वह एक दो महीनों में संभवतः पूरी हो जायेगी। कुछ मामलों में राष्ट्रीय राजपथों की टूटफूट की मरम्मत पूरी करने में करीब करीब एक साल लग सकता है।

कोयला क्षेत्रों के साथ रेल सम्पर्क

२७२०. **श्री जांगड़े :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने कटनी और अनूपपुर विभागों को सिगरौली कोयला क्षेत्रों के साथ मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन बनाने के हेतु यातायात के सवक्षण और उस के परिमाण का पता लगाने तथा भूमि आदि नापने का आदेश दिया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष १९६१–६२ के दौरान कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेलवे लाइन किस स्टेशन पर से बिछाई जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सिंगरौली कोयला-क्षेत्र को कटनी -अनूपपुर सेक्शन से किसी उपयुक्त स्थान पर मिलाने के लिए बड़ी लाइन के प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वे की मंजूरी दी गयी है।

(ख) छः लाख रुपये ।

(ग) स्टेशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रस्तावित लाइन को कटनी अनूपपुर सेक्शन से किस स्थान पर मिलना संभव होगा, यह बात एलाइन्मेण्ट पर निर्भर है और यह तभी मालूम होगा जब इंजीनियरिंग सर्वे पूरा हो जाय।

मेडिकल कालेज, कटक (उड़ीसा)

†२७२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक में ग्रैजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम चालू करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं तो उस मार्ग में क्या कठिनाईयां हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और ख). उड़ीसा मेडिकल स्कूल को १९४४ में मेडिकल कालेज बनाया गया था। इस कालेज में उपाधि पाठ्यक्रम अर्थात् एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। इस के अलावा उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर वर्ग १९६० से चालू करने की मंजूरी दे दी है :—

		विषय	छात्रों की संख्या
१.	सर्जरी—	एस० एस० (जनरल सर्जरी) . .	३
		एम० एस० (आप्थालमोलोजी सहित) .	१
		डिप्लोमा इन आप्थालमोलोजी . . .	२
		एम० एस० (कान, नाक, गला) . . .	१

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	छात्रों की संख्या
२.	मेडिसिन एम० डी० (वेनरल मेडिसिन)	२
	एम० डी० (सोशल एण्ड प्रिवेन्टव मेडिसिन)	१
३.	आब्स्ट्रेट्रिक्स —एम० ओ०	२
४.	गाइनाकोलोजी—डी० जी० ओ०	४
५.	एनेस्थेसियोलोजी—डी० ए०	२
६.	फिजियोलोजी—पी एच० डी०	१
७.	बायोकेमिस्ट्री—पी एच० डा०	१
८.	पैथोलोजी—पी एच० डी०	२
९.	फर्मिकोलोजी—पी एच० डी०	४
१०.	एनाटोमी—पी एच० डी०	१

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

†२७२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाने की योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार को १९६०–६१ और १९६१–६२ में कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ और १९६१–६२ कितनी रकम की सहायता दी गयी है ; और

(ग) यह सहायता किस योजना के लिये दी गयी है ; और

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). नवम्बर, १९५८ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को बताया था कि राज्य की योजनाओं में शामिल, गांवो में बिजली लगाने की कुछ चुनी हुई योजनाओं के लिये वर्ष १९५९–६० से सरल शर्तों पर केन्द्रीय ऋण सहायता मिल सकेगी। इन ऋणों पर पहले पांच वर्षों में केवल ब्याज देना होगा और बराबर बराबर सालाना किस्तों में ब्याज के साथ-साथ ऋण की अदायगी २५ साल की अवधि में करनी होगी। इन योजनाओं के लिये ऋण सहायता व्यक्तिगत राज्य सरकारों को उनकी आयोजना के अधीन योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ही दी जाती थी। सभी राज्य सरकारों से यह प्राथना की गयी थी कि वे अपनी अपनी योजनाओं के ब्यौरे वाली परियोजना रिपोर्टें भेज दें और यह भी बतायें कि पहले निर्धारित केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत इस सहायता का मेल जोल किस प्रकार बैठाया जायेगा। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया था कि १९६०–६१ में गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिए उसे २४.४५ लाख रुपये की आवश्यकता होगी। चूंकि राज्य सरकार ने इन योजनाओं के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये और न ही यह बताया कि यह रकम १९६०–६१ में राज्य के लिए निर्धारित कुल सीमा के अन्तर्गत किस प्रकार बैठायी जायेगी, केन्द्रीय ऋण सहायता के तौर पर यह रकम मंजूर नहीं की गयी। वित्त वर्ष १९६१–६२ के संबंध में, उडीसा सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†२७२३. श्री कालिका सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीव्रगति से जनसंख्या वृद्धि की दर को देखते हुए, जैसा कि १९६१ की जनगणना से दिखायी पड़ता है, परिवार नियोजन की योजनाओं के विस्तार के संबंध में कोई नवीन निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) सरकार की परिवार नियोजन योजनाओं के क्षेत्र में अब तक यदि कोई परिणाम, देखे गये हों, तो वे क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) । जी नहीं यह अनुमान लगाया गया था कि १९६१ की जनगणना से देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखायी पड़ेगी और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रख कर ही तैयार किया गया है।

(ख) परिवार नियोजन योजनाओं को कार्यान्वित करने से जन्म दर पर क्या असर इसका अंदाज अभी नहीं लगाया जा सकता। परिवार नियोजन के संबंध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की गयी है। गर्भ निरोधक वस्तुओं और वन्ध्यकरण क्रियाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्य धीरे-धीरे बढ़ रही है।

पौधा संरभण गोष्ठी

†२७२४. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल जयपुर में पौधा संरक्षण गोष्टी हुई थी ;

(ख) किन-किन लोगों ने उस में भाग लिया ; और

(ग) उस में की गयी चर्चा और निर्णयों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ; गोष्ठी २६ से २८ जूलाई, १९६१ तक हुई थी।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) प्रतिनिधियों के नाम दिखाने वाली सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]।

(ग) (१) गोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी थी :–

१. पौधा संरक्षण कार्य और तेजी से करने के मार्गोपाय तथा यह काम बढ़ाने में पंचायत समितियों आदि का कार्य भाग ।
२. मसत्वपूर्ण कीडों और रोगों के विरुद्ध आन्दोलन संगठित करना।
३. प्रचार और प्रदर्शन के जरिये पौधा संरक्षण कार्यों को लोकप्रिय बनाना ।
४. सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को पौधा संरक्षण का प्रशिक्षण

†मूल अंग्रेजी में

५. कीटनाशक तथा पौधा संरक्षण उपकरण रखना तथा उसकी बिक्री में पंचायत समितियों सहकारी संस्थाओं तथाअन्य अभिकरणों का कार्यक्रम।

(२) गोष्ठी की मुख्य-मुख्य सिफारिशों परिशिष्ट २ में विवरण में दी हुई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

राष्ट्र कलश

†२७२५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार 'राष्ट्र कलश' का पुरस्कार देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पुरस्कारों के लिए किन किन राज्यों की सिफारिश की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां।

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुरस्कार देने की योजना के अधीन राष्ट्र कलश उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाता है जो पिछले तीन मौसमों के औसत उत्पादनों से एक फसली मौसम (रबी या खरीफ) में अनाज के उत्पादन में सब से अधिक प्रतिशत वृद्धि दिखाता है, लेकिन शर्त यह है कि वह वृद्धि १५ प्रतिशत या अधिक हो।

(ग)

१.	बिहार	रबी	१९५८–५९
२.	हिमाचल प्रदेश	खरीफ	१९५९–६०
३.	मध्य प्रदेश	रबी	१९५९–६०

मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म

†२७२६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में एक विशेषज्ञ समिति मध्य प्रदेश में बतूल में प्रस्तावित यंत्रीकृत फार्म की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए वहां गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) भारत सरकार का निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समिति ने प्रस्तावित स्थान के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अग्रेत्तर आंकड़े मांगे हैं। उस सूचना के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही निर्णय किया जाएगा।

लूप लाइनों पर यात्री गाड़ियां

†२७२७. **श्री बालकृष्णन् :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री गाड़ियों को क्रास करते समय लूप लाइनों पर रोक लिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह खतरनाक नहीं है और क्या इससे जनता को असुविधा नहीं होती है ; और

(ग) रेल गाड़ियों को प्लेटफार्मों पर लाने में क्या प्रविधक कठिनाई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) नहीं जब प्लेटफार्मों की व्यवस्था होती है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

धान के बीज

†२७२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर का कृषि विभाग ५ वर्षों के अनुसन्धान के पश्चात् काश्मीर–६० नामक धान के बीज, जो चीनी अथवा जापानी किस्मों का संयोग हैं, तैयार करने में सफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह बीज देश के अन्य भागों में सफलतापूर्वक पदा किया जा सकेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां : वह कटक की चावल अनुसन्धान संस्था द्वारा जम्मू तथा काश्मीर सरकार को लगभग ७ वर्ष पूर्व संभरण किए गए बीज से तैयार किए गए हैं ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में ६० की सफलता की ओर, उसकी वर्तमान किस्मों से उपयुक्तता और अच्छाई निश्चित करने की दृष्टि से, अन्य धान उत्पादक राज्यों के कृषि विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा ।

रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति

†२७२९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत पिछले तीन महीनों में कोई रेलवे कर्मचारी नौकरी से हटाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और कार्य के स्थान क्या हैं ; और

(ग) क्या यह कार्यवाही १९६० की आम हड़ताल के सम्बन्ध में की गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा की (रक्षा) नियम, १९५४ के अन्तर्गत पिछले तीन महीनों में एक रेलवे कर्मचारी जो रतलाम में नियुक्त था, की सेवायें खत्म की गई हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन एक्सचेंज

†२७३०. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै, त्रिचनापल्ली और सलेम में टलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने का कार्य कब पूरा होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि मदुरै का कार्य दूसरी पंचवर्षीय अवधि में पूरा होने का कार्यक्रम था ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मदुरै एक्सचेंज में लाइनें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मदुरै, त्रिचनापल्ली और सलेम के एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने का कार्य क्रमशः जनवरी, ६२, अप्रैल, ६५, और अक्तूबर, ६२ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्थान के अर्जन और भवन निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ।

(क) जी हां, वर्तमान १,००० लाइनों के मैनुअल एक्सचेंजों के स्थान पर २,४०० लाइनों का आटो एक्सचेंज बनाया जाएगा । ५०० लाइनें और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

खाद्यान्न का आयात

†२७३१. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए गए २३९३ हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का मूल्य कितना है ;

(ख) क्या मूल्यों में पिछले वर्षों की तुलना में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) अमेरिकी नायक पोतों को भाड़े के रूप में कितना भुगतान किया गया है ; और

(घ) १९६१–६२ में भारतीय नायक पोतों से ढोए जाने वाले खाद्यान्न का अनुपात क्या होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लागत और भाड़े में लगभग ७४ करोड़ रुपए ।

(ख) गहूं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है परन्तु चावल के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हुई है ;

(ग) लगभग १० करोड़ रुपए ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्यान्नों के भारतीय जहाजों में वहन के लिए कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया जाता है परन्तु समस्त उपलब्ध भारतीय जहाजों को काम में लाने के प्रयत्न किए जाते हैं।

टिकट कलक्टर

†२७३२. **श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में टिकट कलक्टरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) विभिन्न रेलवे लाइनों में उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या २००० के लगभग अस्थायी टिकट कलक्टर स्थायी बना दिए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां, कुछ रेलवे लाइनों में।

(ख) लगभग १९५ के।

(ग) समस्त श्रणियों में ८५०८।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत के नगर निगमों के लिये पीने के पानी का संभरण

†२७३३. **श्री तंगामणि :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ४ प्रमुख नगर निगमों के लिए पीने के पानी के संभरण के लिए १९६१–६२ के लिए कोई आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मद्रास के लिए कितना आवंटन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) ८२ लाख रुपए।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमरपुर के रैमा क्षेत्र में चावल का संकट

†२७३४. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरपुर के रैमा क्षेत्र में चावल के गंभीर संकट के कारण चावल २ रुपए प्रति सेर अर्थात् ८० रुपए प्रतिमन बिक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या तुरन्त कार्यवाही करने जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). नहीं श्रीमान् । रैमा में चावल का बाजार भाव कभी भी ८० रुपए प्रतिमन नहीं हुआ । जनवरी १९६१ के अन्त में अमरपुर सब-डिवीजन के रैमा-क्षेत्र में चावल का बाजार भाव बढ़ना शुरु हुआ और जून के पूर्वार्द्ध में भाव ४० रुपए प्रति मन हो गया था ।

मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और जनता को सहायता देने के लिए रैमा बाजार में १४ फरवरी, १९६१ को एक उचित मूल्य की दुकान खोली गई और इस दुकान पर चावल १८ रुपए प्रतिमन के भाव से बेचा जा रहा है । उस क्षेत्र में अन्य स्थानों जैसे गन्दाचेरा और नतूनबाजार में भी उचित मूल्य की दुकानें खोली गई थीं । इस कदम के परिणामस्वरूप और औंष तथा जूम फसलों के कट जाने पर बाजार-भाव अगस्त, १९६१ के प्रथम सप्ताह में २४ रुपए से २७ रुपए प्रतिमन तक आ गया था ।

आसाम में मोटर परिवहन

†२७३५. श्री दशरथ देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धर्मनगर (त्रिपुरा) से सिलचर, (आसाम) तक राज्य मोटर परिवहन प्रणाली चालू करने का विचार है ;

(ख) क्या आसाम सरकार सिलचर से चौरईबाड़ी, जो त्रिपुरा और आसाम दोनों का सीमान्त है, तक मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरन के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा प्रशासन की इस प्रस्ताव के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). धर्मनगर से सिलचर तक राज्य परिवहन सेवायें चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु सिलचर से सोरायबाड़ी तक मोटर परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की एक योजना आसाम सरकार के विचाराधीन है । चूंकि सिलचर से सोरायबाडी तक का सारा मार्ग आसाम में आता है इसलिए त्रिपुरा प्रशासन का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

दक्षिण भारत में बाढ़ें

†२७३६. श्री धर्मलिंगम : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण के मैसूर, मद्रास और केरल राज्यों में हाल की बाढ़ों से जन तथा सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) उनको केन्द्र द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता दी गई ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हाल की बाढ़ों से हुई जन तथा सम्पत्ति की क्षति का निर्धारण राज्य सरकार अभी पूरा नहीं कर पाई है ।

(ख) मैसूर सरकार को १ करोड़ रुपये की मार्गोपाय पेशगी मंजूर की गई है । इस का समायोजन केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति के अनुसार राज्य सरकार को देय केन्द्रीय सहायता में किया जाएगा । केरल सरकार की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की प्रार्थना विचाराधीन है जब कि मद्रास सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में रक्षित वन

†२७३७. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५० में अथवा उसके पूर्व रक्षित वन के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ क्षेत्र था ;

(ख) त्रिपुरा में इस समय वनरोपण अथवा रक्षित वन के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ क्षेत्र है ;

(ग) क्या सरकार को इस वनरोपण की योजना के क्रियान्वयन में अभी तक किसी समस्या का सामना करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो व किस प्रकार की हैं और ऐसी कठिनाइयों के उन्मूलन के लिये क्या उपचार किये जाने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अगरतला दुग्ध संभरण योजना

†२७३८. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला दुग्ध संभरण योजना से प्रतिदिन कितने दूध का संभरण किया जाता है ;

(ख) योजना में अभी विनियोजित पूंजी से लाभ का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये सरकार गाएं पाल रही है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अगरतला के उपभोक्ताओं को संभरण करने के लिये दूध कहां से जमा किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) लगभग १४ मन ।

(ख) जुलाई, १९६१ तक लाभ विनियोजित पूंजी का ०.८० प्रतिशत था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) दूध अगरतला के आसपास के गांवों से सहकारी समितियों द्वारा जमा कराया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में स्वेडिश दल का बसना

†२७३९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों, ईंटें थापने वालों, बढ़इयों, मैकेनिकों और बिजली का काम करने वालों का एक स्वेडिश दल स्वेडिश सहायता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के धनौरा ग्राम में बसने वाला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि स्वेडिश सहायता कार्यक्रम में ऐसा कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है इस मंत्रालय को भी कोई सूचना नहीं है और वह इस विषय का कार्य नहीं करता है। परन्तु पूछ-ताछ की जा रही है और जब कोई सूचना मिल जाएगी तो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में नमक के कुएं

†२७४०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में नमक के कुएं सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं; और

(ख) ऐसे नमक के कुओं से वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी वार्षिक आय हुई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महानदी डेल्टा सिंचाई योजना

†२७४१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने महानदी डेल्ट की सिंचाई की पुनरीक्षित योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पेश की है ;

(ख) क्या महानदी के डेल्ट की सिंचाई की मूल योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा बनाई गई थी ; और

(ग) पुनरीक्षित योजना मूल योजना से किन बातों में भिन्न है और उसमें कितना अतिरिक्त व्यय होगा। और क्या वह अतिरिक्त राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उपलब्ध की जाएगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि योजना का पुनरीक्षित व्यय हीराकुड बांध के अनुपातानुसार व्यय को अलग करके लगभग २५.०० करोड़ रुपये होगा जब कि मूल अनुमान १४.९२ करोड़ रुपये का था। चूंकि पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये पुराने और पुनरीक्षित प्राक्कलनों की तुलना नहीं की जा सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिये १० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

चीनी के मूल्य

†२७४२. **श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में निकट भूतकाल में चीनी के भाव चढ़ गए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि हाल में बम्बई नगर तथा नागपुर में चीनी की कुछ अधिक भाव पर बिक्री के उदाहरण उनकी निगाह में आए हैं। बम्बई नगर में ऐसी बिक्रियां चीनी की बढ़िया किस्मों की छोटे दुकानदारों द्वारा खुदरा बिक्रियों तक सीमित थीं। नागपुर के मामले में इसका कारण वैगनों का नियमित रूप से न पहुंचना है।

(ग) राज्य सरकार ने उचित मूल्य की एवं प्राधिकृत खुदरा दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं की समस्त मांग की पूर्ति कराने की व्यवस्था की है।

खाद्यान्नों की क्षति

†२७४३. { **श्री गु० के० जेधे** :
श्री पांगरकर : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में पानशेत की बाढ़ के कारण केन्द्रीय गोदामों में कितना खाद्यान्न खराब हुआ ;

(ख) क्या कुछ खाद्यान्न काम में लाये जाने योग्य बचा है; और

(ग) सरकार द्वारा पूना और पूना जिले में बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कितने खाद्यान्न का संभरण किया गया है।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पूना की आकस्मिक एवं भारी बाढ़ से १० मीट्रिक टन गेहूं बह गया और पूना के केन्द्रीय सरकारी गोदामों के ७०९१ मीट्रिक टन स्टाक (७०१९ मीट्रिक टन चावल और ७२ मीट्रिक टन गेहूं) में से ६२६८ मीट्रिक टन अन्न (६१९६ मीट्रिक टन चावल और ७२ मीट्रिक टन गेहूं) खराब हो गया जो आदमियों के खाने लायक नहीं रहा।

(ख) लगभग ८२३ मीट्रिक टन।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लिये गये स्टाक में से पूना के बाढ़ पीड़ितों को २४ मीट्रिक टन चावल दिया है।

उत्तर रेलवे पर रुड़ा स्टेशन

२७४४. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के रुड़ा स्टेशन का गोदाम प्लेटफार्म बहुत समय से टूटी-फूटी हालत में पड़ा है जिस के कारण इस पर से बैलगाड़ियां नहीं गुज़र सकतीं और माल लादने-उतारने में बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मरम्मत के लिये क्या कदम उठाये गये और कब तक इस की मरम्मत हो जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को सुविधायें

२७४५. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (अनुसचवीय कर्मचारीवर्ग) को दी जाने वाली अवकाश आदि की सुविधाओं में कोई कमी कर दी गई है और उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी नहीं मिलती ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ;

(ग) इसका कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जो रेल कर्मचारी सभी सार्वजनिक अवकाश पाने के हकदार हैं, उनकी अनियत छुट्टी प्रति कैलेंडर वर्ष १५ से घटाकर १२ दिन कर दी गयी है ।

महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश केवल प्रशासनिक कार्यालयों में दिया जाता है ।

(ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ). कुछ मंडलों के अधीनस्थ कार्यालयों और कारखानों के क्लर्कों की ओर से प्रतिवेदन मिले हैं लेकिन उन्हें नामंजूर कर दिया गया ।

डीजल इंजन

†२७४६. **श्री याज्ञिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज सैक्शन पर पश्चिम रेलवे के लिये लिये गये अधिकतर डीजल इंजन चलने योग्य नहीं हैं ;

(ख) इन डीजल इंजनों के न चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन इंजनों को चलने योग्य बनाने के लिये इनकी मरम्मत करने का क्या कार्यक्रम है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

डाक व तार भवन पाटामुंडई, उड़ीसा

†२७४७. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पाटामुंडई का विभागीय डाक घर अभी तक पुरानी किराये की इमारत में है जब कि नई इमारत १९५९ में बनकर तैयार हो गयी थी ।

(ख) यदि हां, तो नई इमारत में न जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नई इमारत का कुछ भाग खराब हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई इमारत अभी तक विभाग को नहीं दी है, क्योंकि कुछ और काम, अर्थात कूएं की खुदाई, सैमिटरी लगाना आदि का काम पूरा नहीं हुआ है। उस विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह शीघ्र काम को पूरा कर दे।

(ग) और (घ). कोई सूचना नहीं है क्योंकि अभी तक वह इमारत डाक तार विभाग को सुपुर्द नहीं की गई है।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय

†२७४८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री उपभोक्ता संथा बोर्ड ने रेलवे बोर्ड से जोरदार प्रार्थना की है कि वह पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को गुजरात में अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाएं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने सके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जुलाई १९६० में रेल तथा सड़क यात्री संथा बड़ौदा से एक पत्र आया था जिस में उनकी बड़ौदा में हुई सामान्य बैठक में पारित किया गया संकल्प भेजा गया था जिसमें पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से बदल कर किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाने के लिये कहा गया था।

(ग) इस मामले पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात संथा को मंत्रणा की गई कि संचालन के दृष्टिकोण से, पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बंबई से हटाकर और किसी स्थान पर ले जाना न तो संभव है और न ही आवश्यक है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की स्टाफ कारें और क्वार्टर

†२७४९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास कुल कितनी स्टाफ कारें हैं और उन गाड़ियों की अड्डेवार संख्या क्या है ;

(ख) उन गाड़ियों का वार्षिक संधारण व्यय कितना है ;

(ग) क्या अड्डों पर कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो १९६०–६१ में कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये कितनी राशि रखी गई थी ; और

(ङ) इस के संबंध में कितनी प्रगति की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) कारपोरेशन के पास कुल २६ स्टाफ कारें हैं, अड्डेवार विवरण इस प्रकार है ; बंबई ७, कलकत्ता ५, दिल्ली १४।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). १९६०–६१ में स्टाफ क्वार्टरो के निर्माण के लिये ४·५ लाख रुपये का उपबंध किया गया था, तरन्तु कोई व्यय नहीं किया गया। तथापि यह राशि वर्ष १९६१–६२ के लिये आगे लेजाई गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये २·५ करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्री भाड़े और माल भाड़े

†२७५०. **डा० सामन्त सिंहार : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन को यात्री भाड़ों और माल भाड़ों में वर्षवार पृथक-पृथक कितनी कम और अधिक वसूली हुई है ; और

(ख) कम और अधिक वसूली को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). १९५३ से लेकर अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में पर्याप्त मेहनत और समय खर्च होगा। स्थानीय निगम ने वर्ष १९६०–६१ के लिये अपने बंबई क्षेत्र के बारे में ऐसा सर्वेक्षण आरंभ किया है। इस से यह पता चला है कि १९६०-६१ में इस क्षेत्र में यात्री भाड़ों में १५,३३३ रुपये की कम वसूली हुई है जब कि कुल राजस्व ४·३१ करोड़ रुपये वसूल हुआ है, जो ०·४ प्रतिशत होता है। निगम संतुष्ट है कि पहले की अवधियों में भी कम वसूली तुलना में कम होगी। इस दृष्टि में यह ख्याल किया जाता है कि पहले की अवधियों के लिये इतनी व्यापक सांख्या भी एकत्र करने में जितना समय और मेहनत खर्च होंगे वे उस से प्राप्त होने वाले फल की तुलना में कहीं अधिक होंगे।

भारतीय भाषाओं में मूलभूत और सांस्कृतिक साहित्य

†२७५१. **श्री केशव : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय भाषाओं में मूलभूत और सांस्कृतिक साहित्य के लिये एक तीसरी योजना घोषित की है ;

(ख) क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अन्तर्गत पाण्डुलिपि या पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद की ४ प्रतियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं और क्या उस नियम में यह उपबंध है कि विषयवस्तु की समीक्षा अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर की जाएगी और प्रतियोगिता में भाग लेने वालों से प्रार्थना की गई है कि वे अच्छा अनुवाद भेजें ;

(ग) प्रस्तुत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर प्रादेशिक भाषाओं की प्रतियोगिता के निर्णय से योजना का उद्देश्य सफल होने में सहायता मिल सकती है; और

(घ) क्या सरकार इस नियम को सर्वथा हटाने के गंभीर प्रश्न पर विचार करेगी और इस आशय का वक्तव्य जारी करेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) जी, हां।

(ख) ऐसी स्थिति थी, परन्तु अब फैसला कर लिया गया है कि काम की समीक्षा प्रारंभत : उस भाषा में की जाए जिनमें पुस्तक लिखी गयी हो। इस आशय का प्रेस टिप्पण जारी किया जा चुका है।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

प्रसाद नगर के निवासियों को झोंपड़ियों को गिराने के बारे में नोटिसों का दिया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री भा० कृ० गायकवाड से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :

"अनुसूचित जातियों के लगभग २,२०० परिवार पिछले चार वर्षों से (पूर्व पटेल नगर के निकट) प्रसाद नगर नई दिल्ली में रह रहे थे। उन्हें वर्षा के दिनों में बिना वैकल्पित आवास दिये हुए यह नोटिस दिया गया है कि वे अपनी झोंपडियां ६ घंटे के अन्दर खाली कर देवें। इस से वर्षा के दिनों में इन परिवारों को बहुत खतरा पैदा हो गया है।

माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रसाद नगर क्षेत्र को नवम्बर १९५८ में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा १२ के अधीन विकसित क्षेत्र घोषित किया है। इस अधिनियम के अधीन इस क्षत्र में अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

क्योंकि इस विकसित क्षेत्र में भी कुछ अनधिकृत निर्माण हुआ है अतः दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा ३० के अधीन उन्हें खाली करने के नोटिस जारी कर रहा है। तथापि जो झोंपड़े इसे विकसित क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व से ही मौजूद थे उन पर इस नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनधिकृत रूप से झोंपड़ियां खड़े करने वालों को वैकल्पित स्थान देना अनिवार्य नहीं है। तथापि इस वर्षा काल में उनकी कठिनाई देखते हुए उस पर अमल नहीं किया गया है। वस्तुतः पिछले दो महीनों से कोई झोंपड़ी गिरायी नहीं गयी है। अतः इस प्रकार अनधिकृत रूप से झोंपड़ी बना कर रहने वालों को कोई कठिनाई नहीं हुई है।

वस्तुतः इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व यहां १७०० झोपड़ियां थीं। इस घोषणा के बाद से लगभग ५०० झोंपड़ियां और बनाई गयीं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या उनकी कठिनाई देखते हुए उन्हें ऐसा कोई स्थान बताया जा सकता है जहां वे जाकर रह सकें ?

†**श्री करमरकर** : हम उन नोटिसों को वर्षा होने तक क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं। वस्तुतः दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं कि हम दिल्ली का विकास भी करें और इस प्रकार के अनधिकृत झोपड़ियों को भी बना रहने दें। दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन हमें इस प्रकार के अनुदेश जारी करने ही होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : निसंदेह दिल्ली विकास प्राधिकार इन लोगों को नोटिस जारी कर सकता है तथापि इससे जो १७०० परिवार बेघर-बार हो जायेंगे उसके संबंध में क्या किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली में प्रतिवर्ष १००,००० लाख मकानों का निर्माण हो रहा है। अतः यदि हम इन अनधिकृत मकानों के निर्माण के संबंध में दृढ़ कार्यवाही नहीं करेंगे तो कुछ ही वर्षों में दिल्ली रहने लायक स्थान भी नहीं रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विमान निगम (संशोधन) विधेयक

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : मैं विमन निगम एक्ट, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९०३ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति टेबल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ३१७०/६१)**

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत सरकार के निमंत्रण पर, ई० एन० आई० के अध्यक्ष श्री एनरिको मैटी ने दिसम्बर १९६० में भारत की यात्रा की। मैं ने उनसे पैट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में टैक्नीकल और ऋण सहायता के संबंध में बातचीत की। उन्होंने तेल क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की और उन्होंने पैट्रोल क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये का ऋण देने को कहा। इसके बाद से ही ऋण और टैक्नीकल सहायता के लिये बातचीत जारी है। इन विषयों पर मेरी इटली यात्रा के दौरान भी चर्चा हुई।

मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ई० एन० आई० के साथ आज संध्या को समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं : समझौते के अनुसार ई० एन० आई० सरकारी क्षेत्र के दो वर्गों की पैट्रोल परियोजनाओं के लिये १० करोड़ डालर का ऋण देगी। पहिले वर्ग में वे परियोजनायें आती हैं जिनके लिये तीसरी परियोजना में उपबंध किया गया है। यथा बरौनी से दिल्ली और कलकत्ता तक तेल का नल लगाना, गैस फैक्शर्नेशन प्लांट, तरल पैट्रोलियम गैस भरने का संयंत्र इत्यादि। इसमें ओ० एन्ड एन० जी० सी० द्वारा विहित क्षेत्रों में ठेके की खुदाई भी शामिल है। दूसरे वर्ग में वे परियोजनायें आती हैं जिनके लिये योजना आयोग और मंत्रालयों से पुनः स्वीकृति के लिये परामर्श करना होगा। इसके लिये ई० एन० आई० से भी पुनः बातचीत करनी होगी। तथापि पहिले वर्ग की परियोजनायें तीसरी परियोजना के दौरान पूरी कर ली जायेंगीं।

इटली के साथ तेल के विकास के लिये किया गया यह पहिला समझौता है। मैं इसके लिये ई० एन० आई० को सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यह सहयोग चलता रहेगा।

विदेशी तेल कम्पनियों को तेल की खोज के लिये आमंत्रित करने के उत्तर में ई० एन० आई० ने जुलाई १९६० में यह प्रस्ताव रखा था कि वह कच्छ क्षेत्र में तेल की खोज और अशोधित तेल के निर्माण में भागीदारी करने के लिये तैयार है। पिछली जून को हुई मेरे साथ बातचीत के फलस्वरूप तेल की खोज के संबंध में ओ० एन्ड एन० जी० सी० के साथ तेल की खोज में सहयोग करने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

२ करोड़ डालर के ऋण की मांग रखी गयी। इस सहयोग के फलस्वरूप अन्य बातों के अलावा उपकरण इत्यादि की विशेष सेवायें भी विहित की जायेंगी। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जसे ही इस पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा ग्रो० एन्ड एन० जी० सी० से कच्छ क्षेत्र में खोज संबंधी कार्यक्रम आरंभ करने के संबंध में ई० एन० आई० से बातें करने को कहा जायेगा। यदि ई० एन० आई० इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई तो तेल की खोज तथा उत्पादन के संबंध में नये प्रस्तावों पर पुनः चर्चा की जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में

†**श्री त्यागी (देहरादून)**: मैं जब कल अपने विषय के संबंध में आपके कक्ष में आप से मिला था तो आपने कहा था कि मैं आज के लिये अविलम्बनीय महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना प्रस्ताव की सूचना दे दूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और हम चाहते हैं कि इस विषय में हमारी भ्रांति दूर हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**। मैंने माननीय सदस्य के जाने के पश्चात यह सोचा कि इसके लिये अधिक अच्छा साधन यह रहेगा कि प्रश्न के रूप में यह जानकारी मांगी जाये। क्या नाननीय मंत्री बता सकते हैं कि इस संबंध में स्थिति क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मेरे पास यह जानकारी या तो ध्यान दिलाना प्रस्ताव के रूप में आनी चाहिये या एक प्रश्न के रूप में। तभी मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: निसंदेह इन पवित्र स्थानों को बदमाशों के अड्डे बनाना बहुत अवांछनीय है। इसका कोई अन्य उत्तर नहीं हो सकता है। तथापि इस संबंध में विचार करना होता है कि कब कार्यवाही की जाये और कब न की जाये। इन प्रश्नों का उत्तर हां या न में नहीं दिया जा सहकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: इसे कल की कार्यसूची में रख दिया जायेगा। माननीय मंत्री इस विषय में कल अपना वक्तव्य देंगे।

श्री करांजिया की भर्त्सना

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा अब सभा के उच्च न्यायालय के रूप में काम करेगी। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि जिस समय करांजिया की भर्त्सना की जाये उस समय सभा में बिल्कुल शांति होनी चाहिये। हमें अपने विशेषाधिकारों का पूर्ण आदर करना चाहिये।

पहरा और रक्षा अधिकारी, क्या श्री करांजिया उपस्थित हैं? उन्हें अन्दर लाया जाय।

(श्री के० आर० करांजिया अन्दर लाये गये और उन्हें सभा के बार में खड़ा कर दिया गया)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा ने आपको "ब्लिट्ज" के १५ अप्रैल १९६१ के अंक में दी कृपलानी इम्पीचमेंट शीर्षक के अन्तर्गत मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिये सभा के विशेषाधिकार के घोर उल्लंघन का दोषी ठहराया है इस लेख की भाषा और सामग्री के फलस्वरूप इस सभा के एक माननीय सदस्य की मानहानि हुई है और माननीय सदस्य द्वारा सभा में दिये गये भाषण और उनके व्यवहार पर लांछन लगाया गया है और इस समाचार में माननीय सदस्य का उल्लेख अपमानजनक और तिरस्कृत तरीके से किया गया है। एक संपादक के नाते संसद के किसी माननीय सदस्य के संभाषण और व्यवहार पर आलोचना करने के विषय में आप पर अत्यधिक सावधानी और संयम बरतने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

तदनुसार सभा के विशेषाधिकार के घोर उल्लंघन और सभा के अपमान के लिये आपकी भर्त्सना की जाती है।

(इसके पश्चात् करांजिया बाहर चले गये)

धार्मिक न्यास विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री जगन्नाथ राव द्वारा २८ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी। प्रश्न यह है :

> "कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबंध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य,) १९६१-६२—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : सभा १९६१–६२ के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी।

श्री आसर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, विदेशों में हमारे देश के जो एम्बैसेडर्ज़ आदि हैं, उन के द्वारा वहां रहने वाले भारतीयों के साथ जो बर्ताव होता है, उस के बारे में मैं कल बता रहा था। विदेशों में अपने दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के सिलेक्शन के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उन कर्मचारियों और अधिकारियों का सिलेक्शन करते समय यह देखना आवश्यक है कि वे विदेशों में जा कर हमारे देश की कीर्ति बढ़ायें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमारे नज़दीक के देश नेपाल में, जो कि हमारा मित्र-राष्ट्र है, हमारे एक कलचरल आफ़िसर ने जो कृत्य किये थे, उस से हमारे देश की कीर्ति बढ़ी नहीं है, बल्कि उस से हमारे देश के बारे में वहां पर घृणा का निर्माण हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब जब हम अपने अधिकारियों का सिलेक्शन करें, तब तक इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर लिया करें कि उसको सिलेकट करने से हमारे देश की कीर्ति बढ़ेगी या घटेगी। हम उसका ही सिलेक्शन करें जो हमारे देश की कीर्ति को बढ़ाने में सहायक हो।

सिक्किम के बारे में भी कुछ बातें बतलाई गई हैं। हम सिक्किम को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। उसको सहायता देना आवश्यक भी है। लेकिन हमें इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि उसको विकास के लिए हम जो धन दे रहे हैं या जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उस धनराशि का उपयोग योग्य तरीके से हो रहा है या नहीं। मुझे बताया गया है कि सिक्किम के महाराजकुमार और महाराजा ने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि वहां जो पी० डब्ल्यू० डी० का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रकशन का काम चल रहा है, उसको और रोड्ज़ इत्यादि को उनके हाथ में सौंप दिया जाये। मैं इसका विरोध करता हूं। आज की स्थिति को देखते हुए इस सब काम को उनके हाथ में सौंप देना ठीक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि वहां टैक्नीकल परसनेल की कमी है और ऐसे आदमियों की कमी है जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकें। अगर हमने इस सब चीज़ को उनके हाथ में सौंप दिया तो बाद में परेशानी हो सकती है। जब रोड्ज़ खराब हो जाती हैं या कोई और मुश्किल पेश आ जाती है तो हर बार हिन्दुस्तान से आदमी वहां भेजना ठीक नहीं होगा। डिफेंस को देखते हुए भी यह जरूरी है कि यह काम हमारे हाथ में रहे, उस पर हमारा कब्ज़ा बना रहे।

सिक्किम की जनता के नागरिकता के अधिकारों को ले कर वहां की जनता में और सिक्किम के महाराजकुमार में एक संघर्ष सा चल रहा है और नागरिकों की एक शिकायत बनी हुई है। मैं समझता हूं वहां पर इस प्रकार का संघर्ष होना और संघर्ष की स्थिति का चलते रहना ठीक नहीं। सिक्किम की विशेष परिस्थिति को देखते हुए और उस पर सम्भावित चीन के हमले को देखते हुए एक दृढ़ संगठन का वहां होना आवश्यक है। इस पर विचार करना आवश्यक है कि जो नागरिकता के बारे में हमने अधिकार दिये हैं और जो विचार किया है, उसको लेकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो कि संघर्ष बढ़े। इस संघर्ष का अन्त होना चाहिये।

लाओस के लिए भी हम पैसा दे रहे हैं। यह ठीक भी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लाओस के मामले में आपके साथ जितने और राष्ट्र हैं, उनको भी इस में भागीदार बनना चाहिये और उनको भी इसमें सहायता प्रदान करनी चाहिये।

अब मैं चीनी की कीमतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह सही है कि हमारे देश में चीनी की कीमतें बहुत अधिक हैं और अब तक हम ने इस बात का प्रयत्न नहीं किया है कि इसकी कीमतें कम हों । इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । हम देखते हैं कि १२ करोड़ रुपये फारेन एक्सचेंज के प्राप्त करने के लिए हम ५.५ करोड़ रुपये सबसिडी के तौर पर दे रहे हैं । इतनी अधिक सबसिडी दे कर के फारेन एक्सचेंज प्राप्त करना क्या सही नीति है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि आप इस पर इस दृष्टि से भी विचार करें । यह सही है कि फारेन एक्सचेंज की कमी है और हमारे लिए फारेन एक्सचेंज कमाना बहुत आवश्यक है । लेकिन इतना बड़ा घाटा उठा करके हम कुछ फारेन एक्सचेंज प्राप्त करें और चीनी एक्सपोर्ट करें यह ठीक नहीं है । हमें चाहिये कि किसी तरह से हम चीनी की कीमतें कम करें । जहां तक मैं समझता हूं इसका एक तरीका यह हो सकता है कि जो बाई-प्राडक्ट्स बने हैं जैसे एलकोहल है या अन्य वस्तुएं हैं, उनका सही इस्तेमाल करके कीमत को घटाया जा सकता है । आपके लिए यह सोचना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से चीनी की कीमत को कम किया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप कोई ठोस कदम उठायें और चीनी की कीमतों को कम करने का प्रयत्न करें ।

हम नेशनल करेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम नेशनल इंटेग्रेशन की बात करते हैं । ये दोनों चीजें सही हैं और होनी चाहियें । लेकिन इसके लिए आपको शिक्षा के माध्यम में और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने होंगे । फिल्मों का भी इसमें काफी योगदान है । जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि जिन फिल्मों का आज देश में निर्माण होता है, वे अधिकांशतः ऐसी होती हैं कि उनको देख कर घृणा हुए बगैर नहीं रहती है । जो निर्माता हैं या दूसरे लोग हैं वे नेशनल करेक्टर बिल्डअप करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं । उनकी दृष्टि आम तौर पर पैसे पर ही रहती है । हमारी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है और आंखें मीचे बैठी है । मेरी समझ में नहीं आता है कि वह चुप क्यों है और क्यों इस चीज को देखती नहीं है । नेशनल करेक्टर बिल्ड करने में फिल्मों को सिनेमाओं को योग देना चाहिये । आज आप किसी भी फिल्म में चले जायें---आप उनमें एक्ट्रेसिस को हाफ-न्यूड पायेंगे । इसका हमारे देश के नौजवानों और नव-युवतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं । स्कूल और कालेज के छात्र-छात्राओं पर क्या प्रभाव इस सब का पड़ता है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिये । देश में नेशनल करेक्टर बिल्डअप करने की दृष्टि से फिल्मों को योगदान करना चाहिये । आज देश किस ओर जा रहा है, इस पर आप विचार करें । फिल्म इंडस्ट्री को सही तरीके पर डिवेलेप करने की दृष्टि से इस विषय में सरकार के लिए कोई सही और ठोस कदम उठाना आवश्यक है ।

अब मैं एवार्ड्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस में कुछ डिसक्रिमिनेशन बरते जाने की शिकायत सुनने को मिलती है । एवार्ड देते समय हमें यह भी देखना चाहिये कि जिस फिल्म को एवार्ड दिया जा रहा है क्या वह इसकी हकदार है और इससे और कोई दूसरी अच्छी फिल्म तो नहीं है जिसको एवार्ड दिया जाना चाहिये । यह देखना भी हमारे लिए आवश्यक है कि नेशनल करेक्टर बिल्ड करने की दृष्टि से यह उपयोगी फिल्म है या नहीं है । आज स्थिति ऐसी है कि कुछ ऐसे सम्बन्ध हो जाते हैं कि जिन के कारण फिल्म अच्छी न भी हो तो भी एवार्ड दे दिये जाते हैं । मराठी में बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण होता है । मराठी की "जग्गाच्चा पाठीवर" और "आधी कल्श भग पाया" बहुत अच्छी थीं लेकिन उनको एवार्ड नहीं मिले । ऐसी ऐसी फिल्मों का भी निर्माण हुआ है जो नेशनल करेक्टर बिल्डअप करने की दृष्टि से   लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके अच्छी पिकचर्ज़ होते हुए भी, उनको एवार्ड नहीं दिये गये हैं और न ही एवार्ड देने का विचार किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि एवार्ड देने की पद्धति क्या है और क्या

[श्री आसर]

होनी चाहिये, इस पर भी क्या आपने विचार किया है। एवार्ड देते समय क्या आप इस पर भी विचार करते हैं या नहीं कि वह फिल्म देश के निर्माण में उपयोगी है या नहीं। मैं चाहता हूं नेशनल करेक्टर बिल्ड अप करने का विचार हमारे आगे सब से पहले रहना चाहिये और जो डिसक्रिमिनेशन चलता है, उसको बन्द करने का प्रयत्न किया जाये।

हिन्दू रिलिजस एंडउमेंट्स कमिशन का भी इसमें जिक्र है। इसकी रिपोर्ट आने में बहुत देरी हो रही है। इस देरी का क्या कारण है, इसका हमें पता नहीं है। एक कारण से इसके विरुद्ध जनता है। एक तरफ आप नेशनल इंटेग्रेशन की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप सिर्फ हिन्दू रिलिजस ट्रस्ट्स के बारे में कमिशन बिठाते हैं। अगर हिन्दू ट्रस्टों के बारे में आप एनक्वायरी करते हैं तो क्या वजह है कि दूसरे जो रिलिजन हैं, उनके ट्रस्टों के बारे में एनक्वायरी नहीं करते हैं। आप क्यों डिसक्रिमिनेशन बरतते हैं। अगर आप राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आप भेदभाव की नीति को त्यागें। यहां पर क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं और उनके ट्रस्ट्स भी हैं। उनके ट्रस्टों के बारे में आप एनक्वायरी क्यों नहीं करते हैं और क्यों केवल हिन्दू ट्रस्टों के बारे में ही एनक्वायरी करते हैं। उनके ट्रस्टों के बारे में भी इस कमिशन को रिपोर्ट देने के लिए कहा जाये या नहीं, इस पर भी आपको विचार करना चाहिये।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	१	श्री नौशीर भरूचा	. सिक्किम और भूटान में विकास कार्यों को शीघ्रता से करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४२	८	श्री नौशीर भरूचा	. चीनी के निर्यात के लिये राज्य सहायता देने का प्रश्न कहां तक वांछनीय है।	१०० रुपये
७३	१७	श्री नौशीर भरूचा	. भारतीय विधि संस्था और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था को अधिक उदारता से अनुदान देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८५	२१	श्री नौशीर भरूचा	. कोयले का जहाज द्वारा परिवहन करने के लिये राजसहायता देने की नीति का परित्याग करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१३२	२७	श्री नौशीर भरूचा	. आयल इंडिया में बर्मा आयल कम्पनी की तुलना में सरकारी समन्याय अंशों की स्थिति।	१०० रुपये

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खान देश) : मेरा सुझाव है कि सिक्किम और भूटान में विकास व्यय को बढ़ाया जाए। वहां पर सड़कों तथा संचार साधनों का विकास स्वयं भारत के हित में है। हमें इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

इस बात की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये कि क्या भारत को साढ़े पांच करोड़ रुपये की राज्य सहायता देकर चीनी का निर्यात करने की आवश्यकता है। वस्तुतः तथ्य यह कि भारत में चीनी के उत्पादन की लागत काफी अधिक है। अतः यह उद्योग का मामला प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया जाये।

भारतीय विधि संस्था तथा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि सरकार ही इन दोनों संस्थाओं के संचालन का भार अपने कंधों पर ले लेवे।

समुद्र तथा सड़कों से कोयले के ले जाने के विषय की जांच पड़ताल के संबंध में एक विशेष समिति की नियुक्ति होनी चाहिये। परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयले की कीमत पहले ही बढ़ गयी है। अतः इस विषय पर पुनः विचार किया जाये।

जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद के विषय का संबंध है सभा यह जानना चाहती है कि क्या सरकार को उक्त कम्पनी में नियंत्रण देने के लिये काफी संख्या में हिस्से (शेयर) प्राप्त हैं या नहीं। यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन से अतिरिक्त अनुदान दिये जायें।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४२	९	श्री तंगामणि	चीनी की उत्पादन लागत पर नियंत्रण करने में असफल रहना।	१०० रुपये
६१	१३	श्री तंगामणि	फिल्मों को पारितोषिक दिया जाना	१०० रुपये
७३	१८	श्री तंगामणि	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग के प्रतिवेतन में विलम्ब।	१०० रुपये
८५	२६	श्री तंगामणि	दक्षिण में कोयले के गोदाम खोलने की असफलता।	१०० रुपये
१३२	२८	श्री तंगामणि	आयल इंडिया लिमिटेड में अधिकारियों की नियुक्ति।	१०० रुपये

†श्री तंगामणि (मदुरै) : चीनी के उत्पादन लागत के नियंत्रण के संबंध में बहुत से सदस्य विस्तार से कह चुके हैं। अतः मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथापि मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

सभा यह जानना चाहती है कि फिल्म पुरस्कारों के साथ जो परिव्यय लाभ दिया जाता है, उसे विभिन्न कलाकारों में किस प्रकार से बांटा जाता है। जब कभी किसी वृत्त फिल्म को या प्रलेख अथवा बच्चों की फिल्म को स्वर्ण या रजत मैडल या प्रमाण पत्र दिया जाये तो इसके साथ नकद धन का लाभ जो कम से कम १००० रु० हो, भी दिया जाना चाहिये।

सरकार को इस संबंध में भी अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये कि पुरस्कृत फिल्मों के कलाकारों को आमंत्रित करने का मानदंड क्या है और उन्हें विदेशों को किस आधार पर भेजा जाता है।

तीसरी बात यह है कि हम यह जानना चाहते हैं कि इन कलाकारों को किन आधारों पर विदेश भेजा जाता है।

हिन्दू धर्मस्व आयोग की स्थापना अप्रैल १९६० में हुई थी उससे कहा गया था कि वह उसी वर्ष सितम्बर में अपना प्रतिवेदन भी दे। उसे बहुत से काम करने हैं। अतः यह कठिन था कि वह अपना प्रतिवेदन उस मास में देता। आज हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य यह है कि इस आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया जाये। मेरा निवेदन है कि यह आयोग स्थायी होना चाहिये। इन संस्थाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये और तभी वह संसद का मार्ग दर्शन कर सकेगा। वक्फ के लिये भी मैंने ऐसी ही व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके लिये हमने पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः ६०,०००,७५,००० और ७३,००० रुपये स्वीकार किये हैं। हम चाहते हैं कि यह एक स्थायी आयोग बन जाये जो प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया करे।

मांग संख्या ८५ इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के बारे में है। दक्षिण में कोयले की भारी कमी है एवं वहां घटिया किस्म का कोयला दिया जाता है। कोयले की कमी एवं घटिया कोयला होने के कारण कभी कभी यात्री गाड़ियां तक रुक जाती हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। यदि कोयम्बटूर, मदुरा, त्रिचि तथा मद्रास में कोयले का भंडार रखा जाये तो, रेल तथा व्यापारिक और वाणिज्यिक दृष्टि से अच्छा हो। तथा कोयले की जो कमी है वह भी दूर की जा सकती है। यह प्रसन्नता की बात है कि १ मई से दक्षिण को कोयला का अधिक संभरण किया जा रहा है। फिर भी कोयले की कमी को देखते हुए आंध्र प्रदेश के कोयले क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है। इस राज्य में विकास की गति बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि वह संतोषजनक नहीं है।

कोयले के मूल्य के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। इसके मूल्य को एक समान बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक मांग संख्या १३२ का सम्बन्ध है इस प्रकार की शिकायत की गई हैं कि सेवा से निवृत्त कुछ अधिकारी, जिनके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं है "आइल इंडिया लिमिटेड" कम्पनी में ऊंचे पदों पर नियुक्त किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

†श्री गोरे (पूना) : मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व राज्यों की सेना के अधिकारियों के साथ पेंशन की दर आदि बातों में न्याय नहीं हुआ है यह उचित नहीं है। उनके साथ न्याय किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम यह जानना चाहते हैं कि चीनी का उत्पादन मूल्य कम करने के लिये खाद्य मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है। जहां तक गन्ने के मूल्य को कम करने की बात है कोई भी यह नहीं चाहेगा कि मूल्य कम कर दिया जाये क्यों कि इसका प्रभाव गन्ना उत्पादकों पर पड़ेगा। यह मूल्य कम करना एक प्रकार से असंभव है। श्रमिकों की मजदूरी भी कम नहीं की जा सकती। अतः एक ही चारा रह जाता है कि एक तो गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जाये अथवा गन्ने में चीनी की मात्रा की वृद्धि की जाये। अतः मेरा विचार है कि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जाये। मेरा निवेदन है कि इन दोनों कामों के लिये खाद्य मंत्रालय कार्य करे। यदि यह हो गया तो चीनी का मूल्य भी कम हो सकता है।

चीनी बनाने के बाद जो सामान बच जाता है उसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इससे कागज़ बनाया जाने लगे तो देश को काफी अच्छी आय होने लगेगी। इसकी राब से शराब बनायी जा सकती है। ऐसा करने से भी चीनी का मूल्य कम हो सकता है। आशा है कि खाद्य मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा।

आज कल जो चल-चित्र आ रहे हैं उनका स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है। इनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। हमारे यहां के प्रथम श्रेणी के चलचित्र विदेशों के चलचित्रों की तुलना में तृतीय श्रेणी के ठहरते हैं।

छोटे कलाकारों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। उनका शोषण हो रहा है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। महिला कलाकारों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं होता। उनकी सुरक्षा की जानी चाहिये। ये छोटे कलाकार अपना कोई संघ भी तो नहीं बना सकते क्यों कि ये एक जगह काम न करके सारे देश में बिखरे हुए हैं। अतः इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिये भी सरकार कोई विधान बनाये ताकि उनकी सुरक्षा हो सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों का सहयोग नहीं मिल रहा है। आकाशवाणी लोगों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी देने की स्थिति में नहीं है जोकि होनी चाहिये।

जहां तक मांग संख्या १३२ की बात है यह प्रसन्नता की बात है कि बर्मा तेल कम्पनी के साथ समझौता हो गया है। आगामी ५ या दस वर्षों में तेल की खपत काफी मात्रा में बढ़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि खम्भात में तेल की खोज की गति को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाये। तेल की खोज के काम में उचित समन्वय भी नहीं है जो कि होना चाहिये।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसात): कुछ महीने पूर्व ही कोयले पर उपकर एक रुपये से बढ़ाकर ४ रुपये प्रतिटन कर दिया गया है। इस वृद्धि का कारण यह बताया गया है कि कोयला भेजने में भाड़ा अधिक लगेगा। इस उपकर बढ़ाने से हमारे औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन व्यय पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि ४ रुपये प्रतिटन की दर से कोयले के अधिकार से प्रतिवर्ष ४ करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है। जहां तक तटीय नौवहन के जरिये कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या किन्हीं गैर-सरकारी कम्पनियों को सहायता देने के बजाय वह स्वयं कुछ जहाज़ खरीदकर कम से कम कोयले का नौवहन कर सकती है, या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

भारतीय चलचित्रों की टैक्नीकल एवं साहित्यिक किस्म को सुधारने के लिये सरकार को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। हिन्दी फिल्मों का स्तर गिर गया है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। फिल्मों की कहानी के नैतिक और सामाजिक प्रभाव को सुधारने के लिये तो कदम उठाये जाने चाहियें।

†श्री अन्सार हरवानी (फतहपुर): कपड़ा उद्योग के बाद देश में फिल्म उद्योग का ही नम्बर है। इस उद्योग के विकास के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय धन्यवाद का भागी है। लेकिन इस क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार देने के अतिरिक्त फिल्म उद्योग की दशा को सुधारने के लिये कोई विशेष काम नहीं किया है। इस उद्योग में बेरोजगारी हद दर्जे की है। हजारों कलाकार परेशान हैं। इसका कारण इस उद्योग में किये जाने वाला सेंसर है। गत कुछ वर्षों में इस उद्योग की काफी उन्नति हुई है। लेकिन फिर भी सेन्सर सम्बन्धी नीति में संशोधन किया जाना चाहिये और इस मंत्रालय को फिल्म उद्योग को ऐसी राय देनी चाहिये कि वह शिक्षा, नैतिक एवं राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अच्छी फिल्म तैयार कर सके। फिल्म की कहानी का पहले से ही सेन्सर किया जाना चाहिये। सरकार को फिल्म बनाने से पहले कहानी की जांच करने के लिये प्रख्यात लेखकों का एक पैनल नियुक्त करना चाहिये। सेन्सर बोर्ड का पुन: गठन किया जाना चाहिये।

†श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप): दारेसलम में एक नया आयोग तथा डकार में एक राजदूतावास खोला गया है निश्चय ही यह प्रसन्नता की बात है। यह अच्छी बात है कि भारत अन्य देशों से मित्रता बढ़ा रहा है।

सिक्किम और भूटान के विकास के लिये जो राशि रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है। वहां पर्यटन का विशेष रूप से विकास किया जाना चाहिये क्योंकि पर्यटन से ही आपसी सम्बन्ध अच्छे होते हैं। वहां जो दर्शनीय स्थल हैं उनका विकास किया जायेगा।

यह तो अच्छी बात है कि फिल्म उद्योग में कलाकारों को पुरस्कार दिये जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिये फिल्मों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। जब कभी पुरस्कार देने का अवसर हो तब नकद इनाम भी दिये जायें।

द्वितीय वेतन आयोग ने फिल्मी कलाकारों के लिये वेतन वृद्धि की सिफारिशें की हैं। सरकार को देखना चाहिये कि ये वेतन उन्हें प्राप्त हों। न्यासों के सम्बन्ध में धर्मस्व आयोग के अतिरिक्त एक और आयोग गठित किया जाना चाहिये। कुछ न्यास कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कानून में संशोधन करके उनके धन का सदुपयोग किया जा सकता है। गुजरात और पंजाब के बैंकों को ले लेने के लिये इन राज्यों को जो मुआवजा दिया जाना है वह स्टेट बैंक आफ इंडिया दे न कि भारत सरकार।

†श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली): पुनर्वास मंत्रालय को डिक्री के फलस्वरूप लोगों को ८७,००० रुपये देने हैं। इससे पता चलता है कि उस मंत्रालय का जनता के साथ ठीक व्यवहार नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये और भविष्य में मुकदमेबाज़ी से बचना चाहिये। यदि सरकार ने सावधानी से काम लिया होता तो वह बहुत सा रुपया बच गया होता जो कि मुकदमेबाज़ी पर खर्च हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास मंत्रालय ने कुछ बस्तियां शरणार्थियों के लिये बनाई थीं। इसके लिये सरकार ने जमीन खरीदी। विकास ट्रस्ट दिल्ली ने यह भूमि १४ आना प्रति गज़ से खरीदी। लोगों ने इस पर आपत्ति की। मामला न्यायाधिकरण तक गया और न्यायाधिकरण ने उसी भूमि का दाम ५ रुपये प्रति वर्ग गज़ निर्धारित किया जो कि ठीक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि पुनर्वास मंत्रालय "न लाभ न हानि" के आधार पर, १४ आने, एक रुपया या पांच रुपये गज़ तक की दर से भी शरणार्थियों को जमीन देती, तो बात समझ में आ सकती थी ; किन्तु वह उनसे २५ रुपये गज़ ले रहा है, जो कि उचित नहीं है। दिल्ली भूमि का सामान्य मूल्य ५ रुपये गज़ है। इस लिये जो मुकदमाबाजी चल रही है, उससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है।

अनुदान संख्या १३ सिक्किम को सहायता देने के बारे में है। हमें अवश्य उसकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सीमान्त प्रदेश है। किन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि वहां जो आन्तरिक अशान्ति है, वह, जहां तक हो सकी कम की जाये।

एक और बात यह है कि सिक्किम के एक भूतपूर्व मंत्री को कालिम्पोंग से प्रचार न करने दिया जाये, क्योंकि इससे भारत और सिक्किम के सम्बन्ध खराब होते हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	५	श्री ले० अचौ सिंह	भूटान और सिक्किम की योजनाओं के लिये साहाय्य	१००
१८	६	श्री ले० अचौ सिंह	सिक्किम और भूटान को मिलाने वाली सड़कों के निर्माण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था	१००
४२	१२	श्री ले० अचौ सिंह	चीनी के निर्यात पर घाटे के लिए साहाय्य	१००
६१	१६	श्री ले० अचौ सिंह	प्रलेखीय फिल्मों का उत्पादन	१००
१३२	२९	श्री ले० अचौ सिंह	आयल इंडिया लि० के हिस्सों में वृद्धि	१००

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : सिक्किम और भूटान सम्बन्धी अनुपूरक अनुदान का हम पूर्णतया समर्थन करते हैं। इस सम्बन्ध में हमें उनके लोगों के पिछड़ेपन को देखते हुए हमें शिक्षा और सड़क परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इनके सीमान्त पर होने वाली हाल की घटनाओं के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। सिक्किम का औद्योगिक विकास करना चाहिए और वहां तांबा जैसे खनिज पदार्थों को, जो वहां पाये गये हैं उपयोग करने में सहायता देनी चाहिए। भारत सरकार को वहां उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में भी सहायता करनी चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अची सिंह]

चीनी उद्योग को आयात का घाटा पूरा करने के लिए जो साहाय्य दिया जाना है, उस के बारे में मैं ने एक कटौती प्रस्ताव दिया है, क्योंकि सवाल यह पैदा होता है कि क्या साहाय्यित निर्यात आवश्यक भी है। यदि हम अन्य चीनी पैदा करने वाले देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते, तो हमें गन्ने की खेती सीमित कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें चीनी का उत्पादन व्यय भी घटाना चाहिए। और देश में चीनी की खपत बढ़ानी चाहिए। यह वितरण पर नियंत्रण हटाने से हो सकता है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांग के सम्बन्ध में, मेरा सुझाव है कि प्रलेखीय शिक्षा सम्बन्धी और बच्चों की फिल्में अधिक बनाई जायें और हर राज्य में दिखाना चाहिए। इनके उत्पादन के मामले में केन्द्र और राज्यों में समन्वय होना चाहिए।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या तेल उद्योग का विकास २०–५० प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा, क्योंकि सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड के ५० प्रतिशत अंश खरीद लिये हैं।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, मैं डिमांड नम्बर ३४ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसका पेज ११ पर जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है : कि सौराष्ट्र और पटियाला के बैंकों के अर्जन से गुजरात और पंजाब के स्कूलों को होने वाली वित्तीय हानि के प्रतिकर के लिये अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। इसके बारे में सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो लास दिया जा रहा है यह एन्युअली दिया जाएगा या सिर्फ इसी साल के लिए है? बैंक आफ पटियाला और दूसरे बैंकों को मर्ज करने के लिये मैंने तजवीज की थी, लेकिन इस बात को नहीं माना गया बल्कि उनको स्टेट बैंक आफ इंडिया के सबसिडियरी बैंक्स बना दिया गया। मेरा खयाल था कि अगर इनको मर्ज कर दिया जाता तो आज इस रुपये के खर्च करने की जरूरत न पड़ती।

इस डिमांड के बारे में यह भी कहा है :

कि राज्य सरकारों को जो प्रतिकर दिया गया था वह बहुत कम है क्योंकि यह बैंकों की आय को ध्यान में रख कर निश्चित नहीं किया गया है जिसका मतलब यह है कि इनको कम्पेन्सेशन इसलिये दिया जा रहा है कि ये दो बैंक जो थे वे स्टेट के बैंक थे। उनको स्टेट बैंक आफ इंडिया का सबसिडियरी बनाने से उनकी इनकम कम हो गयी। उस इनकम को पूरा करने के लिये यह कदम उठाया जा रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बारे में हाउस का सैटिसफैक्शन करेंगे कि इन बैंकों को सबसिडियरी बनाने से क्या फायदा हुआ जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को उनको जो लास सालाना होगा वह देना पड़ेगा।

मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि उनका लास पूरा किया जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लास कोई टेम्पोरेरी नहीं है बल्कि हमेशा के लिए रहेगा। इन दो बैंकों को नेशनलाइज किया और इस डिमांड के पेज १२ पर यह साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि इसलिए यह रुपया दिया जा रहा है क्योंकि ये स्टेट के बैंक थे। तो सबसे पहला मेरा कहना है कि यह लास टेम्पोरेरी तौर पर दिया जा रहा है या एन्युअली क्योंकि उन दो स्टेट्स को इन दोनों बैंकों की इनकम से डिपराइव किया गया है।

अगर हमारा मकसद हमेशा के लिये इस लास को पूरा करना है, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि उनको सबसिडियरी करने से क्या फायदा हुआ। इससे तो बेहतर यह था कि इन बैंकों को मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक आफ इंडिया में मर्ज कर दिया जाता ताकि खर्चा कम होता, लास कम होता और जो लास उन स्टेटों को दिया जाता वह इन बैंकों की आमदनी से ही पूरा हो सकता था।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर ७३ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। सफा १७ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो हिन्दू रैलीजस इनडाउमेंट्स कमिशन मुकर्रर किया गया था और उसने जो रिपोर्ट पेश करनी थी उसमें देरी हो गई है इसलिये उसके खर्च के बारे में ७६ हजार रुपया और दिया जा रहा है।

इसके बारे में मैं हाउस का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है "हिन्दू धर्मस्व आयोग १ मार्च १९६० को स्थापित किया गया था" इसको सैट अप हुए काफी अर्सा हो गया है और मेरी इसके बारे में यह अपील है कि यह कोशिश की जाय कि यह कमीशन जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि आयन्दा और ज्यादा खर्चा इनक्वायरी पर हमें न करना पड़े।

डिमांड नम्बर ७५ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस मिनिस्ट्री को काफी नुकसान इसलिये उठाना पड़ा क्योंकि बहुत से केसेज कोर्ट में चले गये और कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ हुए। मैं किसी खास पार्टीकुलर केस को नहीं लेता लेकिन मेरा अपना यह खयाल है कि यह ज्यादातर नुकसान इसलिए हुआ है कि जो आफिसर्स इसके लिये जिम्मेदार थे उन्होंने नेगलीजेंस बर्त्ती। जो आफिसर्स इसके इंचार्ज थे उनकी नेगलीजेंस की बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान ठीक तरीके से काम करते और जो प्रापरटी औक्शन की गई उस वक्त अगर लोगों को उन तमाम शर्त्तों को साफ तौर से बतला दिया गया होता और उन शर्तों पर स्ट्रिक्टली अमल किया गया होता तो मेरा खयाल है कि इतना लौस न होता। इस किस्म की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जो एक्चुअल रूल्स और रेगुलेशंस् थे उनके बजाय जो आफिसर्स सेल करने वाले थे उन्होंने लोगों को दूसरे रूल्स बतलाये और उन्होंने उस रूल्स के मातहत प्रापरटी खरीदी और जब उनको जमीनें व जायदाद नहीं मिलीं तो उन्होंने कोर्ट्स में केसेज को रैफर किया जिससे कि गवर्नमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस नैगलीजेंस से गवर्नमेंट को जो लास होता है यह एक बहुत सीरियस मैटर है और हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो अफसरान इसके वास्ते जिम्मेदार हों उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाय ताकि इस नुकसान को कम करने की कोशिश की जाय।

†**श्री रमेश प्रसाद सिंह (औरंगाबाद)** : डाकर में एक नये दूतावास तथा दारूस्सलाम में एक नये आयोग का खोला जाना एक ठीक कदम है। आशा है कि ये नये दूतावास उन क्षेत्रों में हमारी विदेश नीति की ठीक प्रकार से व्याख्या करेंगे तथा इस तरह हमारी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे।

आशा है कि लाओस का झगड़ा शीघ्र निपटा दिया जायेगा।

फिल्मों को पुरस्कार उन के मनोरंजन के लिये नहीं बल्कि उन की उत्तमता के लिये मिलने चाहियें। फिल्मों को शिक्षा का माध्यम समझा जाना चाहिये और यह सरकार का कर्तव्य है कि गन्दी या अश्लील फिल्मों को न बनने दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्रीमान यह मेरा सौभाग्य है कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहा है, मैं उस से सहमत हूं। मेरे विचार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कटौती प्रस्ताव पर मांग को बढ़ाने का अनुरोध किया गया हो। मैं श्री भरूचा से सहमत हूं कि भारतीय विधि संस्था भारत के मुख्य न्यायाधिपति के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है और वह संस्था विधि तथा न्यायशास्त्र के अध्ययन के सम्बन्ध में जो अच्छी योजना रखेगी, सरकार की उस के प्रति सहानुभूति रहेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : उन्हें न केवल सहानुभूति बल्कि वित्त भी चाहिये।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : वित्त भी मिलेगा। इस समय हम ने यह निर्णय किया है कि उसे अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष २ लाख रुपये दिये जायें।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय में भी अनुसंधान आवश्यक है। इस संस्था के पास भी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं। इस के लिये हम ने २५,००० रुपये का दान देने की मांग की है। आशा है हम इसे और बढ़ा सकेंगे।

मुझे हर्ष है कि हिन्दू धर्मदाय आयोग अपना कार्य लगभग समाप्त करने वाला है। उन्हों ने आधे से अधिक राज्यों का दौरा कर लिया है और उन्हें आशा है कि वे अपना प्रतिवेदन मार्च १९६२ तक प्रस्तुत कर देंगे। सरकार का इस आयोग की अवधि बढ़ाने का इस समय कोई विचार नहीं है। स्थायी आयोग की स्थापना के सवाल पर इस आयोग का प्रतिवेदन मिलने के बाद विचार किया जायेगा।

अभी पूर्तन्यासों का काम तो आयोग के सामने नहीं है किन्तु जब उस का पहला काम समाप्त हो जायेगा, तो वह इस प्रश्न को भी हाथ में ले लेगा।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं मांग संख्या ४२ संबंधी कटौती प्रस्ताव का उत्तर देना चाहता हूं। मुझे खेद है कि यद्यपि चीनी के निर्यात की नीति की चर्चा की गई थी, चीनी उद्योग की स्थिति ठीक समझी नहीं गई है। चीनी उद्योग की प्रगति पर सदन को गर्व होना चाहिये। पिछले चार वर्षों में हमारा उत्पादन २० लाख टन से ३० लाख टन हो गया है अर्थात ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हम चीनी का निर्यात सदा ही करते रहेंगे।

१९५६-५७ में पहली बार हम ने १।। लाख टन चीनी निर्यात की थी। उस समय किसी घाटे का सवाल नहीं था क्योंकि विश्व मूल्य बहुत ऊंचे थे। उस साल हमारा आन्तरिक उत्पादन भी बहुत सन्तोषजनक था। १९५७-५८ में हम ने लगभग ५०,००० टन निर्यात किया था। उस में जो घाटा हुआ था, वह उद्योग ने उठाया था।

अब मैं वर्तमान अवस्था में आता हूं। इस मौसम में, पहले हम ने एक लाख टन का निर्यात कोटा घोषित किया था, जोकि मलाया और अन्य देशों को भेजा गया है और जिस से हम ने ४.१९ करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त की है। अधिकांश चीनी अर्थात ७१,३५० टन मलाया राज्य संघ को भेजी गई थी और औसत प्राप्ति पौंड ३०-१९-३ थी। मलाया को किये गये निर्यात पर औसत प्राप्ति पौंड ३२-१०-० थी। जैसा कि सदन को मालूम है, घाटा आयोग ने उठाया था। खाद्य और कृषि मंत्री ने एक पहले अवसर पर घोषणा की थी कि आगे जो घाटा होगा वह मुख्यतया सरकार उठायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस घोषणा के बाद अमेरिका को निर्यात करने का प्रश्न उठा था। हमने २ लाख टन निर्यात का कोटा निश्चित कर रखा है, जिस में से १.८७ लाख टन अमेरिका को होगा। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत हमारे पास खुले बाजार में भेजने के लिये १.५ लाख टन का कोटा है और १,१२,५०० टन, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद द्वारा १७.५ कटौती के बाद बच जायेगा, हम किसी भी देश को अपनी इच्छा के अनुसार निर्यात कर सकेंगे। यह निर्यात भारतीय चीनी मिल संस्था के द्वारा किया जायेगा। हम ८३,००० टन बेच चुके हैं और चालू वर्ष में निर्यात के लिये केवल ३०,००० टन बाकी है, जोकि हम मलाया को निर्यात करना चाहते हैं। किन्तु अन्य देशों को भी निर्यात किया जा सकता है।

यद्यपि घाटे का अनुमान ५.५ करोड़ रुपये है, तथापि यह कोई निश्चित राशि नहीं है, क्योंकि इस दौरान में स्थिति बदल सकती है।

उदाहरण के रूप में अमेरिका को निर्यात प० आ० म० के आधार पर किये जा रहे हैं। चूंकि विश्व की मंडी में मूल्य कम हो रहे हैं इसलिये हम यह भी नहीं कर सकते कि मलाया या किसी अन्य देश को निर्यात करने से हमें कितनी आय होगी। फिर भी हम शीघ्र से शीघ्र सदन की मंजूरी लेना चाहते थे। यद्यपि हम यह रकम आकस्मिकता निधि में से खर्च कर सकते थे, हमने यह बेहतर समझा है कि सदन की मंजूरी ले ली जाये।

श्री स० मो० बनर्जी ने पूछा है कि घाटे का अनुमान कैसे लगाया गया है। अनुमान इस प्रकार है। अरेरिका को निर्यात से नौ० प० नि० प्राप्ति लगभग ५६० रुपये प्रति टन होगी जबकि नौ० प० नि० लागत ८०० रुपये प्रति टन होगी। अतः घाटा २४० रुपये प्रति टन होगा। मलाया को निर्यात से नौ० प० नि० प्राप्ति ४१५ रुपये प्रति टन होगी। अतः घाटा १.३ करोड़ रुपये होगा। कुल मिला कर घाटा ५.५ करोड़ रुपये होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उत्पादन शुल्क और गन्ना उपकर पर प्रत्याहृत क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उत्पादन शुल्क १०.७० रुपये तक होगा और गन्ना उपकर लगभग २.०० रुपये होगा।

पूछा गया है कि क्या इतने घाटे पर चीनी निर्यात करना उचित है। अर्थात १२ करोड़ विदेशी मुद्रा पाने के लिये ५.५ करोड़ रुपये का घाटा उठाना।

†**श्री आसर** : यह इस से अधिक है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह उत्पादन शुल्क भी खो रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : उत्पादन शुल्क इस शर्त पर कि यहां आन्तरिक खपत हो सके।

अपनी योजना के लिये हमें 'उत्पादन करो अथवा नष्ट हो जाओ' का नारा सामने रखना पड़ेगा।

इस के अतिरिक्त यदि हम ने चीनी उद्योग में रोजगार का वर्तमान स्थान कायम रखना है, यदि हम चाहते हैं कि गन्ना उत्पादकों को वर्तमान कीमत ही प्राप्त होती रहे। और यह भी चाहें कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

चीनी उद्योग इसी प्रकार चलता रहे और साथ ही साथ हम अधिक से अधिक चीनी का निर्यात भी कर दें तो मेरा निवेदन है कि यह सब बातें एक साथ नहीं चल सकेंगी। एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हम गैर सरकारी निकायों को चीनी निर्यात करने के लिये कह सकते हैं। यदि ऐसा किया जाय तो हमें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। परन्तु इस प्रकार हम विदेशी विनिमय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अतः स्थिति यह है कि हमें चीनी के निर्यात को यथासम्भव अधिकतम मात्रा में करना होगा। यह अच्छा है कि हम कुछ हानि उठा कर १२ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त कर लें। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि ७० प्रतिशत लागत गन्ने के मूल्य के रूप में चली जाती है। और पन्द्रह प्रतिशत उत्पादन व्यय आ जाता है। अतः उपभोक्ता मूल्य का बढ़ाया जाना उचित नहीं है। साथ ही यह भी सम्भव नहीं कि चीनी उद्योग और अधिक हानि उठा सके। इन हालात में समस्या का हल यही है कि सरकार ही इस हानि का भार को वहन करे।

श्री बनर्जी ने प्रश्न किया है कि क्या हम अन्य देशों को चीनी निर्यात नहीं कर सकते? हम ऐसा कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी चीनी निर्यात करने के लिये तत्पर हैं। यद्यपि इस दिशा में कोई सौदा अन्तिम रूप में तय नहीं हुआ, तथापि हम पाकिस्तान को चीनी २३ पौंड की दर पर बेचने को तैयार हैं। ईरान ने हम से चीनी २४ पौंड से भी ऊंची दर पर मांगी थी। परन्तु हम ने उन्हें चीनी देनी ठीक नहीं समझी। यह सन्तोष का विषय है कि हम निर्यात की मण्डी में आ गये हैं।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: इस अनुपूरक-अनुदान की मांग पर मुझे कुछ अधिक नहीं कहना। इस दिशा में काफी स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मुझे तो कुछ एक आलोचनाओं का उत्तर देना है जोकि मंत्रालय के विरुद्ध की गयी हैं। कहा गया है कि लोगों से परामर्श किये बिना ही सिक्किम और भूटान पर व्यय करने के लिये राशि दे दी गई। यह बात बिलकुल गलत है। उपरोक्त दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए काफी व्यापक और सविस्तार चर्चा की गई फिर यह मामला योजना आयोग के स्तर पर भी विचारार्थ भेजा गया। इस के अतिरिक्त दोनों सरकारों के प्रतिनिधि समय समय पर दिल्ली आ कर इस मामले पर भारत सरकार से चर्चा करते रहे। अतः यह कहना गलत है कि इस दिशा में लोगों के सहयोग के बिना कोई निर्णय किये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार परिवहन और संचार को सब से अधिक प्राथमिकता दे रही है। और साथ ही मैं माननीय सदस्यों के इस भय को भी दूर कर देना चाहती हूं कि हम अपनी सीमा के परिवहन और संचार को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो राशि सिक्किम में विद्युत विकास के लिये दी गई है वह काफी नहीं। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि राशि का आवंटन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सम्बद्ध देश में खर्च करने की क्षमता भी है कि नहीं। उपरोक्त क्षेत्रों में तकनीकी प्रवीणता की अभी काफी कमी है। अतः सरकार सारे हालाता पर विचार कर के अभी हाल शनैः शनैः ही नीति अपनाना चाहती है। हालात ही ऐसे हैं कि यदि हम शीघ्रता करना भी चाहें तो नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं और एक अन्य बात की ओर आती हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे विदेशों में स्थित आयोग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे । यह बात बार बार सभा में कही गई है । वास्तविकता यह है कि इस में कोई तथ्य की बात नहीं है । हमारे आयोग विदेशों में बहुत ही सन्तोष-जनक ढंग से कार्य कर रहे हैं । यह बात भी गलत है कि हमारी विदेश नीति का प्रचार विदेशों में सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा । हमारा प्रचार कार्य बहुत सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है । कोई समय था कि पंचशील पर विश्वास रखने वाला भारत एक मात्र देश था, परन्तु आज ३१ तटस्थ देश इस नीति को स्वीकार करते हैं । प्रथम सितम्बर को बैलग्रेड में इन देशों का सम्मेलन हो रहा है । यह सभी देश पंचशील की नीति अपनाना चाहते हैं और इस मामले में हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं । हम ने काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये ३८ पत्रिकायें प्रकाशित की हैं । इंडोनेशिया के सम्बन्ध में १८ पुस्तकायें प्रकाशित की गई हैं । हमारा वैदेशिक प्रचार विभाग हमारे मिशनों को महत्वपूर्ण बातों की पूरी जानकारी देता रहता है । अब हम डाकर और दारुसलाम में अपने दो मिशन खोल रहे हैं । हमें और भी बहुत से देशों की ओर से यह मांग की गई है कि हम उन के देशों में मिशन खोलें परन्तु धन के अभाव से हम ऐसा नहीं कर रहे । मेरा निवेदन है कि हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय के जो भी साधन हैं उन के अनुसार हम बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं । लाओस आयोग को पुनर्जीवित करने के लिये अभी हमारे पास अपेक्षित धन नहीं है ।

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : उपाध्यक्ष महोदय, बार बार दो बातों की चर्चा की गई है । एक यह कि प्रमाणपत्रों के जारी करने के बारे में स्थिति क्या है । दूसरा यह कि दिल्ली में मकान की बिक्री के सम्बन्ध में स्थिति क्या है । मैं इन दो बातों पर प्रकाश डालूंगा ।

प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारे पास साढ़े चार लाख रुपये की कुल सम्पत्ति थी । ढाई लाख के लगभग की निष्क्रान्त सम्पत्ति थी । और लगभग दो लाख की सरकारी इमारतें थीं । इन में से अधिकांश को पहले से ही बेचा जा चुका है । कई एक मामलों में हम ने खरीदने वालों को यह सुविधा प्रदान की है कि वह दूसरों के क्लेमों द्वारा भी सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान कर सकते हैं । यह भी है कि बहुत से मामलों में अभी सारा मूल्य नहीं दिया गया । क्योंकि जो धन दिया जाना है उस की वसूली सात किश्तों में होनी है । अतः जब तक हर मामले की जांच न हो जाये किसी प्रकार के प्रमाणपत्रों का दिया जाना सम्भव नहीं है । फिर भी सरकार इन प्रमाणपत्रों के जारी करने के बारे में सतर्क है । जिन लोगों को क्लेम दिये जाने थे उन की संख्या पांच लाख थी । इन सब को मुआवजा दिया जा चुका है । अब तो केवल ६ हजार को दिया जाना बाकी रहता है । इन पांच लाख लोगों को १६० करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है ।

जिन लोगों को अभी मुआवजा दिया जाना है वह सम्पत्तियों को कब्ज़े में किये हुए हैं । हम उन से किसी प्रकार का किराया इत्यादि नहीं ले रहे । आरजी तौर पर उन्हें कब्जा भी दे दिया गया है । यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मुआवजा देने का कार्य बहुत सा समाप्त होने वाला है । हम अधिक ध्यान विक्रय प्रमाणपत्रों के जारी करने की ओर दे रहे हैं । बहुत से मामलों में वह पहले ही जारी किये जा चुके हैं । तथा शेष के मामलों में हम शीघ्रता से कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : श्री तंगामणि यह जानना चाहते हैं कि फिल्मों के पुरस्कार किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं । ताकि लोग उत्तम से उत्तम फिल्मों का उत्पादन कर सकें । फीचर फिल्मों के लिये हम राष्ट्रपति के पदक के अतिरिक्त २० हजार रुपये निर्माता और पांच हजार रुपये निर्देशक को प्रदान करते हैं । यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री आ० चं० जोशी]

कि निर्देशक को पांच हजार क्यों और निर्माता को बीस हजार क्यों ? बात यह है कि निर्माता का उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है और उसे जोखिम भी अधिक उठाना पड़ता है । दूसरा इनाम १० हजार रुपये निर्माता और २५०० रुपया निर्देशक का होता है । तीसरे इनाम में योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जाता है । इस दिशा में यह भी निवेदन है कि योग्यता प्रमाणपत्र के साथ साथ नकद इनाम के सम्बन्ध में जो सुझाव प्राप्त हुआ है उस पर विचार किया जाना है । अगले इनाम देते समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा । इसी कोटि के तीन इनाम बच्चों सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण के लिये भी दिये जायेंगे ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी प्रश्न उत्पन्न हुए हैं माननीय मंत्री महोदय उन का उत्तर कल देंगे ।

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से पूर्व कि माननीय सदस्य अपने विषय पर अपने विचार व्यक्त करें मेरा निवेदन यह है कि स्थिति की गम्भीरता का ज्ञान रखते हुए किसी भी प्रकार की गर्मजोशी की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । हमें सारा देश देख रहा है अतः जितना भी अधिक से अधिक हम शान्ति तथा तर्क से बात करेंगे उतना ही अच्छा होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह बहुत ही महत्व का विषय है । यह बड़ी उचित बात है कि प्रधान मंत्री महोदय ने इस समस्या के सम्बन्ध में जो अपना वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर विचार किया जाये । मेरा निवेदन है कि पंजाबी भाषी राज्य की स्थापना के प्रश्न पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने बड़े विस्तार से विचार किया था । इस दिशा में उक्त आयोग ने अपेक्षित आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह किया था । उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि पंजाबी भाषी राज्य की मांग का स्वयं पंजाबी बोलने वाले लोगों की ओर से भारी विरोध हो रहा है । उन्हों ने यह भी कहा था कि पंजाबी भाषी राज्य भाषा की समस्या का कोई स्थायी हल सिद्ध नहीं होगा । और इस से मामला सुलझने के स्थान पर उलझ जायेगा । न वाद प्रतिवाद का अन्त होगा और न समस्या ही सुलझेगी । इन परिस्थितियों में राज्य पुनर्गठन आयोग का मत था कि यह प्रस्तावित राज्य परस्पर तनाव को दूर करने के स्थान पर अधिक बढ़ा देगा । यह उन लोगों की राय थी जो देश की राजनीति में जाने पहचाने व्यक्ति थे और जिन्हों ने बिना लाग लपेट के निष्पक्ष भाव से देश की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण किया था । अतः मेरा निवेदन यह है कि पंजाबी राज्य के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें अपने सामने राज्य पुनर्गठन आयोग के विश्लेषण को अपने समक्ष रखना ही होगा ।

मेरी समझ में यह तर्क बिल्कुल नहीं आया कि सिक्खों की मान-मर्यादा तथा हितों की सुरक्षा के लिये 'पंजाबी सूबे की स्थापना आवश्यक है' इस प्रकार की मांग को भाषा सम्बन्धी मांग न समझ कर केवल सिक्ख राज्य की मांग ही समझा जायेगा । इस प्रकार देखने से सारा मामला साम्प्रदायिक रंग पकड़ जाता है। जो लोग पंजाबी सूबे का समर्थन कर रहे हैं वह यह कहते हैं कि हिन्दू और सिक्खों के बीच अच्छे सम्बन्धों की स्थापना होनी चाहिये । यह बड़ी सराहनीय भावना है । परन्तु मेरा कहना है कि क्या इन व्रतों से हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे ? मेरा विचार तो यही है कि ऐसी बातों से केवल साम्प्रदायिक द्वेष ही बढ़ता है । यह भी सत्य है कि पंजाबी सूबे की

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग साम्प्रदायिक आधार पर की जा रही है। और यह भी सत्य है कि इस का विरोध भी इसी आधार पर हो रहा है। और जो तत्व इस का विरोध कर रहे हैं उन का सम्बन्ध भी प्रायः साम्प्रदायिक संगठनों से ही है। हमारे जो मित्र तथा नेता उपवास, अनशन और व्रत कर रहे हैं यह सभा इन सम्मानित मित्रों तथा नेताओं से व्रत भंग करने की अपील करें। हम इन लोगों की जानें बचाना चाहते हैं। जहां मास्टर तारासिंह से अनशन छोड़ने की अपील की जाय वहां स्वामी रामेश्वरानन्द को भी अपना व्रत छोड़ देने को कहा जाय। व्रत अथवा अनशन कर के किसी बात को मनवाना लोकतंत्रीय साधन नहीं कहा जा सकता।

इस समस्या के उल्लेख से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक तथा पूजा के स्थानों को राजनीतिक उद्देश्यों के प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये। हमारा यह कर्तव्य है कि गुरुद्वारों तथा मन्दिरों को धार्मिक प्रयोग के अतिरिक्त और किसी प्रयोग में न लाने दे। इन पवित्र स्थानों को आन्दोलनों का गढ़ नहीं बनने देना चाहिये न ही यहां अपराधियों को आश्रय लेने दिया जाना चाहिये। सरकार के अधिकार जहां समस्त देश पर लागू होते हैं उसी प्रकार यह उपासना स्थानों पर भी प्रभावशाली ढंग से लागू होने चाहियें। प्रधान मंत्री महोदय ने उदारता दिखाते हुए कहा है कि यदि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल हो कि क्षेत्रीय सूत्र सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सरकार इस सम्बन्ध में छान-बीन कराने को तैयार है। मेरे विचार में प्रधान मंत्री का वक्तव्य तर्क संगत है तथा उस में समस्त दृष्टिकोणों का ध्यान रखते हुए स्थित की यथार्थता पर विचार किया गया है। आशा करनी चाहिये कि सरकार तथा प्रधान मंत्री के रवैये का पूरा लाभ उठाया जायेगा और यह सभा सारी बातों पर विचार करते हुए इस ढंग से निर्णय करेगी कि यह अनशन करने वाले नेता अपने अनशन और व्रत तोड़ देंगे।

मेरी यह धारणा है कि यदि जय प्रकाश नारायण का परामर्श मान कर सद्भावना पैदा करने का प्रयत्न किया जाय तो मुझे विश्वास है कि पंजाब की समस्या हल हो सकती है और वहां साम्प्रदायिकता के प्रसार को रोका जा सकता है। शांति होने पर पंजाब के लोग स्वयं ही यह महसूस करेंगे कि वे वास्तव में पंजाबी सूबे में ही रह रहे हैं। सरकार का भी इस दिशा में व्यवहार न्यायोचित तथा दृढ़ होना चाहिये। यदि सरकार एक बार अपने रवैय्ये के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो जाये तो उसे दृढ़ता से काम लेना ही चाहिये। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब के श्रमजीवी जन समह का इस वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन की रुचि केवल विकास की दिशा में ही है। पंजाब का विकास बहुत ही आशातीत हुआ और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। आशा करनी चाहिये कि यह आन्दोलन बन्द होंगे और पंजाब प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—केन्द्रीय): आज पंजाब की जो परिस्थिति है उसका, प्रान्त में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही बुरा प्रभाव होने वाला है। मुझे इस पर खेद है कि प्रधान मन्त्री ने पंजाबी सूबे के प्रश्न पर व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया और इस दिशा में कोई उत्तर-दायित्व पूर्ण नीति नहीं अपनाई। वे अपने इस रवैये पर बड़े कड़े हैं और मास्टर तारासिंह के अनशन के प्रति बहुत ही उदारू है। इससे तनाव, असन्तोष और अशांति के बढ़ जाने की पूरी सम्भावना है। मेरा निवेदन है कि पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में भारत मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। इससे समस्या हल होना सम्भव नहीं। मामला उलझ सकता है।

हमारी नीति तो इस दिशा में बड़ी ही स्पष्ट है। हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में विश्वास रखते हैं। हमारा तो यही आग्रह है कि सरकार को भाषा के आधार पर, पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण की घोषणा कर देनी चाहिये। यही उस राज्य के लोगों की इच्छा है। अब यह प्रश्न कि इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

की मांग के समर्थक अधिकांशतः सिख हैं कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि सिख बहुमत से पंजाबी भाषी राज्य के समर्थक हैं तो यह उनका दोष नहीं है। यह कोई अपराध नहीं है। इस बात का मुझे दुःख है कि पंजाबी हिन्दुओं ने अपनी मातृभाषा को मानने से इंकार कर दिया है। मैं चाहता हूं कि पंजाबी सूबे के मामले में सरकार को केवल कार्यपालिक अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण ही नहीं अपनाना चाहिये। यह तो हमारे द्वारा अपनाई गयी परम्परा के अनुकूल है। यह कहना और सोचना गलत होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के सिद्धान्त को राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दी गयी है। सरकार आज जिस प्रकार पंजाबी सूबे का विरोध कर रही है उसी प्रकार वह पहले पहल आन्ध्र प्रदेश के निर्माण और बम्बई राज्य के विभाजन का भी विरोध करती रही है। परन्तु हमने देखा कि आन्ध्र प्रदेश का भी निर्माण हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का भी निर्माण करना पड़ा। खेद की बात है कि इस दिशा में पंजाब में दमनात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। पंजाब की सरकार दमनात्मक उपायों पर निर्भर कर रही है जो बिल्कुल गलत हैं।

हम अकाली साम्प्रदायिकता की तो निन्दा करते हैं परन्तु हिन्दू साम्प्रदायिकता को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमने तो गुरुद्वारों के दुरुपयोग के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। अकाली लोग यदि कोई गलत बात कहते हैं तो हम उनके विरुद्ध हैं। हम नहीं चाहते कि धर्म और राजनीति को साथ साथ मिलाया जाय, परन्तु भाषा के आधार पर राज्यों में गठन से इंकार करना इस स्थिति में ठीक नहीं है। दमन से हम मांग को कुछ देर के लिये दबा तो लेंगे परन्तु उसे समाप्त नहीं कर सकते। हमें तो हर मामले का निर्णय किसी सिद्धान्त को देख कर करना होता है।

प्रधान मन्त्री ने मास्टर तारासिंह को अनशन समाप्त करने के लिये कहा है। उन्हें यह कहना तो ठीक है कि आप अनशन त्याग दीजिये। परन्तु यह कहना कि अनशन अप्रजातान्त्रिक ढंग है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि उन्हें यह बात भूल ही नहीं जानी चाहिये कि उनके अपने ही दल ने अनशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग में लाना आरम्भ किया था। जब उनका दल स्वयं ऐसा करता रहता है तो उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों को इस प्रकार कह कर बनदाम नहीं करना चाहिए। यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि अनशन से किसी को लाभ नहीं पहुंचता। मैं भी इसी मत का हूं कि मास्टर तारासिंह को अनशन त्याग देना चाहिए। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान मन्त्री को प्रेम और सहानुभूति से पंजाब के लोगों का हृदय जीतना चाहिये।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झझर): यह सोचना गलत है कि प्रधान मन्त्री ने बड़ा ही कड़ा रवैय्या अपनाया है। उन्होंने तो इस दिशा में बड़ा ही सहासपूर्ण पग उठाया है। मैं उन्हें इसके लिये मुबारकबाद देता हूं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि प्रधान मन्त्री ने ही अकाली नेता से अनशन त्याग देने की अपील करके उनसे बातचीत करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया है वह कोई भी प्रजातन्त्र शासन कर। अतः यह स्पष्ट ही है कि यदि कोई अनहोनी बात होगी तो इसका उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री पर न होकर उन अकाली नेताओं पर होगा जो कि अनशन कर रहे हैं। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विरोधी दलों द्वारा आज जो पंजाबी सूबा अथवा अकाली दल की मांगों का समर्थन किया जा रहा है उसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य है। इसका लाभ उठा कर कुछ राजनीतिक दल अपने आप को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अकालियों ने जिस ढंग से आन्दोलन चलाया है उससे उन्होंने भाषाभाषी राज्य की मांग को जो कि बिल्कुल असाम्प्रदायिक मांग है, एक साम्प्रदायिक मांग बना दिया है। मेरा आश्चर्य तो यह है कि मास्टर तारासिंह पंजाबी सूबा पंजाबी भाषा की रक्षा

†मूल अंग्रेजी में

के लिये नहीं बनाना चाहते वरन् वह तो इसका निर्माण कुछ ऐसी शिकायतों को समाप्त करने के लिये चाहते हैं जो कि बिल्कुल निराधार और काल्पनिक है। अकालियों का यह कहना बिल्कुल गलत है कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। पंजाबी सूबे की मांग जिस ढंग से प्रस्तुत की जा रही है वह बिल्कुल साम्प्रदायिक है और उसे मान लेने के बड़े गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। पंजाब के लोगों को १९४७ का काफी अनुभव है और वे इस प्रकार की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं कर सकते।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो नेता अनशन कर रहे हैं आखिर इन्होंने देश की स्वतन्त्रता के बाद देश के लिये क्या कुछ किया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को अकाली नेताओं से अनशन त्याग देने की अपील नहीं करनी चाहिये। उसे तो जनता को अपनी बात समझा देनी चाहिये ताकि आने वाले आम चुनाव में ये लोग जनता को मूर्ख बना कर अपना उल्लू न सीधा करते रहें।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब स्पीकर साहब, प्रधान मंत्री जी ने पंजाबी सूबे के बारे जो बयान दिया था आज उस पर बहस हो रही है। लेकिन उस पर कुछ कहने के पहले मैं पंजाब में पिछले दस पांच साल में जो हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पंजाब में हमेशा से यह हाल रहा है कि जो लोग ठीक ढंग से वहां की पालिटिक्स में अपनी जगह नहीं बना सके और ताकत हासिल नहीं कर सके उन्होंने एजीटेशन किया है। उस एजीटेशन को अगर आज एक आदमी खत्म करता है तो कल दूसरा शुरू करता है। पंजाब की सरकार ने इन तमाम एजीटेशन्स का बड़ी मजबूती से मुकाबला किया है। और वहां की सरकार से ज्यादा मैं वहां के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इन दस सालों में कभी इन एजीटेशन्स की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने सूबे को अपनी मेहनत से खुशहाल बनाने में लगे रहे। अगर यह एजीटेशन असली होता तो पंजाब का सूबा कभी खुशहाल नहीं हो सकता था।

वहां कैफियत यह है कि अगर एक आदमी अपना असर बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं पांच हजार लोगों को गिरफ्तार कराऊंगा तो दूसरा कहता है कि मैं १५ हजार लोगों को गिरफ्तार कराऊंगा। लेकिन इसके बावजूद पंजाब के लोगों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। आज पंजाब की खुशहाली का थरमामीटर यही है कि आप देखें कि न सिर्फ वहां के लोगों ने पंजाब को अपनी मेहनत से खुशहाल बनाया है बल्कि हिन्दुस्तान के जिस हिस्से में भी वे गये हैं वहां उन्होंने अपने आपको अपनी मेहनत से खुशहाल बना लिया है।

जहां तक पंजाब के मसले का ताल्लुक है यह कोई इतना सादा मसला नहीं है जितना प्रोफसर एच० एन० मुकर्जी ने पेश किया। उन्होंने कहा कि आन्ध्र में यही हुआ, लेकिन आन्ध्र में एक ही भूख हड़ताल हुई थी लेकिन जहां तक पंजाब का मसला है तीन भूख हड़तालें हो रही हैं। एक कहता है अगर मानोगे तो मैं मरूंगा, दूसरा कहता है कि अगर नहीं मानोगे तो मैं मरूंगा। इसलिए पंजाब का मसला कोई उतना साफ नहीं है और इतना आसान नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया कि यह प्रिंसिपल है और दूसरे ने उसको मान लिया। जो लोग पंजाब के बारे में इस तरह की बातें करते हैं उनकी वहां कोई ताकत नहीं है और वह वहां अपना असर कायम करना चाहते हैं। कुछ पोलीटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, जिसका पंजाब में एक मेम्बर नहीं है। ये लोग सही ढंग से वहां नहीं पहुंच सकते तो कोशिश करते हैं कि किसी गलत आदमी के जरिए वहां अपना असर कायम कर लें। इसलिए मैं कहता हूं कि पंजाब का मसला बहुत कम्पलीकेटेड है। आज उसके लिए तीन भूख हड़तालें हो रही हैं, एक दिल्ली में और दो पंजाब में। इसलिए यह मसला

[सरदार इकबाल सिंह]

इतना आसान नहीं है कि यहां पर एक प्रिंसिपल लागू कर दिया जाय कि मसला हल हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे इस मसले की गहराई तक नहीं पहुंचे हैं या पोलीटिकल वजूहात से उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते ।

जहां तक मास्टर जी का सवाल है उन्होंने सबसे पहले रीजनल फारमूले को माना और बाद को कह दिया कि वह ठीक काम नहीं करता। पहले तो उन्होंने उस फारमूले को दिल्ली में मान लिया लेकिन अमृतसर जाकर कह दिया कि वह ठीक नहीं है। आज वह कहते हैं कि रीजनल फारमूला ठीक तरह काम नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशनल गारंटी धीरे धीरे ग्रो होती हैं और कनवेंशन आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। यह रीजनल फारमूला सन् १९५७ में बना और पंजाबी रीजनल कमेटी की ३३ मीटिंग्स हुईं और हिन्दी रीजनल कमेटी की ५७ मीटिंग्स हुईं और सारे फैसले यूनानिमस हुए सिर्फ एक को छोड़ कर जिसका फैसला गवर्नर ने किया। इस फारमूले के जरिए पोलीटिकल बैलेंस रह सकता है, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, लेकिन मास्टर जी तो पोलीटीकल पावर हासिल करने के लिए इस फारमूले को नहीं मानना चाहते। अब वह पंजाबी सूबे की बात करते हैं। हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले वह आजाद पंजाब की बात करते थे। उसके बाद पंजाबी सूबे की बात करने लगे। कुछ दिनों के लिए इस चीज को उन्होंने छोड़ दिया था, अब फिर उसको कहने लगे हैं। इस तरह से वह अपनी पोलीटिकल पावर बढ़ाना चाहते हैं और प्रोफेसर मुखर्जी कहते हैं कि उसूल ठीक है और उसको मान लेना चाहिए चाहे वह गलत आदमी की तरफ से ही क्यों न आये। उनका कहना है कि उसूल ठीक है इसलिए उसे मान लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पंजाब के लोग उसको मानने को तैयार नहीं हैं।

आज पंजाब में हालत यह है कि जो लोग पंजाबी सूबे का नारा लगाते हैं वे गुरुद्वारों से यह आवाज बुलन्द करते हैं और जो उनकी मुखालिफत करते हैं वे भी मंदिरों से उसकी मुखालिफत करते हैं। यह सिर्फ फिरकापरस्तों की मांग है जो कि इस तरह अपनी पोलीटिकल पावर बढ़ाना चाहते हैं। इन हालात को नजरन्दाज करते हुए आज यहां कहा जा रहा है कि जो उसूल बाकी जगह लागू किया गया उसको पंजाब में भी लागू किया जाना चाहिए। यह मांग फिरकापरस्त लोगों की तरफ से की जा रही है और इसकी मुखालिफत भी दूसरे फिरकापरस्त कर रहे हैं। वे इस तरह से एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। आप देखें कि जो लोग पंजाबी सूबे की मांग करते हैं वे फिरकापरस्त हैं और जो काउंटर एजीटेशन चला रहे हैं वे भी फिरकापरस्त हैं। अगर इन फिरकापरस्तों की मांग को मान लिया गया तो पंजाब को फिरकापरस्ती के समुन्दर में डुबो देने के बराबर होगा।

जो पंजाब की पालिटिक्स को जानते हैं वे कह सकते हैं कि वहां पर एक फिरकापरस्त जमाअत दूसरी को मज़बूत करने की कोशिश करती है। जनसंघ मास्टर जी की पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करता है और मास्टर जी जनसंघ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पंजाब के आम लोग इस एजीटेशन से अलग हैं और अपने सूबे की तरक्की में लगे हुए हैं। ये फिरकापरस्त जमाअतें कोई न कोई एजीटेशन जारी रख कर अपने को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि जब तक पंजाब में लड़ाई नहीं होती तब तक न अकाली मजबूत हो सकते हैं और न कोई दूसरी फिरकापरस्त जमाअत।

अगर मास्टर जी पंजाबी सूबा बनाना चाहते हैं तो उनको इसके लिए सही तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने पिछले १५ वर्षों में एक बार भी नहीं की । अगर वह पंजाबी सूबा बनाना चाहते थे तो लोगों को अपने साथ लेते लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते । यह उनका मकसद नहीं है । पिछले ४० सालों में मास्टर जी ने निगेटिव पालिटिक्स को अपनाया है । जो चीज हो उसकी मुखालिफत करते हैं और इसी तरह से अपनी पोलीटिकल पावर बनाना चाहते हैं । और अपनी पोलीटिकल पावर पंजाब में कायम करने के लिए कुछ दूसरी पार्टियां जैसे स्वतंत्र पार्टी, पंजाब के मामलों में दखल दे रही है । मास्टर जी की पंजाबी सूबे की मांग फिरकापरस्ती पर बेस्ड है और वही उनका एप्रोच है । इसको मान लेने से न सिर्फ पंजाब का नुकसान होगा बल्कि इसको मान लेने से सब से ज्यादा सिखों को नुकसान होगा । मैं ने कभी मास्टर जी की पार्टी की राय से इत्तिफाक नहीं किया, न उस पार्टी का मेम्बर बना, लेकिन पंजाब के मसले को दो किस्म के आदमी दो तरह से देखते हैं और इसी से यह एजीटेशन हो रहा है ।

जहां तक सिखों का सवाल है । मैं तो समझता हूं कि पारसियों को छोड़ कर हिन्दुस्तान के दूसरे लोगों में सिख सब से ज्यादा खुशहाल हैं क्योंकि वे मेहनती हैं । वैसे तो पंजाब के सब लोग ही मेहनती होते हैं और उनमें भी सिख खास तौर से ज्यादा मेहनती हैं और इसी लिए वह अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहते । किसी तरक्की याफ्ता कम्युनिटी के लिए किसी प्रोटेक्शन की मांग करना उसूल के खिलाफ होगा । यह कहना सही नहीं है कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है । इसका सबूत यह है कि जिन चीजों में कोई पाबन्दी नहीं है उनमें आज सिख हिन्दुस्तान में सबसे आगे हैं । जिन कामों के लिए लाइसेंस नहीं है उनमें सिख सब से आगे हैं । जब से छोटी इंडस्ट्रीज पर से लाइसेंस हटा है आप देखें कि सिखों ने सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज लगायी हैं । यह कहना बिलकुल गलत है कि किसी भी क्षेत्र में सिखों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है । कंट्रैक्टर्स, प्रोफेसर्स या किसी भी लाइन को ले लीजिये किसी भी कम्पटीशन में सिखों के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता है । मैं तो यह कहने के वास्ते तैयार हूं कि सिख हर एक स्फियर में फारवर्ड हैं और कम्पटीशन में किसी से भी पीछे नहीं रहते हैं । अब ऐसे लोग जोकि इस तरह का ऐतराज करते हैं कि सिखों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है और यह कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बर्ता जा रहा है दरअसल उनके मन में कुछ और चीज है और वह यह चीज अपनी पोलिटिकल पावर बनाने के लिए कहते हैं और भोली भाली जनता को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं । अब जो उन से कहा जाता है कि वह अपने इस चार्ज के सबूत में स्पैसिफिक इंस्टांस दें तो वह तो देने वाले नहीं हैं क्योंकि उनकी पिछले ४० साल की पालिटिक्स इस ढंग से चली है कि एक प्राबलम पैदा कर दो और उसको कभी ऐक्स्प्लेन न करो । अब स्पीकर साहब, हम उनके साथ लड़े हैं, हम उनके साथ रहे हैं और हम उनकी पालिटिक्स से बखूबी वाकिफ हैं और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मास्टर तारासिंह ने जो यह कहा है कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वह सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है ताकि पंजाब के सीधे सादे देहाती सिखों को वह बहका सकें और वह समझने लगें कि वाकई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है । अब उन बेचारे देहाती भाइयों को न आसाम का पता है और न बम्बई के हालात का पता है । मास्टर तारासिंह का यह चार्ज बिलकुल गलत है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सिखों ने अपनी हिम्मत से हर एक लाइन में काफी तरक्की की है और सब जगह अपनी एक खास पोजीशन बनाई हुई है और उन्हें किसी किस्म के रिजरवेशन या सेफगार्ड की जरूरत नहीं है । उनको इस बारे में किसी किस्म की इनक्वायरी बैठाने की भी जरूरत नहीं है । मास्टर तारासिंह और अकाली पार्टी जो सिखों के साथ भेदभाव होने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वह महज जनता को

[सरदार इकबाल सिंह]

गुमराह करने और पोलिटिकिल पावर हासिल करने के लिए कर रहे हैं। यह सब बातें एलेक्शंस जीतने के लिए की जा रही हैं। अब मास्टर तारासिंह की पंजाबी सूबे की डिमांड और एजिटेशन के खिलाफ जो अनशन चलता है और स्वामी रामेश्वरानंद का फास्ट चल रहा है तो उसके पीछे भी वही एलेक्शंस जीतने और पोलिटिकिल पावर हासिल करने की मंशा है। वह सोचते हैं कि स्वामी रामेश्वरानंद मर जांय तो हम हरियाना में चुनाव जीत लेंगे।

अकालियों की पंजाबी सूबे की मांग के वास्ते भूख हड़ताल और उसके बरखिलाफ जो भूख हड़तालें चल रही हैं उसके पीछे यही कम्युनल एप्रोच काम कर रही है और पोलिटिकल पावर हासिल करने के लिए काम में लाई जा रही है। अब मुझे यह कहने दिया जाय कि यह दोनों पार्टियां निगेटिव पालिटिक्स पर जिंदा रहना चाहती हैं।

अभी मेरे भाई श्री मुकर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पंजाबी सूबे की हिमायत की और सरकार से अपील की कि इंसाफ का तकाजा है कि सिक्खों को पंजाबी सूबा दिया जाय। मैं उनसे सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि अगर वाकई वह समझते थे कि अकालियों की पंजाबी सूबे की मांग ठीक है तो यह सिख स्टेट और पंजाबी सूबे की मांग कोई आज की मांग थोड़े ही है आज से १० साल पहले उन्होंने यह चीज क्यों नहीं कही कि उनकी सिख स्टेट की मांग जायज है लेकिन आज जब मास्टर तारासिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं और कम्युनिस्ट भाइयों ने यह समझ कर कि मौका अच्छा है और इसका फायदा उठा कर पंजाब में पोलिटिकिल पावर हासिल की जा सकती है उन्होंने आज पंजाबी सूबे की हिमायत करनी शुरू कर दी है। हमारे कम्युनिस्ट भाई हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जैसे भी हो उलटे सीधे पोलिटिकिल पावर हासिल की जाय और पंजाब में पोलिटिकिल पावर हासिल करने के लिये उन्होंने मास्टर तारासिंह जब भूख हड़ताल कर रहे हैं तब पंजाबी सूबे की उन्होंने हिमायत करनी शुरू कर दी है और वह यह समझ रहे हैं कि अगर मास्टर तारासिंह इसमें मर भी गये तो उनकी तो पोलिटिकल पावर पंजाब में बढ़ेगी ही।

आज जरूरत इस बात की है कि हम पंजाब में इक्युलिब्रियम कायम रक्खें और पंजाब के सब बाशिन्दों में एक अंडरस्टैंडिंग हो। आपस में भाई भाई का माहौल हो। पंजाब लिंगविस्टकली तकसीम नहीं हो सकता पोलिटिकली तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि पंजाब में हरियाना रीजन भी है जहां कि हिन्दू काफी तादाद में हैं। हकीकत यह है कि पंजाब लिंगविस्टकली, पोलिटिकली या एकोनामिकली किसी भी तरह से तकसीम नहीं हो सकता है। अब हालत यह है कि एक ही घर में एक भाई सिख है तो दूसरा हिन्दू है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत के रहते यदि पंजाब को तकसीम किया जाता है तो यह मुल्क में सब से बड़ी ट्रेजडी होगी। अब जब एक ही बाप के दो लड़कों में एक सिख है और दूसरा हिन्दू है तो उनको कैसे तकसीम किया जा सकता है? वक्त का तकाजा यह है आज जो इस तरह की फिरकापरस्ती की बातें करते हैं और निगेटिव पोलिटिक्स चलाते हैं उनके जहरीले असर से अवाम को बचाया जाय। इस मौके पर मैं आपके जरिए और इस हाउस के जरिए पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वह यह पोलिटिकल ट्रैजिडी न होने दें और जो इक्युलिब्रियम पालिटिक्स में मौजूद है उसको और इम्प्रूव किया जाय।

मैं तो समझता हूं कि पंजाब की लैंग्वेज का सही हल वही है मैं जो कि सन् १९४८ में बना था और जो कि सच्चर फारमला के नाम से मशहूर है। वह इस पंजाब की लैंग्वेज प्राब्लम का सही हल था और उसमें कहा गया था कि माइनारिटी और मैजारिटी लैंग्वेज दोनों पढ़ायी जायें। आज के माहौल में मैं समझता हूं कि वह सब से बहतर हल है और इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग आयेगी। इस

अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिये जो भाई कोशिश करेंगे वह पंजाब की सेवा करेंगे लेकिन जो भाई ऐसा न करके उलटे प्रोवोकेशन करेंगे वह पंजाब का अहित ही करेंगे। आज हर एक देशवासी का और पंजाबी का जो कि फिरकापरस्ती के खिलाफ है उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह आज जो बदकिस्मती से फिरकापरस्ती की जंग चल रही है उसका मुकाबला करे और उसको पैर न जमाने दे। अलबत्ता अगर कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों की म्युचुएल गुडविल से हो सके और जिसमें कि पंजाब के लोगों, पंजाब और देश का भला हो तो वह कर लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि हम सिक्ख लोग किसी किस्म का प्रोटेक्शन या सेफगार्ड नहीं चाहते हैं और न ही कोई इस बारे में इनक्वायरी चाहते हैं कि सिक्खों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।

मैं और ज्यादा न कहते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाबी सूबे के बारे में जो स्टटमेंट दिया है उसका मैं पूरे तौर से समर्थन करता हूं।

श्री अजित सिंह (भटिण्डा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : जनाब स्पीकर, बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था वह मेरे भाई दौलता जी और सरदार इकबाल सिंह ने कह दी हैं। अब मैं फकत कुछ थोड़ी सी बातों की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आपने ठीक ही कहा है कि कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी किस्म की गलतफहमी बढ़े मगर जनाबवाला जो फैक्ट्स हैं और हिस्ट्री है वह मैं आपकी इजाजत से यहां बयान करना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि अकाली पार्टी ने मास्टर तारासिंह की लीडरशिप के मातहत, जिस तरह मुस्लिम लीग ने मिस्टर जिन्ना की लीडरशिप के मातहत पाकिस्तान बनवाया उसी तरह से वह यह अकाली पार्टी एक सिक्ख राज्य और पंजाबी सूबा बनवाने के लिये आन्दोलन कर रही है। अकाली पार्टी ठीक मुस्लिम लीग के कदमों पर चलती हुई अवाम को गुमराह कर रही है और उनको सिक्ख स्टेट के ख्वाब दिखा रही है। पीछे दो मर्तबा गुरुद्वारा एलेक्शंस् हुए और हालांकि वह धार्मिक एलेक्शंस् थे लेकिन उनमें उन्होंने यह पंजाबी सूबे का ईश्यू घुसेड़ दिया और इस तरह से पंजाबी सूबा जो कि एक पोलिटिकल ईश्यू था उसको उन्होंने गुरुद्वारा एलेक्शंस् जो कि धार्मिक थे उसमें शामिल कर दिया। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यह लोगों में कम्युनल सैंटीमेंट राइज करने और उनको कम्युनल बनाने की एक चाल थी। गुरुद्वारों में दो दफे मोर्चेबाजी शुरू की गई। अब गुरुद्वारे में इस तरह की मोर्चेबाजी जमाना और वहां से एजिटेशन चलाना सिक्ख रवायात के खिलाफ है लेकिन इस तरीके से वहां यह व्रत और फास्ट्स रक्खे गये। अब सिक्ख रैलीजन और ट्रैडीशंस् तो यह कहते हैं :—

"छोड़ै अन्न करै पाखंड, न सुहागन न ओरंड"

गुरुद्वारे और गुरुग्रन्थ साहब जिसकी कि हम पूजा करते हैं और उससे जो हमें शिक्षा मिलती है मास्टर तारासिंह ने ऐन उसके खिलाफ अमल किया है।

अब मैं आपको थोड़े में पंजाबी सूबे की बैकग्राउन्ड बतलाना चाहता हूं। यह तो बिल्कुल साफ चीज है कि यह खालिस कम्युनल डिमांड है।

सन् १६४२ में मास्टर जी की लीडरशिप के मातहत आजाद पंजाब का मतालबा किया गया था और उसको करने का मतलब यह था कि जैसे मुस्लिम मैजारिटी एरियाज के वास्ते पाकिस्तान बनाया जाय उसी तरह से हम पंजाबी सूबा बनायें और वहां पर अकाली पार्टी का बोलबाला हो।

[श्री अजित सिंह]

१९४६ में जब कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान आया और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लारेंस हिन्दुस्तान आए पार्लियामेंटरी डेलीगेशन को लेकर तो अकाली पार्टी ने सिख स्टेट की डिमांड पेश की और यह इस वजह से की कि पहले वाली जो उनकी डिमांड थी एक आजाद पंजाब की, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उस चीज़ को उन्होंने खत्म कर दिया। वह चीज़ जो थी वह अपनी मौत खुद मर गई। अब इन्होंने डिमांड पेश की कि एक सिख स्टेट चाहिए। अगर इस नारे को वे आज भी कायम रखते तो कोई मुगालिते में नहीं रहता और हो सकता है कि इनको सिख स्टेट मिल जाती। लेकिन चूंकि इन्होंने—गड़बड़ी की, पर्दे के पीछे रह कर कुछ और ही किया, किसी और ही ढंग की बात बनाई, इस वास्ते कुछ भी नहीं हुआ। धोखेबाजी और ठगी की बिना पर ही वे यहां तक आए हैं।

२५ मार्च, १९४७ को लुधियाना में एक कान्फ्रेंस हुई और उसके मास्टर जी प्रधान थे। वहां इन्होंने एक नई काढ़ निकाली जिसका नाम रखा गया पंजाबी सूबा। पहले उन्होंने यह कहा था कि सैपरेट आटोनोमस यूनिट हमको चाहिये और इस मांग को बाद में पंजाबी सूबे में तबदील कर दिया गया। यह स्टेट लैंगुएज की बिना पर बननी चाहिये। अब उन्होंने अपनी डिमांड को लैंगुएज की शक्ल में तबदील कर दिया। यह सब इतिहास है जो मैं दोहरा रहा हूं। लैंगुएज की शक्ल में यह डिमांड कुछ ऐसी शक्ल धारण कर गई जिससे हिन्दू और सिखों में कुछ फर्क पड़ने लग गया।

१९४९ में गवर्नमेंट ने यह बात मान ली कि इनकी बोली को जरूर तकवियत देनी चाहिये और तब सच्चर फार्मुला अम्ल में आया। १९४९ में सच्चर फार्मुले के मातहत पंजाबी जबान को काफी ताकत मिली और गवर्नमेंट ने पंजाबी जबान के मुताल्लिक तकरीबन तकरीबन सारी बातें मान लीं। अभी अभी हमारे नेता ने इस पार्लियामेंट में बयान दिया है कि पंजाबी के मुताल्लिक लैंगुएज के मुताल्लिक अगर कोई शिकायत हो या कोई बात हो तो वह उसको कंसिडर करने के लिये और मानने के लिये तैयार हैं। इसके बारे में कोई भी भाई, चाहे अकाली भाई हो या कम्युनिस्ट भाई हो या कोई दूसरा हो इस किस्म की बात को लेकर पंडित जी के पास आ सकता है और वह उसको कंसिडर कर लेंगे।

इस सब से यह साफ जाहिर हो जाता है कि सूबा कहां से चला था। १९४२ से चलकर अब यह १९६१ में आ गया है। यह बोली की बात थी। बोली की बात खत्म हुई। अब मैं आपके सामने सन्त फतेह सिंह की स्टेटमेंट को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कहते हैं कि बोली पर क्यों हम लड़ रहे हैं और इसको लेकर वह लोगों में बोलते और प्रचार करते हैं कि जो हमारी मातृभाषा है उसको यह कांग्रेस गवर्नमेंट नुक्सान पहुंचा रही है। सन्त फतेह सिंह महाराज कहते हैं कि हम हरियाणा वालों पर पंजाबी थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रह कर अपनी भाषा, संस्कृति और राज्य का विकास करें।

जैसे दौलता साहब ने कहा है कि नौ जिलों में वह इस भाषा को लिमिट करना चाहते हैं। ऐसा कांग्रेमैन नहीं बल्कि सिख सोचते हैं कि इन्होंने सिखों को बहुत नक्सान पहुंचाया है उनकी बोली को वे बहुत नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं यह कह कर कि इसको नौ जिलों में लिमिट कर दिया जाए। यह बोली हमारी सारे पंजाब में रायज थी, सब जगह पढ़ी जाती थी और उसको इन्होंने हलाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम पंजाबी सूबे की डिमांड को अपोज़ क्यों करते हैं ? हम इसको इस वास्ते अपोज़ करते हैं कि यह प्योरली कम्युनल डिमांड है। सिर्फ अकाली पार्टी ने इसको उठाया

है। लोकतंत्र का सिद्धान्त यह है कि लोगों की इच्छा का ध्यान सबसे पहले रखा जायेगा। पहला कंसिड्रेशन लोगों की बात का होना चाहिये। जब हिन्दू सिख और वहां के रहने वाले सभी लोगों की तरफ से यह डिमांड की जाए तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट विल नाट स्टैंड इन इट्स वे।

मैं समझता हूं कि इस सूबे की जो बैकग्राउंड है वह भी साउंड नहीं है। यह पता चलता है कि यह प्योरली कम्यनल डिमांड है। इकोनोमिकली, पोलिटिकली और कल्चरली हमारा बहुत नुकसान होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सिख एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव कौम है, जफाकश और मेहनतकश कौम है। यह कौम इतनी ताकतवर और मजबूत है कि वह सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैल गई है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बतायें कि क्या कोई भी आन्ध्र से हमारे पंजाब में आदमी आया है और वहां आकर बिजिनेस करता है या गाड़ी का ड्राइवर है या किसी ने वहां आकर इंडस्ट्री लगाई है ? मैं समझता हूं कि कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जबकि पंजाबी सभी जगह छा गये हैं। मैं चाहता हूं कि मुखर्जी साहब भी मुझे इसके बारे में कुछ बतायें जिन्होंने पंजाबी सूबे की हिमायत की है . . .

अध्यक्ष महोदय : कई लोग हैं।

श्री अजित सिंह : नहीं जी। सिख खाता पीता है, वैल-टु-डू आदमी है और इस वजह से मैं समझता हूं कि वह बाहर बिजिनेस में चला गया है, बाहर उस ने जमीन ले ली है, बाहर उस ने ट्रांस्पोर्ट बिजिनेस शुरू किया है। सरदार बलदेवसिंह ने जमशेदपुर में बड़ा लोहे का कारखाना लगाया है। अगर आज पंजाबी सूबा बन जाता है तो क्या असर होगा इस पर भी आप ज़रा विचार कर लें। नैचुरली गांव में जो रहने वाला है, जो अनपढ़ है, जो बेसमझ है उस का सोचने का ढंग बिगड़ जायेगा। और इस हद तक बढ़ जायेगा कि वह समझने लग जायेगा कि पंजाबी सूबा उसी तरह से बना है जिस तरह से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बने थे। उस के दिल में आज यह है कि हमें खुशी से किस बनिये की दुकान कब लूटनी है, कब आसपास के फलां बनिये की लड़की को उठाना है, और किस हरिजन की बीवी बेटियों को तंग करना है। इस तरह की बातें उन के दिलों में हैं। इस वास्ते भी हम इस का विरोध करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि यह चीज़ हो।

जनाब स्पीकर साहब, मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं थोड़ा सा मास्टर तारासिंह जी का शौर्ट स्केच आफ लाइफ बता सकूं। २०-२५ साल से उन की लीडरशिप को हम देख रहे हैं। बहुत सी बातें है जिन से उन के रिएकशनरी होने का पता चलता है। उन का रोल कम्युनल रहा है, एंटीनेशनल रहा है और फुल आफ कंट्रेडिकशन अपनी बातों में वह रहे हैं। ये चार बातें इन बातों की सपोर्ट में मैं तफसीलवाइज़ आप के सामने अर्ज़ करना चाहता हूं।

१९४२ में सारे हिन्दुस्तान में जबकि लोग अंग्रेज़ इम्पीरियलिस्टों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ रखी थी उस वक्त मास्टर जी ने नौजवानों को और सिखों को हुक्म दिया कि जाओ और फौज में भरती हो जाओ और ब्रिटिश हुकूमत की मदद करो। यह मैं समझता हूं उन का एंटी-नैशनल रोल था।

आई० एन० ए० और २१ नम्बर रसाले वाले देशभक्त जिन्होंने देश के लिये कुर्बानियां कीं, देश के लिये जोरदार लड़ाई कीं, उन के खिलाफ मास्टर जी ने बयान दिये और कई लोगों को फांसी हुई और कइयों को काले पानी भेजा गया।

[श्री अजीत सिंह]

१९४२ में ही अंग्रेजों के साथ मिल कर इन्होंने कांग्रेस की मुखालिफत की और सर सिकन्दर हयात खां की यूनियनिस्ट गवर्नमेंट के साथ मिल कर काम किया। सूबा सरहद में मुस्लिम लीग के साथ मिल कर एक मिनिस्टर अपना कायम किया और वह आज यहां बैठे हुए हैं और वह हैं सरदार अजित सिंह जी सरहदी ।

१९४७ में इस के एवज़ाने के तौर पर मास्टर जी को अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दावत दी ११ नम्बर प्लैटून नौशेरा केंट में। १९४७ में जबकि सब नैशनल लीडर्ज़ पर बैन लगा हुआ था और कोई आदमी किसी कैंट में नहीं जा सकता था, किसी छावनी में नहीं जा सकता था तो मास्टर जी का उन्हों ने स्वागत किया और इस के सबूत के तौर पर मैं ये फोटो पेश करना चाहता हूं। इस फोटो में मास्टर जी को तलवार भेंट की गई। ये तीन चार जो फोटो हैं ये अखबारों की हैं और मैं इन को टेबल पर रखने के लिये तैयार हूं। यह है १ मार्च, १९४७ का फौजी अखबार। दूसरा है सन् १९५० का। जब सारा हिन्दुस्तान बड़ा खुश था कि हम ने कांस्टिट्यूशन बनाया है, और सारे देश में दीवाली मनाई जा रही थी जबकि मास्टर जी ने और अकाली पार्टी ने ८ जनवरी को उस का बायकाट किया और यह कहा कि हम तो इस वक्त मातम करते हैं क्योंकि हमें नुक्सान पहुंचाता है यह इंडियन कांस्टिट्यूशन। उन का यह मूव ऐन्टी नेशनल था।

> "एक होर मते राहीं संगता पास अपील कीती गई के ओ २६ जनवरी मनाये जा रहे आजादी दिवस बिच कोई हिस्सा न लैण। सगों उस दिन अपने जज़बात दसन लई प्रोटेस्ट व जूं जलसे करण अदे प्रगट करण कि कांग्रेस ने साडे नाल कीते करार नूं छिके ते टंग देता।"

यह है वह बयान जो उन्हों ने कांस्टिट्यूशन के विरोध में दिया। सन् १९५४ में जब मास्टर तारासिंह विलायत गये तो जो उन का एक निजी और खास अखबार है उस के एडिटर को उन्हों ने एक चिट्ठी लिखी :–

> "मैं अपने देश दे हाकमां विरुद्ध प्रोपैगेन्डा करण नहीं जा रेया, पर परदेसियां नाल किदरे गल्ल तां करनी ही पवेगी। इस कर के मैं सोच रयां हां किस तरह दे गल्ल बात करां जिस नाल साडे मौजूदा हाकमां दे हथ तां कमजोर होण।"

"मौजूदा हाकमां" यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है, उस के हाथ कमजोर पड़ें। यह वह चिट्ठी है जोकि उन्हों ने सन् १९५४ में अपने एडिटर को लिखी। सन् १९५५ में कुछ मुसलिम लीगी प्लेअर्स पाकिस्तान से आये। उन को पोस्टर बांटे गये जिन में यह कहा गया कि जो हमारी हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट है वह तो सेकुलर है, मगर तुम खबरदार रहना, कहीं तुम सेकुलर न हो जाना क्योंकि यह बहुत बुरी बात है।

१३ अप्रैल, सन् १९६० के दिन मास्टर जी पाकिस्तान में पंजा साहब गये। वहां पर जा कर वे कहते हैं उन लोगों से कि तुम को जो पुरानी बातें हैं, पुराने गुस्से और गिले हैं, उन को भूल जाना चाहिये और अपने आप को नजदीक लाना चाहिये और जो हमारा डिफेन्स है उस को हमें साझा कर लेना चाहिये। इस हाउस में इतने लोग हैं, लेकिन किसी ने भी जो हमारे प्रधान मंत्री की फारेन पालिसी है उस को अपोज़ नहीं किया और यह नहीं कहा कि हमारा डिफेन्स किसी के साथ भी साझा हो। मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी इस हाउस के फैसले के खिलाफ किसी बाहरी आदमी से बात करता है तो वह चीज हमारे मुल्क के खिलाफ जाती है और उस को मैं एंटी नैशनल कहता हूं।

अब मैं हिन्दू सिख यूनिटी की बात को लेता हूं। वे कहते हैं कि हम हिन्दू सिख यूनिटी के बड़े अलम्बरदार हैं। जब हिन्दू लीडर्स के साथ बातचीत होती है तो कहा जाता है कि हम हिन्दू हैं, हमारा बाप हिन्दू था, लेकिन जब उनकी पार्टी में कोई ऐसा कहता है तो उसको वे गद्दार कहते हैं। पहले के जो लीडर हैं, सात सात पुश्त पहले के जो लीडर हैं उनको गद्दार कहते हैं। कहते हैं कि वह तो सिख ही नहीं है और खुद को सिख पंथ का वाहद तर्जमान बताते हैं। हिन्दू सिख यूनिटी के बारे में जो यह कहते हैं उसको यह पोस्टर बयान करता है। वे कहते हैं :

"अंग्रेज़ सानूं वरतना चाउंदा सी, मुकाना नहीं चाउंदा सी, ए (पंजाबी हिन्दू) सानूं मुकाना चाउंदे हन।"

अंग्रेज़ हमें इस्तेमाल करना चाहता था, खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे पंजाबी हिन्दू हमें खत्म करना चाहते हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : ए की लिख्या सी।

श्री अजित सिंह : यह बातें हिन्दू सिख यूनिटी की हैं।

"डेली टेलिग्राफ" एक अंग्रेज़ी का अखबार है जो लन्दन से निकलता है। उसने भी कहा कि मास्टर जी और उनकी पार्टी जो दलीलें देते हैं कि हम फास्ट रख कर पंजाबी सूबा मनवाते हैं, यह कोई अक्ल की दलील तो है नहीं, कोई रीज़नेबल बात तो करते नहीं, सिर्फ फास्ट करके और थ्रेट करके ऐसी बातें मनवाना चाहते हैं। जैसाकि उन्होंने किया भी।

आगे चल कर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात लेता हूं। वे कहते हैं कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, **ऐज़ इफ वी आर नाट सिख्स**।" पंजाब के सिखों की गिनती कर ली जाय, फिर देखिये कि कितने पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। मैं समझता हूं कि लोक सभा में पापुलेशन के लिहाज से कहीं ज्यादा सिख होंगे।

एक माननीय सदस्य : एम० एल० ए० भी ज्यादा होंगे।

श्री अजित सिंह : एम० एल० ए० भी ज्यादा हैं। सर्विसेज़ में भी देख लीजिये। जैसा पंडित जी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहां है, अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो तो चपरासी से ले कर चीफ मिनिस्टर तक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको देखा जाय।

यहां हिन्दुस्तान में एक लड़ाई चल रही है। वह क्या है? पहले तो हिन्दुस्तान में लड़ाई थी अंग्रेज़ों के साथ। फिर लड़ाई चलने लगी गरीबी को दूर करने के लिये, बीमारी को दूर करने के लिये, जहालत को दूर करने के लिये। मगर कई लोग समझते हैं कि लड़ाई चल रही है मास्टर तारा सिंह की और नेहरू जी की, कोई समझते हैं फतेह सिंह की और प्रताप सिंह कैरों की और कोई समझते हैं लाला जगत नारायण और सरदार दरबारा सिंह की। यह बातें नहीं हैं। आज अगर कोई लड़ाई है तो वह है फिर्कापरस्ती यानी कम्यूनलिज्म के खिलाफ सेकुलरिज्म और नैशनलिज्म की। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि नैशनलिज्म और सेकुलरिज्म हो तो आपको इस तरह का कंवेंशन नहीं बनाना चाहिये कि जिसका जी चाहे वह कहीं भी फास्ट कर ले किसी बात के लिये, किसी मन्दिर में और हमारी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कोई ला फ्रेम न करे उनको निकालने के लिये और अगर मेरे जैसा आदमी भूख हड़ताल कर ले प्रधान मंत्री की कोठी पर तो उस को कैद कर लिया जाय। यह जो बातें हैं वह नैशनलिज्म और सेकुलरिज्म को खत्म करती हैं। इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट उनके मामले में इतनी मजबूत क्यों न हुई। उसको पकड़ना चाहिये

[श्री अजित सिंह]

हर एक आदमी को चाहे वह सिख हो, मुसलमान हो या किसी दूसरे रिलीजन का हो । पूजा स्थानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : मैं पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के ववतव्य का स्वागत करता हूं । मुझे आशा करनी चाहिये कि अपने वक्तव्य में जो दृढ़ता उन्होंने दिखाई है वह स्थायी रहेगी और पंजाब के सम्बन्ध में अपनाई हुई अपनी इस नीति पर वह दृढ़ रहेंगे । मैं इस सुझाव का भी स्वामत करता हूं कि पक्षपात के प्रश्न पर जांच समिति नियुक्त की जाय । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जांच केवल एक ही सम्प्रदाय की न हो । यदि समिति जांच करे तो उसे समस्त लोगों के सम्बन्ध में विभेद की नीति की जांच करे ।

मेरा यह भी निवेदन है कि पंजाब में प्रादेशिक समितियों के गठन का कार्य राज्य के स्वेच्छा-पूर्ण विभाजन के आधार पर किया गया है । और मेरा मत यह है कि इन समितियों को शक्तिशाली बनाने का सुझाव ठीक नहीं है । हरियाणा जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये प्रादेशिक समिति के गठन का सुझाव माना जा सकता था । यह कहना कि पंजाब में कोई भाषा समस्या है बिलकुल गलत है । पंजाब एक द्विभाषी राज्य है और वहां की स्थिति गुजरात अथवा महाराष्ट्र से नितान्त भिन्न है । गुजरात और महाराष्ट्र का उदाहरण दे कर लोगों को भ्रांति में नहीं डाला जाना चाहिये ।

कहा गया है कि पंजाब के हिन्दुओं ने अपनी मातृभाषा को अस्वीकार कर दिया है । यह बात बिलकुल गलत है । एक बात समझ लेनी चाहिये कि पंजाब के हिन्दू पंजाबी बोलते अवश्य है परन्तु इस पर भी सरकारी कामकाज के लिये उनकी भाषा हिन्दी है । इसमें पंजाब की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार कि है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है । वहां के निवासी अवधी, ब्रज अथवा राजस्थानी बोलते है परन्तु उनका सारा सरकारी कामकाज हिन्दी में होता है ।

पंजाब के विभाजन की जो बात चल रही है उसके सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पंजाब का हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित किया जाना एक दम काल्पनिक है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए राज्य को द्विभाषी राज्य घोषित किया जाय । एक और बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि पंजाबी भाषा के प्रश्न को गुरुमुखी लिपि से सम्बद्ध न किया जाता तो काफी हानि से बचा जा सकता था । परन्तु हमारे मित्र तो केवल गुरुमुखी लिपि वाली पंजाबी पर ही जोर देते हैं । पंजाब की समस्या वास्तव में भाषा की समस्या नहीं बल्कि लिपि की समस्या है । कई लोगों ने इसे साम्प्रदायिक भी बताया है और इसमें जनसंघ का नाम भी लपेटा है परन्तु जनसंघ का केवल एक ही दृष्टिकोण है और वह है राष्ट्रीय दृष्टिकोण । हम देश की भलाई को देखते हुए सब समस्याओं पर विचार करते हैं ।

हम पंजाबी सूबा का इसलिये विरोध करते हैं कि इस से देश को हानि पहुंचेगी इसलिये नहीं कि हम सिखों को अपना शत्रु समझते हैं । हमारे घरों में भी ग्रन्थ साहब का पाठ होता है और हम गुरुओं का सम्मान करते हैं । पंजाब की जनगणना के आंकड़े देखने से पता चलेगा कि सिखों की आबादी बहुत बढ़ गई है यह वृद्धि ईसाइयों और मसलमानों से नहीं, बल्कि हिन्दुओं में से ही हुई है । १९०१ में केशधारी हिन्दू पंजाब की आबादी का ७ प्रतिशत थे जो १९३१ तक १७ प्रतिशत हो गये । यह वृद्धि हिन्दुओं में से ही हुई । इसका यह अर्थ है कि सिख हिन्दू समाज में से ही पैदा हुए । पश्चिमी पंजाब में यह रिवाज था कि सबसे बड़े पुत्र को सिख बना दिया जाता था । ऐसी स्थिति में यदि कोई सिख यह दावा करे कि वह हिन्दू नहीं है तो वह बिल्कुल गलत होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल ही में जब मास्टर तारा सिंह से यह पूछा गया कि पंजाब को आप सिखों का प्रान्त बनाना चाहते हैं परन्तु वहां सभी महत्वपूर्ण पद पहले से ही सिखों के हाथ में हैं। सारी सत्ता सिखों के हाथ में है तो उन्होंने कहा कि वह यह सत्ता अकालियों के हाथ में देखना चाहते हैं। पंजाब की यही समस्या है जो केवल राजनैतिक मामलों पर आधारित है। वह पंजाब को अकाली राज्य बनाना चाहते हैं। यह बहुत हानिकारक सिद्ध होगा जैसा कि श्री अजित सिंह सरहदी ने कहा कि गांव के लोग अभी से गैर-सिख लोगों की सम्पत्ति पर नज़र रखे हुए हैं और पंजाबी सूबा बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हमारे साम्यवादी मित्र हर राष्ट्रविरोधी कार्य में सहयोग देते आये हैं। १९४७ में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ और अब मास्टर तारा सिंह को अपना सहयोग दे रहे हैं। साम्यवादी दल की यह नीति बन गई है।

मास्टर तारासिंह राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यह सब कर रहे हैं। वह जिन्नाह के पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये वह 'अनशन' करने का आश्रय ले रहे हैं जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध है। धार्मिक स्थानों के अन्दर बैठ कर 'अनशन' करना तो बारहवीं शताब्दी की बात है। और यह निन्दनीय है। आज गुरुद्वारों को राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा रहा है कल को मस्जिदों को भी ऐसी गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा सकता है। सरकार को इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिये कि यदि अपराधी मन्दिर, गरुद्वारा अथवा मस्जिद में बैठा है तो उसे गिरफ्तार न किया जाये। इसका ज़माना बीत चुका है।

मास्टर तारा सिंह द्वारा अनशन को अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है हालांकि उनकी मांग राष्ट्र के अहित में है। स्वामी रामेश्वरानन्द और योगीराज सूर्यदेव को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। हमें डट कर समस्या का सामना करना चाहिये और किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिये।

जांच आयोग नियुक्त किया जा रहा है यह बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं। पंजाब को दो खण्डों में बांटने का निर्णय समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि कच्छार और अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की समितियों की मांग की जायेगी। भारत सरकार को सिखों को खुश करने की नीति पर अमल नहीं करना चाहिये। पंजाब का विभाजन एक बार पहले हो चुका है और हमारी तो वह हालत है कि :

"दूध का जला छाछ फूंक-फूंक कर पीता है"

हम पुनः पंजाब का विभाजन नहीं करना चाहते। पंजाब का और देश का भला इसी में है कि वर्तमान स्थिति ही बनी रहे और इसमें कोई परिवर्तन न किया जाये।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट—रक्षित—अनसूचित जातियां) : मैं इसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात समझता हूं कि ऐसे समय पर जबकि हमारे देश और हमारे प्रधान मंत्री के समक्ष और अधिक गम्भीर समस्यायें हैं उस समय पंजाब की यह समस्या भी उत्पन्न हो गई है परन्तु ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री को अधिक राजनीतिज्ञों का सा रवैया अपनाना चाहिये। था।

यह कहना आसान है कि पंजाबी सूबे की मांग करना साम्प्रदायिक है। मेरा यह मत है कि पंजाबी सूबे का विरोध करना भी साम्प्रदायिकतापूर्ण बर्ताव से कम नहीं है। हमारे प्रधान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव राज]

मंत्री को पुनः इस पर विचार करना चाहिये । मेरे विचार से तो हर मांग साम्प्रदायिक होती है । पंजाब के सिख इस बात से डरते हैं कि धीरे-धीरे सारी आर्थिक और राजनैतिक सत्ता हिन्दुओं के हाथ में चली जायेगी और सिख इसी प्रकार खेती बाड़ी, मजूरी और अन्य छोटे-मोटे काम करते रहेंगे । यदि सब कठिनाइयों के होते हुए भी सिखों ने तरक्की की है तो यह उनकी योग्यता के कारण हुई है । श्री नेहरू की बजाये मास्टर तारा सिंह को लोग पहले से जानते हैं ।

सिखों को ब्रिटिश राज में भी दबाने की कोशिश की गई थी परन्तु अन्त में उन्होंने यही अनुभव किया कि सिख बड़ी जंगलू और उपयोगी जाति है । हमें भी यह अनुभव करना चाहिये कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की उचित मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । हमें उनके महत्व को समझना चाहिये ।

प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह किसी दूसरे पहलू से इस समस्या पर विचार करें । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्य मंत्री भी इस समस्या के समाधान के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं बल्कि वह स्थिति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मुख्य मंत्री के में बारे कुछ न कहें क्योंकि वह यहां अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते । इसके अलावा वह हमारे बारे में भी इस प्रकार की बातें कह सकते हैं ।

†**श्री शिव राज** : इस सभा और आपके द्वारा मैं केवल अनशन करने वाले महानुभावों से अपील करना चाहता हूं कि वे अनशन छोड़ दें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : पंजाब के सम्बन्ध में चार कांग्रेस पार्टी की ओर से व्यक्तियों को बोलने का आपने अवसर दिया है । पंजाब के विरोधी दल के किसी व्यक्ति को भी अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वह भी पंजाब की समस्या के सम्बन्ध में अपनी बात कह सके ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मुझे भी कई विशेष बातें कहनी हैं और ऐसी अच्छी बातें कहनी हैं कि जिससे मेल हो जायगा और कोई सवाल नहीं बच रहेगा । इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये ।

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा): हम ने पंजाबी सूबा सम्बन्धी स्थिति पर पर्याप्त गम्भीरता से विचार नहीं किया है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मास्टर तारा सिंह जनता के नेता हैं ।

पंजाबी सूबे की मांग गैर मुनासिब नहीं है । स्वयं मैंने कई बार इसका समर्थन किया है परन्तु इस समय स्थिति ऐसी है कि हिन्दू और सिखों के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहने चाहियें ।

मेरी यह राय है कि राजनैतिक मांगों की पूर्ति के लिये अनशन नहीं करना चाहिये । यह तो प्राधिकारियों को मजबूर करने के बराबर हो जाता है । यह कोई उचित आधार नहीं कि अन्य महान व्यक्ति अनशन करते रहे हैं इसलिये अनशन किया जाये । मैं मानता हूं कि विभाजन से पूर्व सपरु कमेटी के समक्ष भी सिख प्रान्त की मांग की गई थी परन्तु तब स्थिति कुछ और थी । वह सन्दर्भ ही अलग था इसलिये उसका उल्लेख करना उचित नहीं होगा ।

यह बात मानने के लिये कोई भी तैयार नहीं होगा कि पंजाब के हिन्दू हिन्दी बोलते हैं और सिख पंजाबी बोलते हैं । इसका यह अभिप्राय नहीं कि मैं पंजाबी सूबा का पक्ष ले रहा हूं । मेरे

---

†मूल अंग्रेजी में

सामने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं एक तो यह कि अनशन करना सिख धर्म के सिद्धान्तों के खिलाफ है। मास्टर तारा सिंह स्वयं हमसे यह बात कहते आये हैं और अपने सिद्धान्तों को तिलांजली देकर पंजाबी सूबा हासिल करना बेकार होगा।

मास्टर तारा सिंह सदा यह कहते आये हैं कि उन्हें हिन्दू-सिख एकता का अधिक ध्यान है। यदि यह बात सही है तो उन्हें अनशन नहीं करना चाहिये था क्योंकि इस से खिंचाव पैदा हो गया है। जब तक इस प्रकार का वातावरण रहेगा और एक दूसरे पर अविश्वास रहेगा तब तक अनशन आदि से लाभ होना तो अलग रहा बल्कि सिखों को ही हानि पहुंचेगी। इसलिये मैं उनसे अपील करता हूं कि हिन्दू-सिख एकता को ध्यान में रखते हुए और सिख धर्म के सिद्धान्तों को बनाये रखने के लिये अनशन तोड़ दें और सम्भव है कि कुछ समय व्यतीत होने पर वे हिन्दू और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर कोई हल निकालने में सफल हो जायें। मुझे भी आशा है कि पंजाब की भाषा सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए इस समस्या का कोई उचित हल अवश्य निकल आयेगा।

†**श्री गोरे** (पूना): यह बैठक संकट काल में हो रही है और अनशन करने वाले मास्टर तारा सिंह और अन्य दो नेताओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। मैं राजनैतिक प्रयोजन के लिये अनशन को उपयुक्त साधन नहीं समझता। जब बंबई राज्य के विभाजन का अन्दोलन चल रहा था तो उस समय भी यह कहा गया था कि संसद् ने एक विधान बना दिया है जिस में परिवर्तन नहीं हो सकता। किन्तु जब श्री पंत ने बंबई के विभाजन का विधान प्रस्तुत किया तो उन्हीं लोगों ने उसका समर्थन किया जो बम्बई के विभाजन का विरोध किया करते थे। इसलिये मैं निराशावादी नहीं हूं।

सारे भारत में यह सिद्धांत मान लिया गया है कि एक भाषाभाषी लोगों का अपना राज्य होना चाहिये। अत: केवल इस कारण पंजाबी सूबे की मांग को साम्प्रदायिक नहीं कहना चाहिये कि उसके लिए अकाली दल आन्दोलन कर रहा है।

मुझे प्रधान मंत्री के वक्तव्य में यह शब्द सुन कर बहुत दुख हुआ कि पंजाबी सूबे से न केवल एक राज्य वरण् परिवारों का विभाजन हो जायगा। वस्तुत: यह तो विभाजन का नहीं वरन् पुनर्गठन का प्रश्न है।

क्या केवल इसलिए कि सिख पंजाबी सूबा मांग रहे हैं हम उन्हें राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं**

†**अध्यक्ष महोदय**: किसी ने भी सारी सिख जाति की निन्दा नहीं की।

†**श्री गोरे**: जब कि अन्य भाषा भाषियों को राज्य दिये गये हैं तो पंजाबी सूबा क्यों नहीं दिया जाता। सिख जनता तारा सिंह की मांग के पक्ष में है। मैं यह नहीं चाहता कि यह सरकार पहले तो एक बात कहे और फिर अपनी राय बदल दे। सिख जाति देश का एक महत्वपूर्ण अंग है अत: प्रधान मंत्री को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपना दौरा रद कर देना चाहिये और इस संकट को हल करना चाहिये।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन): माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि सरकार एक बात का समर्थन करके फिर विचार बदल देती है किन्तु विरोधी दल ने स्वयं बम्बई के मामले में ऐसा ही किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह हमने देखा कि प्रजा सोशलिस्ट वाले भाई और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मुख्तलिफ चल रहे थे लेकिन कुछ घंटों के वकफे ने उनको तबदील कर दिया और इस मौके पर हम देख रहे हैं कि वह एक साथ चल रहे हैं। श्री अशोक मेहता जो कि इस अवसर पर यहां हाउस में मौजूद नहीं हैं और जिन्होंने पंजाबी सूबे के निर्माण की हिमायत में बयान दिया है, यह वही श्री अशोक मेहता थे जिन्होंने जब कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर विचार हो रहा था तो वे सारे देश के अन्दर द्विभाषी सूबे चाहते थे और वह युनीलिंगवल स्टेट के खिलाफ थे। जहां तक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाइयों का ताल्लुक है मैं बतलाना चाहता हूं कि पंजाब की बदकिस्मती से जब सन् १९४७ में भारत को स्वाधीनता मिलने के अवसर पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वह यही हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाई थे जिन्होंने कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड के साथ अपनी आवाज मिलाई थी और इतिहास इस बात का गवाह है कि विभाजन के परिणामस्वरूप इस देश को और पंजाब को काफी नुक्सान हुआ। एक दो लाख नहीं करीब चार लाख के करीब पंजाब के रहने वाले भाइयों पर जोकि आज हिन्दुस्तान के अन्दर हैं या पाकिस्तान के अन्दर हैं उनके जीवन पर वह बदकिस्मत तजुर्बा हुआ और यह बड़े अफसोस की चीज है कि आज फिर यह सोशलिस्ट पार्टी वाले भाई उनके साथ मिल कर इस तरह की कम्युनल डिमांड का साथ दे रहे हैं जो कि देश के वास्ते और पंजाब के वास्ते अहितकर है।

कुछ माननीय सदस्य: चौधरी रणवीर सिंह बिलकुल गलत चीज कह रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने कब ऐसा कहा है?

चौ० रणवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं। वास्तव में मेरा मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से है।

एक माननीय सदस्य: बिना जाने यदि इस तरह से कहते हैं तो उनकी माफी मांगनी चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह: मैं दरअसल सोशलिस्ट पार्टी के लिए न कह कर पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट भाइयों के बारे में कह रहा था। मैं अपने पी० एस० पी० के भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि पहले की तरह फिर वे न बहक जांय। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो भाई यह कहते हैं कि पंजाबी सूबे की मांग कम्युनल मांग नहीं है वह हकीकत से क्यों कतराते हैं? मैं गोरे साहब की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर दो आम चुनाव हुए और वह आम चुनाव पंजाब के अंदर भी हुए और जहां सिख लोग आबाद हैं वहां भी हुए। अब हमारे गोरे साहब जो अकाली पार्टी को सिखों की वाहिद नुमायन्दा जमात समझते हैं और जो समझते हैं कि शायद तमाम सिखों का नाम ही अकाली पार्टी है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५२ के आम चुनावों के अन्दर पंजाब में अकालियों का बडे से बड़ा नेता कांग्रेस के सिपाहियों के खिलाफ हारा। क्या उनको यह भी मालूम है कि आज जो हमारे एक मंत्री हैं वह सन् १९५२ के आम चुनाव में अपने सूबे के कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही के मुकाबले में हारे थे? उनका नाम ज्ञानी कर्तार सिंह है। आज पंजाब असेम्बली के अन्दर १५४ मेम्बरों में से जहां ६२ आदमी सिख हैं, उन ६२ सिख मेम्बरों में से सिर्फ १० मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि पंजाबी सूबे के हक में कोई आवाज उठाते हैं तो मैं अपने श्री गोरे से पूछना चाहूंगा कि बाकी ५२ सिख मेम्बर जोकि पंजाबी सूबे के हक में नहीं हैं उनको वे सिख मानते हैं या नहीं?

यहां पर दस सिख मेम्बर्स हैं और वह जो पंजाबी सूबे के हक में नहीं हैं तो क्या आप उनको सिख नहीं मानेंगे। इसलिए गोरे साहब जितनी जल्दी यह चीज समझ जायें कि अकाली पार्टी सिख पार्टी का नाम नहीं है तो बेहतर होगा। अब जहां तक सिख जाति का संबंध है वह एक बहादुर कौम है और उसके प्रति हमारे दिलों में आदर का भाव है और बहुतेरे सिख हमारे साथ में हैं और जो कि इस कम्यूनल डिमांड के हामी नहीं हैं। पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों हमारे साथी हैं और उन्होंने मास्टर तारासिंह को कहा है और प्यार से हाथ जोड़ कर कहा है कि मेहरबानी करके वे यह भूख हड़ताल न करें और उसको समाप्त कर दें।

मैं उन भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५७ के आम चुनावों के दौरान हम ने मास्टर तारा सिंह के साथ जो सिख लोग थे, ज्ञानी करतार सिंह और सरदार हुक्म सिंह साथ नहीं थे, हमने सिख मैजारिटी हलकों से मास्टर तारा सिंह के उम्मीदवारों को हराया। खुद सिख वोटर्स ने मास्टर तारासिंह के उम्मीदवारों को चुनावों में हराया। छै महीने के अन्दर फिर आम चुनाव होने को हैं और सिख टोटल एलेक्टोरेट का ८५ फीसदी हैं और उनसे यह साबित हो जायगा कि कितने सिख अकालियों के साथ हैं। उनकी समझ में यह चीज क्यों नहीं आती कि अकाली और सिख दो जुदा चीजें हैं। अब जो पंजाबी सूबे की मांग गुरुद्वारे से उठे और गुरुद्वारों के चुनावों से उठे उसके लिए उनका यह समझना कि वह मांग आम सिक्खों की है सही चीज नहीं है। पंजाबी सूबे के निर्माण की मांग के वास्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिलकुल ठीक कहा है कि यह एक कम्यूनल डिमांड है और मैं एक हिन्दू और पंजाबी के नाते यह कहना चाहता हूं कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया था एक को हिन्दू रिजन माना था और एक को पंजाबी रिजन माना था।

बावजूद इस बात के कि हिन्दी रिजन की भाषा सरकारी तौर पर हिन्दी है, वहां के हर एक उस बच्चे को, जो कि तीसरी जमाअत पास करता है, चौथी जमाअत में पंजाबी लाजिमी तौर पर पढ़नी होती है। यही नहीं, आज पंजाब में अगर कोई सरकारी नौकर होना चाहता है, चाहे वह हिन्दी रिजन से हो और चाहे पंजाबी रिजन से, उस के लिये पंजाबी का इम्तहान पास करना लाजिमी है। अगर कभी ऐसा दिन आये, जब कि ऐसी स्टेट बने, जैसी कि वे चाहते हैं—वह बद-किस्मती होगी इस देश की और पंजाब की तो होगी ही—तो मुझे बताया जाये कि उस स्टेट में इस से ज्यादा और क्या होगा। मराठी भाषी लोगों का एक सूबा है और दूसरे भी सूबे हैं। हमारे देश में पच्चीस छोटी बड़ी रियासतें हैं, जिन में सैंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज़ भी हैं। उन में से सिर्फ नौ सूबे ऐसे हैं, जो कि जबान की बिना पर बने हुए हैं। अगर देश में सूबे बनाने की सिर्फ भाषा ही कोई बिना होती, तो फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का हिन्दी रिजन, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का एक सूबा होता। ये किस तरह लोगों को बहकाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मास्टर तारासिंह का बलिदान चाहते हैं, अगर वह दिन देखना पड़ता है, तो इस की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जो ग़लत तौर पर लोगों को बहकाते हैं कि सब सूबे जबान की बिना पर बने हैं।

जहां तक पंजाबी की तरक्की का सवाल है, हमारे पास इस बारे में सरकारी आंकड़े हैं: पंजाबी रिजन में जो भाई पंजाबी को फर्स्ट लैंग्वेज लेकर मिडिल परीक्षा में अपीयर हुए थे, १९५९ में उनकी तादाद ४१,०३३, १९६० में ४१,६३२ और १९६१ में ४६,०८८ थी। इस के मुकाबले में पंजाबी रिजन में जिन लोगों की सैकंड लैंग्वेज पंजाबी थी, जिन्होंने मिडिल का इम्तहान

[चौ० रणबीर सिंह]

दिया, उनकी तादाद २७,८२१ थी १९५९ में, और १९६० में २९,१३६ और १९६१ में ३०,४५० थी ।

इसी तरह से हिन्दी रिजन में जहां की सरकारी भाषा इस सभा ने हिन्दी मानी है, जहां का माध्यम आम तौर पर हिन्दी रखा गया है, वहां पर जिन लोगों की पंजाबी सैकंड लैंग्वेज थी, जिन्होंने आठवीं जमाअत का इम्तहान दिया था, उनकी तादाद १९६१ में ४७,६५५ थी । इन हालात में हम को कोई बताये, कोई ईमानदारी से सोचे कि क्या इस से यह जाहिर नहीं होता है कि पंजाबी ज़बान की तरक्की के लिये पूरी कोशिश की गई है और की जा रही है ।

मुझे मालूम नहीं कि अगले चुनाव में, जो कि छः महीने के बाद हो रहा है क्या नक्शा होगा और उनको कोई एक आध मेम्बर मिल सकेगा या नहीं, लेकिन इस वक्त तो पी० एस० पी० के दो मेम्बर हैं । उनमें से एक तो कांग्रेस में आ चुका है और दूसरा कब आयेगा, या नहीं आयगा, यह मुझे मालूम नहीं । लेकिन उनका कोई नाम लेवा पंजाब में नहीं है । आज पंजाब के सियासी जीवन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और श्री अशोक मेहता का कोई नाम लेवा नहीं है । बेशक वे मास्टर तारासिंह को ग़लत रास्ते पर ले जायें, उन को ग़लत आश्वासन दें, लेकिन पंजाब में उनका कोई नाम लेवा पैदा नहीं हो सकता ।

जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, मेरे जो साथी मुझ से पहले बोले थे, वह हमारे ही जिले में हमको हरा कर कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां आये थे और इसी तरह दो साथी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर असेम्बली में हम को हरा कर आये, लेकिन वे लोग अब कम्युनिस्ट पार्टी से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि चाहे पंजाब का सवाल हो, चाहे हिन्दुस्तान और चाइना का सवाल हो, उस पार्टी की सियासी समझ भारतीय या पंजाबी के नाते नहीं है ।

जैसा कि मैं कह रहा था, यहां पर लोक सभा में दस मेम्बर हैं, जिनको लोगों ने चुन कर यहां भेजा है । वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ज़रूर आए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे विरोधी भाई अपने हल्कों से हमको हरा कर आये हैं, उसी तरह ये लोग भी अपने हल्कों के नुमायन्दे हैं और चुनाव जीत कर आये हैं । इन दस मेम्बरों में से एक भी भाई, जो कि सिख धर्म, मज़हब से ताल्लुक रखता है, पंजाबी सूबे का नाम लेवा नहीं है । आज की हालत में कम से कम इन दस भाइयों में एक भाई भी ऐसा नहीं है, जो कि पंजाबी सूबे की मांग करता हो । मुझे बतायें श्री अशोक मेहता और उनके हिमायती कि किस तरह से पंजाबी सूबे की मांग कम्यूनल नहीं है । वह डिमांड सीधे तौर पर गुरुद्वारों से पैदा हुई है और गुरुद्वारों के चुनावों से पैदा हुई है ।

मैं अपने उन भाइयों का ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूं कि जाने दीजिये हमारे इलाके को, छोड़ दीजिये कि हम क्या चाहते हैं । हम नौ मेम्बरों ने लिख कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को और देश को यह बताया है कि हरियाना के चुने हुए भाई यह चाहते हैं कि हम पंजाब का हिस्सा रहें और पंजाब मिला-जुला रहे यह हमारी ख्वाहिश है । क्या मैं मास्टर तारासिंह और उनकी मार्फत उनके हवारियों को यह बताऊं कि १९५६ में एक ज़माना था, जब हमारे कुछ भाई इस ख्याल के थे कि दिल्ली को मिला कर कोई अलहदा सूबा बनाया जाये, लेकिन पिछले पांच-छः सालों में जिस ढंग से और जिस तरीके से गुरुद्वारों के जो चुनाव हुए और पंजाबी सूबे के नारे लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे यहां जो हमारे मुखालिफ़ हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ है, वे दिल से चाहे यह चाहते हों कि कोई अलहदा सूबा बने, लेकिन वे खुले तौर पर यह कहने का हौसला नहीं कर सकते कि हमारा सूबा अलाहदा कर दिया जाये।

यही वजह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने सही तौर पर यह कहा है कि यह कम्यूनल डिमांड है और अगर कम्यूनल डिमांड हो, तो कुदरती तौर पर दूसरी जातियों पर सीधा या टेढ़ा असर पड़ेगा। जो लोग हमारे खिलाफ़ हैं, जिन पर हमारा व्हिप नहीं चलता है, उन्होंने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई है। यहां पर व्हिप का जिक्र किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि व्हिप तो किसी पार्लियामेंटरी पार्टी का एक सब से बड़ा गुण होता है। अगर कोई पार्टी व्हिप को मानती है, तो यह उसका गुण है। इन लोगों की तो कोई चलती नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है और इसी वजह से इनके पास कोई राज्य का शासन नहीं है और न ही ये टिक सकते हैं। सारे देश में जो हालत ये पैदा करना चाहते हैं, वह नहीं आने दी जायगी। इस बात को वे जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही अच्छा है।

अब म पंजाबी रिजन की तरफ आता हूं। पंजाबी रिजन की आबादी का ४४ फ़ीसदी हिन्दू हैं और एक एक हिन्दू पंजाबी सूबे के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि गुरुद्वारों के इन्तज़ाम के लिये जो इलेक्शन का तरीका है वह ग़लत है। श्री अशोक मेहता जो यह मानते हैं कि अगर पंजाबी सूबे की मांग को मान लिया गया, तो अकाली राजनीति से हट जायेंगे, वह भी ग़लत है। मैं मानता हूं कि अकाली गुरुद्वारों पर राज करने के लिये पैदा हुए थे--अकाली पार्टी का जन्म हुआ था गुरुद्वारों का इन्तज़ाम महन्तों से छीनने के लिये और जब तक गुरुद्वारों के इलेक्शन का यह तरीका रहेगा, तब तक अकाली राजनीति से हट नहीं सकते हैं, चाहे इस बारे में मास्टर तारासिंह १९५७ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यकीन दिलायें और चाहे १९६१ में श्री अशोक महता को यकीन दिलायें कि वे सियासी जिन्दगी से हट जायेंगे। जिस तरह मद्रास में मन्दिरों का इन्तज़ाम होता है, जब तक वैसा इन्तज़ाम गुरुद्वारों का पंजाब में नहीं किया जायेगा, उस वक्त तक पंजाब की आफ़त, जिस में २ करोड़ रुपये पिछले पांच सालों में खर्च हुए, नहीं हट सकती है।

जिस इलैक्शन की वह दुहाई देते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वह इलैक्शन गुरुद्वारों के इन्तज़ाम का था। इस साल ही नहीं, इससे पांच साल पहले भी जब चुनाव हुआ था, उस वक्त भी हम हारे थे। लेकिन चुनावों में हम १९५२ में भी जीते और १९५७ में भी जीते। उस की क्या वजह थी? वजह यह है कि अब की दफा गुरुद्वारों के चुनावों में सिर्फ सिख वोटर थे और उनमें से भी नैशनलिस्ट सिख भाइयों की राय को कटवा दिया गया, उन को राय का, मत का अधिकार नहीं था। लेकिन जिन लोगों को अधिकार था, उनमें से ३३ फी सदी लोगों ने मास्टर तारासिंह के पंजाबी सूबे के नारे के खिलाफ़ राय दी। वहां यह कहा गया कि सरदार प्रताप सिंह कैरों जिनके हाथ में पंजाब को बागडोर है, वह पंडित नेहरू जो हिन्दू हैं और उनके साथी जो हिन्दू हैं, उनके हाथ में इन गुरुद्वारों की चाबियां भी देने जा रहे हैं और नेहरू का यह परमिट होगा कि गुरुद्वारों में कौन दाखिल हो और किस वक्त दाखिल हो। अगर नैशनलिस्ट सिख गुरुद्वारा इलैकशंज में जीते तो कैसे जीते और अकाली जीते तो कैसे जीते, मैं चाहता हूं इस पर आप विचार करें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मन्दिरों का भी कोई इलैकशन हो रहा हो और वहां पर इस तरह का प्रचार किया जाए तो हमारे में से अगर बड़े से बड़ा आदमी भी इलैकशन के लिए खड़ा हो जाए तो वह जरूर हारेगा। ३३ परसेंट सिखों की आबादी है। ५६ परसेंट का एक तिहाई लगाया जाए तो वह १८ परसेंट होता है। ४४ और १८, ६२ परसेंट हो जाते हैं। ६२ परसेंट आदमी पंजाब के ऐसे हैं जो इस चीज के खिलाफ हैं। मेरे अनुमान के मुताबिक तो २५ से ३० परसेंट ही इसके हक में हैं। लेकिन उनके हिसाब से ६२ परसेंट आदमी पंजाबी रिजन के आज नहीं चाहते हैं कि पंजाबी सूबा बने।

हमारे गोरे साहब ने गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल उठाया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वहां हालात बिल्कुल दूसरे थे, वहां के हालात पंजाब से बिल्कुल जुदा थे और उनका और

[चौ० रणबीर सिंह]

पंजाब के हालात का कोई मुकाबला नहीं है। पंजाबी रिजन की ४० परसेंट से ज्यादा आबादी नहीं है जो यह चाहती है कि धर्म के नाम पर कि पंजाब की जबान पंजाबी हो। जहां तक सियासी लीडरों का ताल्लुक है मैंने अर्ज किया कि ६२ में से सिर्फ दस पंजाब असैम्बली के मेम्बरों ने मुश्किल से खुले तौर पर यह कहा है कि पंजाबी सूबा बना दिया जाए। इन हालात में मैं मुकर्जी साहब से तथा दूसरे कम्युनिस्ट साथियों से, जिन्होंने इस देश में पाकिस्तान बनवाया, पंजाब का पार्टिशन कराया, अपने सूबे का पार्टिशन कराया, जो बार्डर के बारे में हिन्दुस्तान के हितों के खिलाफ अपनी राय देते हैं और चीन के साथ मेल दिखाते हैं, पूछना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं? क्या वे पंजाब के अन्दर फिर से खूनरेजी कराना चाहते हैं। मास्टर तारासिंह जो २५ परसेंट या ३० परसेंट आदिमियों के नेता हैं पंजाबी रिजन के, उनको वह अगर नेता मानते हैं तो मानें। मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनको सद्बुद्धि दे और वह अपनी भूख हड़ताल को तोड़ दें और इस तरह से जब मैं कहता हूं तो इसकी वजह यह है कि यह चीज़ बिल्कुल ग़लत है, सिख धर्म के खिलाफ है, सिख गुरुद्वारों की जो रवायत हैं, उनके खिलाफ है और साथ ही साथ सिखों के हितों के खिलाफ है, पंजाब के हितों के खिलाफ है। हो सकता है कि कुछ भाई जो उनके चारों तरफ फिरते हैं वे यह सपने देखते हों कि शायद पंजाब के अन्दर वे मुख्य मंत्री बन जायेंगे या वजोर बन जायेंगे। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर वह दिन कभी नहीं आएगा जब कि उनके ये सपने पूरे होंगे फिर चाहे वे कम्युनिस्ट भाई हों या प्रजा सोशलिस्ट भाई हों या कोई और हों और बेशक उनके साथ हाथ मिलाते रहें। उनको वह दिन देखना नसीब नहीं होगा। अगर सारे पंजाब को लिया जाए तो २० परसेंट या १९ परसेंट आदमी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो पंजाब का पार्टिशन चाहते हों।

कुछ लोगों ने इसी बात पर आपत्ति की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे यह कहा कि पंजाबी पंजाब की प्रिडामिनेंट लैंगुएज़ है। मैं जनता हूं कि सैंसस के दौरान में हिन्दू गो वे घरों में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उनमें से कइयों ने अपनी जबान हिन्दी लिखाई है। मेरी उनके साथ हमदर्दी भी हो सकती है और अफसोस भी हो सकता है। लेकिन एक बात सही है कि पंजाब में जो पंजाबी रिजन है और जिसकी आबादी आज १ करोड़ २० लाख के करीब है, उसकी सरकारी जबान पंजाबी है और जो मेरा इलाका है और जो दूसरी भाषा बोलता है उसकी आबादी ८० लाख है, उसकी भाषा १ करोड़ २० लाख के मुकाबले में कैसे प्रिडामिनेट हो सकती है? यह सीधा सा सवाल है। हमारे में से कुछ साथी हैं जिनकी समझ में यह बात नहीं आई है और कुछ भाई हैं जो आज रोहतक में एक दूसरा मोर्चा लगाने की फिक्र में हैं। मैं अर्ज़ करूं कि अकाली मोर्चे के अन्दर दस हज़ार आदमी जेल गये थे और जब हिन्दी वालों ने रोहतक में मोर्चा लगाया तो कहा कि जब तक तेरह हज़ार आदमी जेल नहीं जायेंगे तब तक हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुओं की बात को नहीं सुनेगी और सिखों के आगे हथियार डाल देगी। मैं जानता हूं कि क्या हुआ है। चक्रवर्ती साहब ने भूख हड़ताल की नई दिल्ली के अन्दर तो उनके खिलाफ कौन बैठे भूख हड़ताल करने, यह मैं आपको बताता हूं। दो आदमी बैठे भूख हड़ताल पर, एक आदमी वह जो कांग्रेस की मूवमेंट में देरी से गए थे और दूसरे आदमी रोहतक जिले के जाट जिनका पंजाबी सूबा बनने पर कोई असर नहीं हो सकता था। इसी तरह से आज मास्टर तारासिंह के खिलाफ भूख हड़ताल करने पर दो आदमी बैठे हैं और दोनों स्वामी हैं, साधू हैं, आर्य-समाजी हैं। लेकिन जन्म से वे भी जाट हैं, एक रोहतक जिले के और दूसरे करनाल जिले के।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में कोई परेशानी नहीं है इससे कि पंजाबी सूबा बनता है या दिल्ली का सूबा बनता है।

अब इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो मैंने कंस्टिट्यूएंट असैम्बली के सामने पेश किया था। पंजाब के साथ नई दिल्ली को छोड़ कर के दिल्ली का इलाका ज़ोड़ दिया जाए क्यों कि दिल्ली की ज़ो आज आबादी है उसका ५० फीसदी नहीं बल्कि ६० फीसदी हिस्सा पंजाबी है। नई दिल्ली को छोड़ कर के बाकी दिल्ली को पंजाब के साथ मिला दिया जाय। हिमाचल वाले जब तक न चाहें तब तक उनको पंजाब के साथ न मिलाया जाए और अगर वे राज़ी हो तो उनको भी पंजाब के साथ ज़ोड़ दिया जाए। यह एक सही हल होगा और इससे पंजाब ज़ो पहले से ही सभी प्रांतों से आगे चलता रहा है, आगे से भी आगे चलता रहेगा और उसकी और भी तेजी से तरक्की होती रहेगी।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपकी सलाह थी कि इस विवाद में गर्मी न आने पाए लेकिन गर्मी लाई गई और मैं समझता हूं जानबूझ कर लाई गई। हम देखते हैं कि इस मसले को हल करने में शुरु से ही कुछ गलतियां की गई हैं और गलती को अगर और आगे बढ़ाया गया और पंजाबी सूबा बना दिया गया तो भी समस्या हल नहीं होगी।

हम याद करें सन १९५० को जबकि विधान निर्मातृ परिषद् ने पंजाबी बोली को पंजाबी भाषा स्वीकार करके कांस्टीट्यूशन में उसको स्थान दे दिया था और चौंदहवीं भाषा इसको बना दिया था। असल में गलती वहां से शुरू होती है। अगर गलती शुरू हो जाती है तब फिर आज यह कह कर उसको टाला नहीं जा सकता है कि हम पंजाबी को एक भाषा नहीं मानेंगे; मैं मानता हूं कि पंजाब के बहुत बड़े हिस्से की भाषा पंजाबी है। जब उनकी भाषा पंजाबी है तब श्री रणवीर सिंहज़ी या दूसरे हिन्दू यह कहें कि जनगणना में उन्होंने यह लिखाया है कि उनकी मातृभाषा हिन्दी है पंजाबी नहीं तो मैं समझता हूं यह बहुत ही गलत दृष्टिकोण है। सारी समस्या को हिन्दू और सिख की समस्या समझ कर हल करने की कोशिश की जा रही है . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): हरियाना की भाषा पंजाबी नहीं, हिन्दी है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): पंजाबी न हो लेकिन जब हिन्दू अपनी मातृभाषा हिन्दी होने के नाते चाहते हैं कि सारे भारतवर्ष में हिन्दी चले लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं कि हम पंजाबी को सीख लें तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती है और यह गलती हिन्दुओं से शुरू होती है। अगर हिंदू गलती करते हैं और अल्पमत वाले यह कहते हैं कि हमें परेशान होना पड़ता है और चाहते हैं कि पंजाबी सूबा बने, तो मैं समझता हूं कि वे बदले की भावना से यह चीज चाहते हैं।

मैं मानता हूं कि पंजाब की समस्या का हल पंजाबी सूबा नहीं है। पंजाबी सूबा दे कर हिन्दुस्तान में इस समस्या को और भी आगे बढ़ाना होगा। हमने बारबार निवेदन किया है और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से ज़ो भूख हड़ताल किये बैठे हैं कि उनका भूख हड़ताल करना गलत है। मास्टर तारा सिंह ने ज़ो भूख हड़ताल कर रखी है वह गलत है और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने चालीस साल के राजनीतिक, तथा धार्मिक ज़ीवन में उन्होंने जो शक्ति ग्रहण की है, उसको बरबाद न होने दें। हिन्दुस्तान के सामने और भी बहुत सी बड़ी समस्यायें हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिये वे आगें आयें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनका पंजाबी सूबा प्राप्त करने के लिये भूख हड़ताल करना गलत है। स्वामी

[श्री ब्रजराज सिंह]

रामेश्वरानन्द और योगीराज सूर्यदेव का भूख हड़ताल करना और भी ज्यादा बड़ी गलती है। सिर्फ इस वास्ते कि मास्टर तारा सिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं इसलिए हिन्दुओं में से भी कुछ को भूख हड़ताल करनी चाहिये, इससे और बड़ी गलती दूसरी नहीं हो सकती है। ऐसा करके हिन्दू-सिख भावना को और भी तेज किया जा रहा है।

मैं मानता हूं कि पंजाबी सूबे की जो मांग है वह आज एक गलत मांग है और शायद आगे चल कर एक सिख राज्य की मांग वह बन जाए। लेकिन उसका विरोध करने के जो तरीके निकाले जा रहे हैं, वे तरीके भी बहुत गलत हैं और उन तरीकों के रहते हम सिखों को और कम से कम अकालियों को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम्हारे साथ न्याय किया जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले १५ सालों के अन्दर, खास तौर से इन १३ सालों के अन्दर जब कि देश के अन्दर यहीं सरकार रही है कुर्सियों पर, उसने मास्टर तारा सिंह और अकालियों के साथ कौन सा व्यवहार किया है? माना कि मास्टर तारासिंह गलत बातें भी कहते रहे, लेकिन गलत बातें कहते रहे तो भी उनको पूरा करने के लिये विश्वास क्यों दिलाया गया, आश्वासन क्यों दिलाया गया? एक तरफ आप आश्वासन दिलाते हैं, फिर उसे पूरा नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि वे समझते हैं कि उनके साथ सब कुछ धोखा किया जा रहा है। लेकिन उस संसद के द्वारा मैं उन लोगों से, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि यह तरीका समस्या को हल करने का नहीं है। मैं अपने डिप्टी स्पीकर साहब की इस राय से पूर्णतया सहमत हूं कि राजनीतिक प्रश्नों को हल करने के लिये कभी भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और हिन्दुस्तान की सभी सरकारों के प्रतिनिधि इस बात के गवाह हैं कि पिछले सवा चार सालों में, भले छोटी शक्ति के मुताबिक सही, हमने हिन्दुस्तान की सरकारों के खिलाफ सत्याग्रह किये हैं, जेलों में गये हैं, इस सरकार की नीतियों का विरोध किया है। लेकिन हम आज यहां पर यह घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिये हम कभी भी भूख हड़ताल का सहारा नहीं लेंगे। कोई नहीं कह सकता कि हम से अधिक विरोधी इस सरकार का कोई और होगा। हम मानते हैं कि यह सरकार असफल सरकार है, निकम्मी सरकार है और इस सरकार को पलटा जाना चाहिये, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को पलटने के लिये भी मैं भूख हड़ताल का सहारा नहीं लूंगा। मैं मानता हूं कि राजनीतिक प्रश्नों को हल करने के लिये कभी भूख हड़ताल का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। इस के लिये हम जन शक्ति को जगायें। जब मास्टर तारा सिंह के साथ जन शक्ति है, या हिन्दुस्तान के दूसरे लोग हो सकते हैं, जिन के साथ जन शक्ति हों, तब फिर वे भूख हड़ताल का सहारा लें, यह मैं समझता हूं कि एक कमज़ोर अस्त्र है और वे इस अस्त्र को जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही वह उन के लिये अच्छा होगा, पंजाब के लिये अच्छा होगा और देश के लिये अच्छा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या का असली हल यह होगा कि वे हिन्दू जो पंजाब में रहते हैं, जिन के लिये प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे अल्प मत में हैं, वे मान लें कि अब जिस भाषा को हमने माना हुआ है, अर्थात हिन्दी, वही गुरुओं की भाषा थी, पंजाबी तो उन की बोली थी। इसी तरह हमारे यहां ब्रज भाषा है, इसी तरह से छत्तीस गढ़ी है, इसी तरह से भोजपुरी है, इसी तरह से मैथिलि है, यह सारी की सारी हिन्दी की रूपान्तर है। अगर हम इन बोलियों को भाषा मानना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आज से दस या बीस या पचास साल

पश्चात् वे भी अलग-अलग भाषायें बन जायें और शुरू में जो गलती हुई थी भाषाओं के अनुसार विभाजन की, वह जोर पकड़ जाय। तो हर पंजाबी का कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों के दिमाग में यह भावना न पैदा होने दें कि हमारा और हिन्दी का झगड़ा है, हिन्दी और जो हिन्दुस्तान की अन्य भाषायें हैं उनका कोई झगड़ा हो नहीं सकता। जिन लोगों ने पंजाब के अन्दर हिन्दी रक्षा समिति के नाम से हिन्दी के हितों की रक्षा के लिये आन्दोलन चलाये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी कुसेवा, जितनी हानि उन्होंने हिन्दी के हितों की की है, उतना हिन्दी के हितों की कुसेवा और किसी हिन्दुस्तान के निवासी ने नहीं की। हिन्दी रक्षा समिति की ओर से आन्दोलन चलाये जाते हैं, सारे देश से लोग इकट्ठा कर के जेलों में भेजे जाते हैं। उसी तरह से आज या इस से पहले जो अकाली आन्दोलन चलाये गये उनके लिये सारे देश से पैसा इकट्ठा हो कर आता है और पंजाब के अन्दर उनके द्वारा आन्दोलन चलाया जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा दृष्टिकोण गलत है और यह सारे काम काज चलाये जाते हैं अंग्रेजी भाषा के द्वारा। जो पंजाबी भाषाई अन्दोलन चला वह अंग्रेज़ी द्वारा चला, हिन्दी रक्षा समिति द्वारा जो आन्दोलन चला वह अंग्रेज़ी द्वारा चला। आश्चर्य की बात है कि हम इस स्थिति में पहुंचा दिये गये हैं कि गुरुद्वारों पर, जिन दिनों यह अन्दोलन चल रहा था, उन दिनों कितने आदमी गिरफ्तार हुये यह पंजाबी भाषा में लिखा होता था, अंग्रेज़ी में लिखा होता था, लेकिन जिसको सरकारी भाषा कहा जाता है, या देश के पैमाने पर एक तरह से जिसको राष्ट्र भाषा कहा जाता है, उस में वह नहीं लिखा जाता था। मैं मानता हूं कि इसके लिये पंजाब के हिन्दू जिम्मेदार हैं। पंजाब के हिन्दुओं ने जो लोग अकाली या सिख हैं उनके दिमाग में एक तरह से यह भावना पैदा कर दी है कि वे पंजाबी भाषा को सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस समस्या का हल यह है कि पंजाब के हिन्दू यह मान लें कि इस छोटे से इलाके में वे दोनों भाषाओं को सीखेंगे। यदि वे दोनों भाषाओं को पंजाब में नहीं सीख सकते तो जो लोग तमिल भाषी हैं, जो लोग मलयालम भाषी हैं या जो दूसरी भाषायें हैं जो कि संस्कृत से नहीं निकली हैं, उनके भाषाभाषी हैं, उनको हम कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि उनके साथ न्याय करेंगे? इस लिये हम पंजाबी को उसी शक्ल में छोड़ें। हम मानें कि पंजाबी का एक दर्जा है और उसका जो दर्जा आज है उस पर वह रहेगी। यह शिकायत करना न शुरू कर दें, ऐसा चिल्लाना न शुरू कर दें जिसको आज पंजाबी रीजन कहा जाता है उसके रहने वाले भले ही अपने घर पंजाबी बोलते हों, लेकिन यह कहना न शुरू कर दें कि उनकी मातृ भाषा पंजाबी नहीं है, हिन्दी है। जो भी हमारे पंजाबी भाई पंजाब के उस हिस्से में से आये हैं जो कि हमारे हिस्से में नहीं रहा, हिन्दुस्तान में न होकर पाकिस्तान में है, वे अपने घरों में पंजाबी ही बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, हिन्दी नहीं बोलते हैं। मैं नहीं समझता कि जब पार्टिशन के १३ सालों के बाद भी वे पंजाबी भाषा को अपनी भाषा मानते हैं, मातृ भाषा मानते हैं, तो कौन सी दिक्कत आती है उन हिन्दु भाइयों को जो कि पंजाबी रीजन में रहते है, यह मानने में कि हमारी भाषा पंजाबी है और हम उसे स्वीकार करेंगे।

अगर यह दृष्टिकोण अपनाया जाय तो मैं मानता हूं कि यह सारी समस्या हल हो जायेगी। दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान की सरकार के द्वारा इस तरह की गलत नीतियां बनाई जाती हैं, जिस से कि समस्यायें कभी हल नहीं होतीं। हमेशा समस्या को आगे बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। कभी मौलिक रूप से उसका हल सोचने की बात नहीं की जायेगी।

मैं आशा करता हूं कि वे सभी लोग जो भूख हड़ताल कर रहे हैं वे उस को छोड़ देंगे और सभी राजनीतिक दल इस बात की घोषणा करेंगे कि राजनीतिक प्रश्नों को हल करने के लिये वे कभी भी भूख हड़ताल का सहारा इस देश में नहीं लेंगे। वे इस बात से अपने को बांधेंगे कि भले ही कितने ही

[श्री ब्रजराज सिंह]

विरुद्ध हों किसी चीज के लेकिन राजनीतिक प्रश्नों को हल करने के लिये वे भूख हड़ताल का सहारा नहीं लेंगे और यह कोशिश करेंगे कि वे हर एक भाषा के प्रति प्रेम रखें। जैसा मैंने कहा हिन्दी का तो कभी द्रोह हो ही नहीं सकता किसी देशी भाषा से। अगर हिन्दी का द्रोह हो सकता है तो वह अंग्रेज़ी से। जब तक सारा काम अंग्रेज़ी द्वारा चलेगा तब तक पंजाबी हिन्दी का झगड़ा चलता रहेगा, दूसरी भाषाओं का झगड़ा चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री मान लें कि जब तक हिन्दुस्तान से अंग्रेज़ी नहीं जाती है तब तक लगातार इस तरह के झगड़े कराये जायेंगे और लगातार हमारे सूबों का बटवारा होगा। जब तक यह झगड़ा चलता रहेगा तब तक मैं समझता हूं कि यह समस्या हल नहीं होगी। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जिन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है वे उसको वापस लेंगे। पंजाब की वो स्थिति है उस में यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि पंजाबी भाषा को कोई नुक्सान नहीं होगा, लेकिन पंजाब का और विभाजन मुल्क के हित में नहीं है, सिखों के हित में नहीं है, पंजाब के हित में नहीं है। पंजाब का विभाजन यदि इस प्रकार से मान लिया गया तो हम इस चीज को रोक नहीं सकते कि आज नहीं तो १०, २० या २५ साल बाद जितनी बोलियां हिन्दी की रूपांतर हैं वे भाषा बनें। पंजाबी भाषा का अलग राज्य बनाने से देश की एकता कायम नहीं होगी। मैं देश की एकता को सर्वोपरि मानता हूं। अगर देश की एकता नहीं रहती है तो देश के हिन्दू, सिख, ईसाई और मुसलमान कहीं के नहीं रहेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के इतिहास में सब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह था जिस दिन भाषावार प्रांत बनाने का निर्णय लिया गया, दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह था जिस दिन श्री रामुलू के देहावसान के पश्चात आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारत-वर्ष के इतिहास में वह था जब कि हम इतने सारे आन्दोलनों के पहले दृढ़तापूर्वक यह कहते रहे कि गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, लेकिन फिर उसके पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। फिर कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन पूना में हुआ, उस समय हमारे देश के जो उच्च कोटि के कुछ नेता थे उन्होने निर्णय लिया कि आज के पश्चात भाषावार प्रांत बनाने इसके ऊपर अन्तिम रेखा खींचीं जा रही है, लेकिन फिर परिस्थितियों से विवश होकर कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये नागा प्रदेश की घोषणा की गई। इन तमाम परिस्थितियों का दुष्परिणाम यह हुआ कि मास्टर तारा सिंह आज यह कहते हैं कि अगर नागा प्रदेश बन सकता है तो पंजाबी सूबा क्यों नहीं बन सकता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हूये]

मैं अपने वक्तव्य को पुष्ट करने के लिये संक्षेप में, पर मजबूत भाषा में यह कहना चाहता हूं कि मास्टर तारा सिंह का नारा पंजाबी सूबा बनाने के लिये केवल भाषायी नारा नहीं है साम्प्रदायिक है। सन १९४६ में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिशन यहां पर आया था उस समय अकाली पार्टी की ओर से जो मैमोरेंन्डम दिया गया था उस के शब्दों को पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। अकाली पार्टी ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को यह लिख कर दिया :—

"मुसलमानों की तरह सिखों को भी एक स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित करने का पूरा अधिकार है। सिखों के लिये स्वतंत्र सिख राज्य लिये बिना मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाना चाहिये।"

इस के पश्चात् इसको देखिये :—

"ज्ञानी कर्तार सिंह ने १९४७ में रावलपिंडी में कहा था कि उत्तरी भारत में सिखों को स्वतंत्र राज्य की स्थापना का अधिकार दिया जाये। ४ अप्रैल, १९४६ को मास्टर तारा सिंह

ने यह घोषित किया था कि हम भारत में एक सिख राज्य चाहते हैं उसका संचालन सिख पंथ के अनुसार किया जायेगा।"

इन शब्दों को सुनाने का मेरा केवल मात्र अभिप्राय यह है कि जो लोग यहां आ कर के पंजाबी सूबे की मांग को भाषायी मांग कहते हैं उनके मस्तिष्क से यह बात निकल जानी चाहिये।

एक बात जो मैं विशेष रूप से भारत सरकार को कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस समय भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ५ मार्च, १९४९, को पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने गये थे उस समय उनको वहां डाक्टरेट की आनरेरी डिग्री भी दी गयी। सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि मैं डाक्टरेट की डिग्री लेने नहीं आया हूं अपितु इस बहाने आप से दो शब्द कहने आया हूं। मैं आज की गवर्नमेंट को उस पुस्तक में से जो कि गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है और जिसमें सरदार पटेल का वह पूरा भाषण छपा है, कुछ शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि उस व्यक्ति के शब्दों से सरकार अपना मार्ग साफ कर सके, जिसने सन् १९४९ में पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में ये शब्द कहे थे :

"विभाजन का जख्म हिन्दुस्तान के शरीर पर बहुत गहरा लगा। अब हालत यह है कि जख्म से खून आना तो बन्द हो गया है लेकिन जख्म ठीक नहीं हुआ। पहला काम यह होना चाहिये कि नया खून न निकले फिर आहिस्ता-आहिस्ता जख्म ठीक हो जायेगा, पर हैरानी है कि मा० तारा सिंह उस जख्म पर ठोकर लगा रहे हैं। इससे तो जख्म में फिर से खून बहने लग जायेगा।"

सरदार पटेल ने अपने भाषण में उन सिखों से जो पंजाब का पृथक राज्य चाहते थे और जिनकी ओर से मास्टर तारा सिंह यह मांग कर रहे थे, कहा था :

"मैं पूछता हूं कि सिख आखिर कहां से आये? वह पहले कौन थे और वह हम से क्यों अलग होना चाहते हैं? हमारी कमज़ोरी में भी आप ने बहादुरी से काम किया। बहुत अच्छा किया लेकिन अब तलवार का जमाना नहीं है, अब कहीं दुनिया में तलवार नहीं चलती। हमारी फौज में जितने अफिसर हैं उन में सब से ज्यादा आपकी कौम के हैं। हमने जानबूझ कर उन्हें रखा है। छोटी सी कौम के हाथ में हमने अपनी तलवार दे दी क्योंकि आपकी तलवार पर हमें पूरा भरोसा है। आज के जमाने में कोई कौम यह दावा नहीं कर सकती कि वही मार्शल है। वह दिन चले गये जब इस तरह की बातें सोची जाती थीं।"

लेकिन जो विशेष बात मैं आपको सुनाना चाहता था वह यह है कि सरदार पटेल ने अपने भाषण में पंजाब के सिखों से अपील की थी कि वे मास्टर तारा सिंह को समझायें कि वह इस प्रकार का कदम न उठायें। अन्त में उन्होंने एक बात अपनी गद्दी के आने वाले उत्तराधिकारी के लिये कही थी और उनके उन शब्दों को मैं यहां जानबूझ कर कोट करना चाहता हूं। सरदार पटेल ने मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बहुत दुःख प्रकट किया था। मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी पर सरदार पटेल ने कहा :

"मैंने अपने हाथ से मास्टर तारा सिंह को जेल भेजा है जिसका मुझे बहुत दुःख हुआ, लेकिन मेरी जगह पर जो कोई भी आयेगा वह भी यही करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो मुल्क तबाह हो जायेगा"

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ये सरदार पटेल के अपने शब्द हैं जो उन्होंने सन् १९४९ में कहे थे। मैं आपने माननीय गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी यहां पर सरदार पटेल की गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बैठे हुये हैं।

इन शब्दों को ध्यान में रखते हुये, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज्ञा दीजिये कि इन शब्दों को कहूं कि पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने जैसे एक बार पहले पंजाब की परिस्थिति को संभालने के लिये मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार किया था, उसी तरह जब मास्टर जी ने ऐलान किया था कि १५ अगस्त से मेरा अनशन शुरू होने जा रहा है, उस समय भी उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिये था।

अभी चौधरी रणवीर सिंह ने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने गुरुद्वारों के इलेक्शनों में भाग लिया। मैं नहीं समझता कि ऐसा करके उन्होंने कोई बुद्धिमत्ता का काम किया। यह सब से बड़ी नासमझी की बात हुई कि पंजाब के जिम्मेदार मिनिस्टरों ने गुरुद्वारों के इलेक्शनों में हाथ बंटाया। उन्हें इन से दूर रहना चाहिये था। यह समझदारी का काम नहीं हुआ।

पंजाब के मुख्य मंत्री का यह कर्तव्य था कि जैसे ही मास्टर तारा सिंह ने अनशन का ऐलान किया था, उनको पंजाब की स्थिति को संभालने के लिये मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लेना चाहिये था। कल हमारे प्रधान मंत्री जी हिन्दुस्तान छोड़ कर विदेश जा रहे हैं। अगर कल शाम तक मास्टर तारा सिंह का अनशन समाप्त न हुआ तो उनके दिल में इसका दुख रहेगा और वे इस दुःख को लेकर बाहर जायेंगे। पर इसकी जिम्मेवारी से पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों नहीं बच सकते। जिस समय मास्टर तारासिंह ने अनशन का ऐलान किया था अगर उसी समय उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो आज देश के अन्दर यह परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती थी, इस प्रकार का दूषित वातावरण नहीं हो सकता था।

एक बात और मैं अपने प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं। कल यहां के कुछ हिन्दू नेता मास्टर तारा सिंह से मिलने गये थे और उन से कहा कि हम आप से हिन्दुओं की ओर से आग्रह करते हैं कि आप अपना अनशन त्याग करें ताकि देश में तनाव का वातावरण पैदा न हो। उस समय जो कुछ मास्टर तारासिंह ने उन नेताओं से कहा वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने एक बात तो यह कही कि हमारे अनशन को तोड़ने का एक बहुत बड़ा आधार तो यह हो सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति का शासन हो जाय। उन्हों ने कहा कि यह जो मिनिस्ट्री है यह ट्रबुल क्रिएट करती रहती है और कहीं न कहीं पर परेशानी पैदा करती रहती है। मैं नहीं समझता कि मास्टर तारासिंह के इस कथन में कहां तक गम्भीरता है वर्तमान परिस्थितियों में। एक समय ऐसा था जबकि मैंने इस प्रकार की मांग की थी, लेकिन आज की परिस्थितियां तो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि यह ऐसा समय नहीं है कि पंजाब की गवर्नमेंट को जरा सा भी हिलाया जाये। इस समय तो पंजाब की गवर्नमेंट को ज्यों का त्यों रखना चाहिये।

लेकिन, उपाध्यक्ष जी, एक बात जो मास्टर तारा सिंह ने उन हिन्दू लीडरों से कही वह यह थी कि आज गवर्नमेंट हिन्दुओं के हाथ में खेल रही है।

आप हाई पावर कमीशन बनाने जा रहे हैं, और मुझे शायद इन शब्दों को दुहराने की जरूरत न होती, लेकिन उधर से जो चैलेंज दिया गया है इसलिये मुझे ये शब्द आप को सुनाने पड़ रहे हैं कि

पंजाब के अन्दर सिखों की संख्या ३० प्रतिशत है और आप देखें कि उस को देखते हुए उन को कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। मुझे पता नहीं कि इस से और कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह चाहते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन इन को विस्तार से सुनाने के लिये मेरे पास समय नहीं है। कुछ मोटी-मोटी बातें मैं आप को बताना चाहता हूं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सिख, पंजाब असेम्बली के स्पीकर सिख, चेयरमैन पंजाब काउंसिल सिख, चेयरमैन पब्लिक सरविस कमीशन सिख, जो दो मिनिस्टर पंजाब का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं वे दोनों सिख, और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब सिख। इसके अलावा पंजाब के आई० जी० पुलिस सिख, डी० आई० जी० सी० आई० डी० सिख ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आज पंजाब की जनता में एक सन्देह फैला हुआ है कि क्या कारण है कि जब पंजाब का प्रतिनिधित्व सेंटर में दो मंत्री कर रहे हैं, जिन में एक कैबिनेट रेंक के हैं और दूसरे डिप्टी मिनिस्टर हैं। वें क्यों मौन बैठे हैं। पंजाब की जनता में इस बात पर सन्देह फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी अपने भाषण में इस का भी स्पष्टीकरण करें।

एक बात और कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समय जबकि इस प्रकार का वातावरण फैला हुआ है कुछ लोग अपनी अहमियत और महत्व दिखाना चाहते हैं। और वे एक खास प्रकार का पार्ट प्ले कर रहे हैं। आप के पास ऐसे लोग भी आये होंगे जो कहते हैं कि हम हिन्दी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम हरियाना के प्रतिनिधि हैं। वे कहते हैं कि मास्टर तारा सिंह की डिमांड ठीक है और रीजनल कमेटीज़ को सब-लेजिस्लेचर्स बना दिया जाय। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल परसों हरियाना प्रान्त का नारा लगाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली प्रान्त के एक नेता के साथ मिल कर महा दिल्ली प्रान्त बनाने का नारा लगाया था। आज ये हरियाना का, गुड़गांव का, करनाल का, रोहतक का या महेन्द्र गढ़ का ये कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते लेकिन एक वातावरण पैदा कर रहे हैं।

अन्त में एक बात को कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और वह यह है कि आप एक बात गम्भीरता के साथ सोच लीजिये। मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया है और उनके अनशन के सम्बन्ध में मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि उन का देहावसान नहीं होना चाहिये। परमात्मा उन को दीर्घायु प्रदान करें। हमारे प्रधान मंत्री जी ऐसा वातावरण पैदा करें कि जिस से उनका अनशन समाप्त हो जाय तो इस से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मास्टर तारा सिंह का अनशन छुड़ाने का वातावरण बनाते समय अगर दुर्भाग्य से कहीं स्वामी रामेश्वरानन्द या योगिराज सूर्यदेव का देहावसान हो गया तो बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्वामीजी के पीछे देश का कितना बड़ा बहुमत है। दिल्ली के बगल के जो इलाके हैं उनके बहुत से नौजवान---हर घर में एक दो मिलिटरी में काम करते हैं। जब से उनके कानों में यह खबर पड़ी है कि स्वामी जी पंजाब की सुरक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाये हुए हैं तब से उनके मनों में उथल-पुथल पैदा हो गई है। आप का यह कर्तव्य है कि समदृष्टि से सोचें, और मैं यह कह कर अपना स्थान लेता हूं कि अच्छा हो अगर सुबह का भला शाम को घर आ जाये।

आप ने बहुत बड़ी भूल उस समय की जब भाषावार प्रान्त बनाने का निर्णय लिया। आज समय है कि उस भूल को आप सुधार लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाली आन्दोलन अपने प्रकार का कोई अन्तिम आन्दोलन नहीं है। अगर इस में कुछ भी सफलता हो जाती है, अगर इस में आप की ओर से कुछ भी ढिलाई हो जाती है, तो विदर्भ तैयार है, मिथिलावालोंका आन्दोलन

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तैयार है, झारखंड वालों का आन्दोलन तैयार है और भी न जाने कितने तैयार हैं। अगर इन तमाम चीजों को रोकना है तो वह एक ही प्रकार हो सकता है कि देश में संघीय शासन की स्थापना की जाय, देश को चार छः रीजन्स में बांट दिया जाय और प्रान्तों की चाहरदीवारी को समाप्त किया जाय।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं एक दो जरूरी बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। अब वक्त नहीं है। आर्डर, आर्डर।

राजा महेन्द्र प्रताप : आप पंजाब में खून बहाना चाहते हैं और जो मैं सुलह की बात कहना चाहता हूं उस को आप सुनना नहीं चाहते।

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की स्थिति के बारे में कल शाम को मैंने यहां एक वक्तव्य दिया था। उस के बारे में यहां जो चर्चा हुई उसका मैं स्वागत करता हूं। स्पष्ट बात यह है कि इसके बारे में मैं कोई लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं चाहता था क्योंकि चर्चा के दौरान में कई बातें ऐसी कही जा सकती हैं जो सिर्फ यहां पर हमें ही नागवार न गुजरें बल्कि बाहर भी कई लोग उन से बुरा मान जायें। इस मसले ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसका फैसला हम सिर्फ दलीलों से नहीं कर सकते। हमें लोगों की भावना का भी ध्यान रखना है और जो कुछ बात हम कहें वह हमें समझ बूझ कर कहनी है यद्यपि केवल भावना से कोई समस्या हल नहीं होती।

मैंने कल खुलासा तौर पर यह कहा था कि पंजाबी सूबे के नाम पर पंजाब का और आगे बंटवारा रोकने के क्या कारण हैं। यह मसला हमारे आगे कई बरसों से रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने पुरानी बातें कही हैं। मैं इतनी पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। पिछले चुनावों से पहले यानी करीब पांच साल पहले यह सवाल हमारे सामने आया जिसके फलस्वरूप हमने प्रादेशिक सूत्र बनाया। पिछले करीब एक साल से यह समस्या हमारे आगे बराबर आती रही है और मैंने इस पर काफी सोचा है और मैं कैबीनेट के अपने साथियों से भी राय लेता रहा हूं। मैं ने पंजाब सरकार और मुल्क के और साथियों से मशविरा किया है। हम ने सिर्फ सिद्धान्तों के लिये नहीं बल्कि इस से पैदा होने वाले नतीजों पर भी विचार किया है। हमें इन्सानों के हित का सदैव ध्यान रखना चाहिये। खास तौर से जब लाखों इन्सानों का सवाल सामने हो। इसलिये इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही हम ने यह फैसला किया है।

मैं बहुत आगे की बात तो नहीं कह सकता लेकिन निकट भविष्य में मैं समझता हूं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम अपना निर्णय बदलें।

जब हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बीच में कहीं गरमागरमी हो जाये। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन चौदह सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया उन में से सिर्फ तीन ने पंजाबी सूबे की पैरवी की। ये सब लोग चाहते तो कुछ भी कह सकते थे। इस से भी दिलचस्प बात यह है कि यहां उपस्थित सैकड़ों सदस्यों में से किसी पंजाबी या पंजाब के पड़ौसी ने या किसी सिख या आधे सिख ने पंजाबी सूबे का समर्थन नहीं किया। जिन ने समर्थन किया और उन्हें पूरा हक था कि वे समर्थन करते, वे पंजाब से बहुत दूर के रहने वाले हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

असली जानकारी लम्बी लम्बी किताबें पढ़ने या अखबार पढ़ने से नहीं होती बल्कि लोगों के सम्पर्क में आने से होती है। मानों उन की नब्ज़ पर हाथ रख कर यह पता लगता है कि उन के मन में क्या है। वर्ना हम एक अलग से एकान्त वातावरण में रहते हैं और यह समझते हैं कि हम किसी सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं जबकि हम यह नहीं देखते कि किसी खास हालत में वह लागू होता है या नहीं। अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि पंजाब से या सिखों से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति ने उस मामले में सरकार की नीति का पूरा समर्थन किया है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा : उन के लिये ह्विप जारी किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ह्विप के बगैर भी लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं। वह और भी बुरी बात है। अगर वोट देने का मौका आयेगा तो लोग वोट देंगे। ह्विप में यह तो नहीं कहा जाता कि आप एक खास तरीके से बोलें। यदि हम ऐसा भी मान लें तब भी विषय की जानकारी के बिना इस तरह बोलना आसान नहीं है। पंजाब का मसला काफी बड़ा है, सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण से हमें इस के हर पहलू पर और उस के नतीजे पर गौर करना चाहिये। मैं उन सदस्यों का भी स्वागत करता हूं जिन ने सरकारी नीति से असहमति प्रकट की है किन्तु मुझे तो यह आशा थी कि वे युक्तियुक्त ढंग से और तर्क से अपनी बात कहेंगे किन्तु ऐसी बात मुझे उन के भाषणों में नहीं मिली।

उन्होंने गलत सिद्धान्तों से आरम्भ किया और कहने लगे "हमने भाषायी राज्यों का सिद्धान्त मान लिया है। हमने इसे गुजरात और महाराष्ट्र तथा नागालैण्ड में इतनी मुसीबतों के बाद भी इसे स्वीकार किया है और अब हम इसे क्यों नहीं मानते?" यह एक असत्य समीक्षा है। भाषायी राज्यों के लिये मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। इस बात में तो कोई सन्देह नहीं कि हमने इस सिद्धान्त को माना है और यह आज नहीं बल्कि चालीस साल पहले हमने कांग्रेस में मान लिया था। उस मसय मेरी तो क्या हस्ती थी। मैं तो सिर्फ एक नौजवान था। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने यह बात मानी थी कि हमारा शासन जनता की भाषा में होना चाहिये। यही हमारा उद्देश्य था। अपनी अपनी संस्था से आगे बढ़ कर जनता तक पहुंचना चाहते थे चाहे वह नेशनल कांग्रेस हो या लिबरल लीग जिस के लोग सिर्फ अंग्रेजी में बोलते थे और ऐसे लोगों के आगे बोलते थे जो कुछ अंग्रेजी समझते थे कुछ नहीं समझते थे फिर भी वे फ्राक कोट पहनते थे और टोप लगाते थे।

चालीस वर्ष हुए गांधी के मार्ग दर्शन से भारत में एक क्रांति हुई जिससे हम ने भाषा के सवाल को महत्व दिया और हमने सोचा कि भाषायी राज्य अधिक उन्नति कर सकेंगे। उस समय क्षेत्रीय राजनीति का सवाल नहीं था। लोग जनता की भाषा में शिक्षा और शासन की दृष्टि से ऐसा कहते थे ताकि जनता उन्हें समझ सके। लोग ब्रिटिश राज्य से अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहते थे जिसमें कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीय मिल कर अंग्रेजी भाषा में हुकूमत करते थे और जनता से वे बिल्कुल अलग थे। उस जमाने में बड़े बड़े जन समुदाय के आगे मैं जनता की भाषा में ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ता था। उसी समय से भाषायी विचार आरम्भ हुए।

१९२१ और १९२२ में कांग्रेस ने आंध्र प्रान्त को स्वीकार किया था। एक व्यक्ति के अनशन के कारण ऐसा नहीं हुआ। यह तो १९२१ में ही मान लिया गया था। कांग्रेस के संविधान में उसे एक प्रान्त बना दिया गया। मुझे अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]
कहीं ग़लती की हो किन्तु जहां तक आन्ध्र प्रान्त की का सम्बन्ध है, वह १९२१ में ही तय हो चुका था ।

जो दिक्कत हमारे सामने आई थी वह मद्रास शहर के लिये आई थी जिसे तमिल और आंध्र दोनों क्षेत्र के लोग मांगते थे । हम ने उनसे कहा "आप इसे आपस में तय कर लीजिये । हम आपको मजबूर नहीं कर सकते । हमें मद्रास नगर को तमिल या आंध्र क्षेत्र में मिलाने का हक नहीं है । आप खुद तय कर लें ।" उसी समय एक व्यक्ति ने अनशन आरम्भ कर दिया । उससे पहले ही आंध्र और तमिल नेताओं में समझौता हो गया था । उनकी मृत्य से पहले ही . . . . .

†**कुछ माननीय सदस्य :** श्री पोत्ती श्रीरामलू की . . . . .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह प्रश्न तय हो चुका था । यह अनशन के कारण तय नहीं हुआ था बल्कि अनशन से तो अड़चन पड़ गयी थी । सिर्फ विस्तार की बातें तय करनी थी और इसी बीच में उनका अनशन आरम्भ हो गया था ।

इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र का प्रश्न लीजिये । कुछ सदस्यों की याददाश्त कमजोर है । इसका अफसोस है । हो सकता है कि इस मसले में सरकार ने ग़लती की हो । हमने तो एक बिल पेश किया था जिसमें तीन राज्यों का विधान था——महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई नगर राज्य । हमारा यही फैसला था ।

इससे कुछ सदस्य खुश नहीं थे और अन्त में २७२ सदस्यों ने एक मेमोरेंडम पर दस्तख़त किये । श्री अशोक मेहता उसमें अगवा हुए थे और दूसरों ने अपनी सहमति दी थी । साम्यवादी दल को छोड़ कर सब दलों के सदस्यों ने सहमति दी थी । २७२ काफी बड़ी संख्या थी । उनमें कई गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी थे और मैं असमंजस में पड़ गया क्योंकि हम तो एक बिल पेश कर चुके थे । साथ ही मैं मंजूर करता हूं कि उस बिल से मुझे कोई खुशी नहीं थी और इस नये मूव का मैंने स्वागत किया । मैंने समझा कि यह सभी की राय है । लेकिन मैंने सही नहीं समझा क्योंकि उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में झगड़े शुरू हो गये । जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी । संसद में एकदम से यह परिवर्तन हो जाने से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया और झगड़े शुरू हो गये । उस समय हम चाहते तो यह थे कि गुजरात और महाराष्ट्र बन जाता और बाद में यदि बम्बई नगर निगम का बहुमत यह चाहता तो महाराष्ट्र में मिल सकता था । उस समय हम इस बात पर दबाव नहीं डालना चाहते थे ।

उस समय समस्त महाराष्ट्र में भी लोगों की यही राय थी कि महाराष्ट्र एक अलग क्षेत्र है । गुजरात के लोग कहते थे कि गुजरात एक अलग क्षेत्र है और इसका कोई विरोध नहीं था ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : कृपया विदर्भ के लोगों को इस में न मिलाइये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** डाक्टर अणे का कहना ठीक है । विदर्भ या विदर्भ के एक भाग ने सदैव अलग मांग रखी है । फिर भी मैं यह बता रहा हूं कि पंजाब का सवाल इन समस्याओं से बिल्कुल अलग है । मैं भाषा विज्ञान की बात करना नहीं चाहता । जहां तक रहन सहन, बोली, खानपान आदि का सम्बन्ध है, सारे पंजाब में एकता है चाहे वह हिन्दू हो या सिख या मुसलमान, हालांकि अब वहां मुसलमान बहुत कम हैं । वहां भाषा या मजहब के वे सवाल नहीं हैं जो भारत में और जगह हैं । यह सही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम भाषा के बारे में इतनी बातें करते हैं। पहले तो वहां ऐसा कोई नहीं करता था। पंजाबी वहां की भाषा थी। यह ठीक है कि हरियाने में हिन्दी बोली जाती है। झगड़ा तो लिपि से पैदा हुआ। बोली जाने वाली भाषा के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान में न तो हिन्दी लिपि वहां थी और न गुरुमुखी। वहां फारसी लिपि का इस्तेमाल होता था। वही सरकारी और लोकप्रिय तथा पढ़ाई जाने वाली लिपि थी।

हमारे मित्र अकाली नेता भी उर्दू में लिखते थे। वही उन ने सीखी थी। उनने गुरुमुखी भी सीखी लेकिन जब वे मुझसे बातें करते थे और नोट लेते थे तो उर्दू में लिखते थे। मैंने स्वयं इसे देखा है। लेकिन बेचारी उर्दू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। खैर, यह एक अलग मसला है।

फिर भी यह चीज रोजमर्रा इस्तेमाल की है। अकालियों और हिन्दुओं के अखबार उर्दू जबान में और उर्दू लिपि में निकलते हैं। यह एक अजीब बात है। दोनों अपनी अपनी दलीलें उर्दू में देते हैं जो पंजाब की एक धरोहर है। यह सब होते हुए भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पंजाबी पंजाब की प्रमुख भाषा है।

जब मैं इसे प्रमुख भाषा कहता हूं तो इसके मानी यह हैं कि इसमें बोलियां चाहे अलग अलग हों लेकिन भाषा एक है। अगर मैं पन्द्रह दिन पंजाब में रहूं तो मैं इसे समझने लग जाऊंगा। उसकी एक वजह यह भी है कि बचपन में मैं पंजाब जाया करता था। मैं भी तो आधा पंजाबी हूं।

†**श्री त्यागी** : नहीं, नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा मतलब यह है कि मेरी मां पंजाब की रहने वाली थी। वह इस पंजाब की नहीं बल्कि जो अब पाकिस्तान में रह गया यानी लाहौर की थीं। इसलिये मैं इसे आसानी से समझ सकता हूं। उसमें आधी तो हिन्दी है सिर्फ उच्चारण का भेद है। हिन्दी और पंजाबी वहां असंख्य लोगों की भाषायें हैं।

जैसा यहां बार बार कहा गया है पंजाब में हिन्दू और सिख को अलग करना बहुत मुश्किल है। हजारों परिवार आधे हिन्दू और आधे सिख हैं। वहां हिन्दू भी गुरुद्वारे में जाते हैं और सिख गुरुओं और गुरु ग्रन्थ साहब का आदर करते हैं। वे तो एक ही ताने बाने में बने हुए हैं। उन्हें अलग करने से तो वह वस्त्र ही छिन्न भिन्न हो जायगा। हमें इसका खतरा है।

सरदार हुकम सिंह ने कहा है हमें आज जो स्थिति है उस पर विचार करना चाहिये, पहले चाहे जो होता रहा हो। आज यदि हम बंटवारा कर दें तो उसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। श्री गोरे ने भी नतीजों के बारे में कहा है। उन ने शायद दंगे फसाद के खतरे को सोचा है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक तो एक जाति के दो टुकड़े करना है। यह एक भयानक चीज़ है।

इसलिये मैंने इसका विरोध किया है। माननीय सदस्यों की यह धारणा ठीक है कि मैं नरमी से काम लेता हूं और कभी दबाव पड़ने पर झुक जाता हूं। जहां जरूरत हो, मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं लोगों को अपनी ओर खींचना पसन्द करता हूं। मैं उस सख्त लकड़ी की तरह सीधा खड़ा नहीं रहता जो झुक नहीं सकती लेकिन जहां सिद्धान्त का प्रश्न है वहां मैं कभी नहीं झुकता। अन्यथा इस देश में आप नरमी के बिना और लोगों को अपनी ओर खींचे बिना हुकूमत नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह सब होते हुए भी मैं पंजाब के इस बंटवारे के लिये अपने आप को राज़ी न कर सका। इससे वहां का सामाजिक जीवन ही टूट जायेगा। पांच छः महीने बाद ही चुनाव आ रहे हैं। मैं इस प्रश्न को चुनाव से अधिक महत्व देता हूं। थोड़ी बहुत सीटें जीतने या हारने का सवाल नहीं है। पिछले सौ वर्ष से पंजाब प्रान्त चल रहा है। उसका अपना जीवन, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा है। जहां कभी भी पंजाबी जाता है, चाहे वह हिन्दू हो या सिख, वह अपने साथ पंजाबीपन लेकर जाता है दो पंजाबी चाहे लन्दन में मिलें वे पंजाबी में बात करेंगे। यही हाल अमरीका, सिंगापुर और सब जगह है। आप वहां यह भेद नहीं कर सकते कि यह हिन्दू पंजाबी है और यह सिख पंजाबी। यह एक अच्छी बात है और पंजाबी सूबा बनने से सैकड़ों बरसों की यह एकता छिन्न भिन्न हो जायेगी। भाषा की दृष्टि से यह एक क्षेत्र है, सामाजिक दृष्टि से, रहन सहन और मेल जोल की दृष्टि से भी। आप इसे तोड़ना चाहते हैं इस बात से वाकई मुझे दुःख पैदा होता है।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में शुरू में ही उल्लेख किया गया है। इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि दर असल बात यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस मसले पर, पंजाबी सूबे, के बारे में उस वक्त भी विचार किया था जबकि लोग इस सवाल को ले कर इतने उत्तेजित नहीं थे जितने कि वे आज हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी सोच विचार के बाद जो तर्क उन्हों ने रखा है वह यह है कि वर्तमान पंजाब के टुकड़े करना ठीक नहीं है और यह हर आदमी के लिये हानिकारक है। यह बात महत्वपूर्ण है वर्ना वे कोई ऐसी बात नहीं कहते जिस का पालन कि आज हम कर रहे हैं अथवा जिस पर जमना आज हमारे लिये जरूरी है। तीन योग्य व्यक्तियों ने इस मामले की जांच की और वह जांच भी उस समय की जबकि किसी भी ओर से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था और अन्त में वे इस नतीजे पर पहुंचे। मैं माननीय सदस्यों को सलाह दूंगा कि अगर उन के पास कुछ समय हो, कुछ वक्त हो तो वे उस अध्याय को पढ़ें। इस में कोई अधिक वक्त नहीं लगेगा यही दस या १५ मिनट लगेंगे। यह अध्याय बहुत ही तर्क युक्त है इस में यह दिखाया गया है कि पंजाब की हालत क्या है, पंजाबियों की, हिन्दुओं की, सिखों की तथा और दूसरे लोगों की जिन्दगी कितनी एक दूसरे से मिली जुली है। आप उन को अलग नहीं कर सकते। यही एक खास बात है। वहां पंजाब में जो कुछ हुआ है—सवाल इस वक्त पंजाबी सूबे का ही नहीं है— यह बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ वहां हुआ है उस से पंजाब के लोगों की आपसी एकता पर काफी आघात पहुंचा है। लोग हिन्दू-सिख एकता की बात करते हैं—इसी तरह की और भी बातें करते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है—लोग ठीक इस के खिलाफ बर्ताव कर रहे हैं। मेरा मंशा किसी पर कोई आरोप लगाने का नहीं है। लेकिन असल बात तो यह है कि एक ओर तो अकाली दल और दूसरी ओर कुछ हिन्दू संगठन इस खाई को बढ़ाने के समान रूप से जिम्मेदार हैं। दोनों ने ही भाषा अथवा कोई और ही बात ले कर नारे लगाये हैं और लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया है जोकि बहुत ही दुखदायी है और अफसोसजनक है। नतीजा यह हुआ है कि आज स्थिति ऐसी आ गई है—एक ओर तो पंजाबी सूबा की मांग है और दूसरी ओर इस मांग का ज़ोरदार विरोध है—ऐसी हालत में चाहे कोई भी सिद्धान्त भले ही वह भाषा का हो अथवा कोई और दूसरा—कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण बात है—दर असल ऐसी हालत में कुछ किया नहीं जा सकता। चाहे माननीय सदस्य, वह कोई भी क्यों न हो, कुछ भी क्यों न कहे, ऐसी हालत में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालत ऐसी है कि सारे पंजाब में संकट उत्पन्न किये बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इस के अलावा भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। यह बात दूसरी है। यह स्पष्ट है कि यह मामला महाराष्ट्र और गुजरात जैसा नहीं है। यह वह राज्य है जहां हर आदमी को, हर

परिवार को तकलीफ पहुंची है । पंजाब भी उसी तरह भाषायी क्षेत्र है जिस तरह कि भारत के और राज्य हैं, कुछ अल्प भाषाओं वाले क्षेत्रों से कुछ मानों में अच्छा भी है, मैं मानता हूं कि हरयाना प्रान्त में कुछ लोग हिन्दी बोलने वाले हैं उन की मातृभाषा हिन्दी है । लेकिन मोटे तौर पर देखा जाय तो पंजाब एक भाषायी क्षेत्र है और यह भी भाषायी सिद्धान्तों का पालन उसी प्रकार कर रहा है जिस प्रकार कि वे निर्धारित किये गये थे । आप किसी गांव अथवा परिवार को इस प्रकार अलग अलग नहीं कर सकते । फिर इस के अलावा एक बात यह भी तो है कि यहां सामाजिक एकता है जोकि लोगों में भरी हुई है, उस की गहरी जड़ है और वह लोगों में और भी गहरी होती जा रही है ।

इस तरह लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया गया है । दूसरी स्थितियों में वजूहात भले ही कुछ दूसरे हों, लेकिन इस समय कुछ करना मुसीबत को न्यौता देना है । मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन अगर पंजाबी सूबा बन गया, मैं उस में रहना तो निश्चय ही पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी आदमी चाहे वह मंत्री हो अथवा कोई और जिस के पास भी अधिकार होगा उसे वहां के बहुमत के विरोध का सामना करना पड़ेगा । चाहे वह विरोध बहुत अधिक हो या कम । ऐसी हालत में जबकि ४५ प्रतिशत जनता आप का विरोध करती हो काम करना बड़ा मुश्किल है । वह बात दूसरी है कि वह विरोध भाषा के आधार पर है अथवा साम्प्रदायिकता के आधार पर । लोग बराबर विरोध करते रहेंगे । पंजाबियों में बहुत से गुण हैं लेकिन साथ ही वे झगड़ालू भी हैं । वे आपस में लड़ते रहते हैं ।

श्री गोरे ने राजनीतिज्ञता की दुहाई दी है । मैं उन से कहूंगा कि वह राजनैतिज्ञता के आधार पर इस समस्या का समाधान करें । मैं समझता हूं कि वह नहीं किया जा सकता । मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा करना मुसीबत को बुलाना है । पंजाबी राज्य या पंजाबी सूबा अगर बन भी गया तो एक मुसीबत बन जायेगी । मैं तो समझता हूं कि पंजाबी सूबा बनना संभव नहीं है । इस के बनने के बाद लोगों का आव्रजन शुरू हो जायेगा । क्या हम फिर उस अनुभव का सामना करना चाहते हैं । किसी चीज का विभाजन करना आसान है । संसद यह कार्य कर सकती है ; लेकिन यह किया जा सकता है ऐसा करना शांतिपूर्ण ढंग से हो तभी अच्छा है । अधिक लोगों की राय से हो तभी अच्छा है । आप विभाजन नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही विभाजन होगा मुसीबतें शुरू हो जायेंगी । वहां पर जो दुर्घटनायें आयेंगी उन को ठीक करने में काफी समय लग जायेगा । बहुत सी जातियों को आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की चोटें पहुंचेंगी । आप ही देखिये कि इस विभाजन के परिणाम ऐसे होंगे ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पृष्ठ भूमि का अध्ययन कर लें ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जहां तक पंजाब में पंजाबी भाषी में काम करने की बात है मैं कह सकता हूं कि वहां पंजाबी में काम हो रहा है । उदाहरण के लिये 'क्षेत्रीय फार्मूला' को ही लीजिये । भावना की दृष्टि से हम ने दोनों ही लाभ एवं हानि उत्पन्न की हैं । स्वयं में यह अच्छा है । जब क्षेत्रीय फार्मूला पारित किया था तो अकाली नेता मास्टर तारासिंह ने कहा था कि अब पंजाबी सूबे की आवश्यकता नहीं है । हम सन्तुष्ट हैं । यह घोषणा उन्हों ने सार्वजनिक रूप से की थी । लेकिन दो तीन महीने बाद ही इस का विरोध होने लगा । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं वहां गया और समझौता कराने का प्रयत्न किया । अकाली दल ने क्षेत्रीय फार्मूले के बाद अपने दल के संविधान में संशोधन भी किया था । मैं देखता हूं कि मास्टर तारासिंह पर मेरी बात का उस समय कुछ प्रभाव भी हुआ लेकिन वह थोड़े दिन के बाद ही समाप्त हो गया ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर पंजाबी क्षेत्र एंव हिन्दी क्षेत्रों की स्थापना हुई। क्षेत्रीय समितियां की स्थापना हुई। इन समितियों में पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। एक बात यह भी हुई कि इन क्षेत्रीय समितियों की कुछ दिनों तक बैठकें भी नहीं हुई। कारण इसका यही था कि वे अपने स्तर के बारे में कि वे स्वतन्त्र हैं या उनका अपना क्या स्तर है इस बारे में लग रहे। अंत में यह मामला हमारे पास आया वहां की विधान सभा के अध्यक्ष ने हमें लिखा। हमने यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा। विधि मंत्रालय ने काफी छानबीन के बाद, विस्तृत रूप से उदाहरणों का उल्लेख करके यह बताया कि ये समितियां स्वतंत्र नहीं है। ये समितियां विधान सभा की ही अंग है। लेकिन यह बात क्षेत्रीय समितियों को पसंद आयी नहीं क्योंकि वे अपना स्तर ऊंचा चाहती थी। वे चाहती थी कि उन्हें कुछ सुविधाएं दी जायें।

इन समितियों को जो विषय दिये गये थे वे महत्वपूर्ण थे। ये विषय भाषा तथा इसी प्रकार के विषयों से सम्बन्धित थे। और उनकी संख्या भी १४ थी। यह निश्चय किया गया कि पंजाबी क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों में प्रथम भाषा पंजाबी होगी तथा दूसरी भाषा हिन्दी होगी। हिन्दी क्षेत्र में, प्रथम भाषा हिन्दी तथा दूसरी भाषा पंजाबी होगी।

इस काम में देरी हुई। हमारे पूछने पर पंजाब सरकार ने बताया कि अध्यापकों की कमी है। देरी नहीं हुई है बल्कि हम अध्यापकों की तलाश कर रहे हैं। लगभग ५०,००० अध्यापकों को पंजाबी एवं हिन्दी पढ़ने के लिये भजा गया। इसलिये इस योजना को क्रियान्वित करने में काफ़ी समय लगा। दो तीन वर्ष के बाद काम ठीक ढंग से होन लगा।

इस दौरान में क्षेत्रीय (प्रादेशिक) समितियां ने बहुत सी सिफारिशें भेजी। एक ही ऐसा मामला था जिसमें हम सिफारिश को नहीं माना गया शेष अन्य मामलों में विधान सभा ने उन समितियों की सभी सिफारिशों को मान लिया था। जिन सिफारिशों को अस्वीकृत किया गया था वह हिन्दी समिति की थी। इस प्रकार पंजाबी समिति के सामने कोई कठिनाई नहीं थी।

आप देखेंगे कि जहां तक भाषा का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में कोई बात छोड़ी नहीं गई थी। प्रशासन की दृष्टि से भी यह तय किया गया था कि इस काम के लिये पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर तक पंजाबी का प्रयोग किया जायेगा और हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी का। मैं समझता हूं कि पंजाबी में प्रत्येक कर्मचारी को पंजाबी तथा हिन्दी दोनों ही पढ़ना आवश्यक था।

मैं देखता हूं कि पंजाबी की उन्नति में कहीं कोई बाधा नहीं आई। पंजाबी भाषा के लिये सब कुछ किया गया। एक पंजाबी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उन्होंने यह बात नहीं कही थी। यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाबी भाषा के लिये कुछ नहीं किया गया। जो कुछ हो सकता था वह किया गया। आज स्थिति यह है कि पंजाब के बाहर लोगों को पंजाबी सीखनी पड़ती है। पिछले ८–१० वर्ष में पंजाबी न बहुत अधिक उन्नति की है इतनी तरक्की उसने गत सौ वर्षों में नहीं की थी। इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि पंजाबी हानि उठा रहे हैं। भाषा की दृष्टि से पंजाब एक भाषायी सूबा है। वहां हिन्दी तथा पंजाबी दोनों ही भाषा वहां उन्नति कर रही हैं।

वहां क्षेत्र किस प्रकार काम कर रहे हैं, अथवा पंजाबी को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह प्रश्न उठाया गया था। इस बारे में मैंने यही सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं कुछ शिक्षा विशारद बैठ कर इस मामले का निपटारा कर लें। अतः यह मामला भाषा का बिल्कुल भी नहीं है बल्कि साम्प्रदायिकता का है। राज्य में दो उप-

विधान-मंडलों के निर्माण का अकालियों ने जो सुझाव दिया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः सन्त फतहसिंह ने मेरी बात को गलत समझा।

विभाजन के बाद काफ़ी संख्या में लोग पाकिस्तान गये और वहां से लोग आये। ये आने वाले लोग लाखों की संख्या में पंजाब के हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र में आकर बस गये और यहां आकर उन्होंने हिन्दी बोलना और पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनकी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। पिछले आम चुनाव के दौरान में यह बात उठाई गई थी कि वे अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखाये। इससे काफी हानि हुई। इससे लोगों में मतभेद बढ़े और यह बुरी बात थी। लोगों में एक दूसरी जाति के प्रति जो विश्वास था वह उठ गया।

यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि भूख हड़तालों को किसी समस्या के हल करने के लिये जायज़ तरीका स्वीकार नहीं किया जायेगा क्यों कि यह धारणा जम गई है कि अनशन सफल रहते हैं तो देश में कठिनाइयों का कभी अन्त नहीं होगा। यह ठीक है कि महात्मा गांधी ने इसे पहलू को अपनाया था लेकिन महात्मा गांधी ने राजनैतिक समस्याओं के समाधान के लिये कभी नहीं अपनाया। जहां तक महाराष्ट्र एवं गुजरात की बात है उनका मामला तो बिल्कुल दूसरा ही है। अतः सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही की दृष्टि से हम इस उपाय को नहीं अपना सकते। वस्तु स्थिति तथा किसी उपाय के फलस्वरूप सारे भारत और विशेषतः पंजाब के लिये हुए घातक परिणामों के विचार से देखा जाये तो सरकार की नीति एक ठीक नीति है। सरकार एक दृढ़ नीति पर चल रही है, उससे पथ भ्रष्ट होने से सारे देश को हानि पहुंचेगी।

मैंने मास्टर तारासिंह तथा सन्त फतेहसिंह से अच्छी तरह बात कर ली है। उनकी बात सुन ली है। उनसे पत्र व्यवहार भी किया है उनसे अपील भी की है। और आगे भी करता रहूंगा लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं अपील करते समय महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूल जाऊंगा उसका त्याग कर दूंगा। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा में एवं बाहर सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि सरकार की नीति ठीक है और वह नीति दृढ़ है। और इससे हटना या इसका त्यागन करना देश के लिये घातक होगा।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार ३० अगस्त १९६१/८ भाद्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१

७ भाद्र, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .	.२६९३—२७१४

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०१६	लाजपत नगर के मकान . .	२६९३—९५
१०१७	हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा जहाजों का निर्माण	२६९५—९७
१०१८	डाक के फार्म . .	२६९७—९८
१०१९	राजस्थान नहर में नौचालन सुविधाएं	२६९८—९९
१०२०	वक्फ प्रशासन .	२६९९—२७००
१०२१	दिल्ली-लन्दन बस सेवा	२७००—०१
१०२२	आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण पर वैधानिक नियंत्रण	२७०१—०३
१०२३	पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया से रेल पटरियां .	२७०३—०४
१०२४	शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक चिकित्सालय . .	२७०५—०६
१०२६	ग्लाइडरों का निर्माण	२७०६—०७
१०२७	फरक्का बांध . . .	२७०७—०९
१०२९	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति .	२७०९—१०
१०३१	एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा टर्बी जेट कारखाना .	२७१०—११
१०३५	ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई . .	२७११—१३
१०३६	डीप फ्रीजिंग द्वारा हृदय की गति को रोकना .	२७१३
१०३७	यमुना जल विद्युत् परियोजना . .	१७१३—१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर . २७१४—७५

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०२५	हुगली नदी के तेल से मिट्टी निकालने का काम	२७१४—१५
१०२८	पशुओं के लिए जीवन बीमा . . .	२७१५
१०३०	हैलाकंडी स्टेशन के पास रेल की पटरी उखाड़ना .	२७१५

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०३२	स्कूल के बच्चों को दूध की सप्लाई . .	२७१६
१०३३	बिजली परियोजनाओं की योजनाओं को कार्यान्वित करना	२७१६–१७
१०३४	चेचक अग्रिम परियोजना समिति की रिपोर्ट	२७१७
१०३८	मानसिक स्वास्थ्य मंत्रणा समिति	२७१८
१०३९	गांव के डाकिये को दैनिक भत्ता . . .	२७१८–१९
१०४०	पालम हवाई अड्डा	२७१९
१०४१	सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था .	२७१९–२०
१०४२	गंडक और कोसी परियोजनाएं .	२७२०
१०४३	क्षेत्रीय प्रतिबधों का हटाया जाना .	२७२०
१०४४	टेलीफोन कारखाना . .	२७२०–२१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६२४	रजिस्ट्री आफ पैथालाजी . . .	२७२१
२६२५	हावड़ा-मुगलसराय लाइन का विद्युतीकरण .	२७२१
२६२६	तीसरी योजना में पंजाब के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनायें .	२७२१–२२
२६२७	रेलवे पर आम हड़ताल . . .	२७२२
२६२८	आर० एम० एस० के बड़े डिवीजन . .	२७२२
२६२९	यूगोस्लाविया से जहाज . . .	२७२२–२३
२६३०	अण्डे के पाउडर के निर्माण के लिए संयत्र . . .	२७२३
२६३१	ब्रहद कलकत्ता के लिए जल संभरण तथा जलनिस्सारण योजना	२७२३
२६३२	दिल्ली में सहकारी समितियां	२७२४
२६३३	छपरा कचहरी पर गाड़ी की टक्कर . . .	२७२४
२६३४	कुरडुवाडी–मिराज–लातूर लाइन . . .	२७२४
२६३५	रेलवे वर्कशापों के कर्मचारियों के अधिक समय तक किये गये काम के लिए मजूरी की गणना	२७२५
२६३६	दिल्ली–जोधपुर मेल में कंडक्टर . . .	२७२५
२६३७	रेलवे स्टेशनों पर सेफ डिपोजिट वोल्ट . . .	२७२५–२६
२६३८	रेलवे सम्पत्ति की चोरी	२७२६
२६३९	रेलवे स्टेडियम	२७२६–२७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६४०	रेलवे स्टेशनों पर प्रतिकर भत्ता	२७२७
२६४१	जिला कांगड़ा (पंजाब) में परिवार नियोजन केन्द्र	२७२७
२६४२	पंजाब को दी गई वित्तीय सहायता तथा अनुदान	२७२८
२६४३	स्पिति घाटी में खच्चरों का रास्ता	२७२८
२६४४	शकूर बस्ती में ऊपरी पुल	२७२८
२६४५	पंजाब में पशुपालन तथा मुर्गीपालन योजनायें	२७२९
२६४६	ढोरों का रोग	२७२९–३०
२६४७	जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा	२७३०
२६४८	केन्द्रीय सचिवालय तक रेल लाना	२७३१
२६४९	उड़ीसा में काली मिर्च और इलायची की खेती	२७३१
२६५०	भारत में गेहूं की खपत	२७३१–३२
२६५२	आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन	२७३२
२६५३	एक्सप्रेस मार्ग	२७३२
२६५४	रामपुरम् समुद्र तट पर मछुवे	२७३३
२६५५	दक्षिण रेलवे पर आम हड़ताल	२७३३
२६५६	मद्रास में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	२७३३
२६५७	दिल्ली—काठगोदाम रेल किराया	२७३३–३४
२६५८	दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य योजना	२६३४––३६
२६५९	राष्ट्रीय पक्षी	२७३६
२६६०	डीज़ल बसों का धुआं	२७३६
२६६१	कर्णफूली बांध	२७३६–३७
२६६२	रेलवे में भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठानों का कार्य संचालन	२७३७
२६६३	पानी की दरें	२७३७
२६६४	नगर आयोजन	२७३७
२६६५	मोटर गाड़ियों पर कराधान	२७३८
२६६६	यमुना पर दूसरा पुल	२७३८
२६६७	दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में पंचायतें तथा पंचायत समितियां	२७३८–३९
२६६८	आवास सहकारी समितियां	२७३९
२६६९	राज्य व्यापार	२७३९–४०
२६७०	रूरकेला स्टेशन पर विश्राम कक्ष	२७४०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६७१	चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तरों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम	२७४०
२६७२	रेलवे में उपाहारगृह	२७४१
२६७३	दिल्ली में लू लगने के मामले	२७४१
२६७४	वाइकाउन्ट की खरीद	२७४१
२६७५	जूट उद्योग	२७४२
२६७६	बिहार का इमारती लकड़ी का व्यापार	२७४२
२६७७	चोरी तथा जेब कटने के मामले	२७४२–४३
२६७८	पंचायती राज	२७४३
२६७९	मालेगांव में टेलीफोन रखने वाले	२७४३–४४
२६८०	राजस्थान कांडला पत्तन सड़क	२७४४
२६८१	त्रिपुरा के किसान	२७४४
२६८२	त्रिपुरा में हड्डी की खाद तैयार करने के संयंत्र	२७४५
२६८३	त्रिपुरा में बरगादारों का निष्कासन	२७४५
२६८४	इम्फाल टेलीग्राफ आफिस का सिगनल इन्चार्ज	२७४५–४६
२६८५	चीनी मिलों में जमा चीनी के भंडार का वितरण	२७४६
२६८६	प्रशिक्षित कर्मचारी	२७४६
२६८७	नागपुर में रेल दुर्घटना	२७४६
२६८८	गोशाला सहायक	२७४७
२६८९	पौधों का आयात	२७४७
२६९०	गोसदन और गोशाला विकास योजनायें	२७४७–४८
२६९१	खाद्यान्नों का मूल्य	२७४८
२६९२	डाक जीवन बीमा	२७४८–४९
२६९३	उच्च स्तरीय बाढ़ समिति	२७४९
२६९४	ट्रेक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, बुदनी	२७४९–५०
२६९५	दिल्ली में चकबन्दी	२७५०
२६९६	हावड़ा में रेलगाड़ी का रुक जाना	२७५०–५१
२६९७	भारत में निर्मित टेलीप्रिन्टर	२७५१
२६९८	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	२७५१–५२
२६९९	पंजाब में ग्राम्य जल संभरण योजनायें	२७५२

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७००	त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण के उपाय	२७५२
२७०१	केरल में राष्ट्रीय राजपथ	२७५३
२७०२	चावल का उत्पादन	२७५३–५४
२७०३	तालचर से बरसुग्रा तक रेलवे लाइन का निर्माण	२७५४
२७०४	दामोदर घाटी निगम	२७५४
२७०५	त्रिपुरा के ग्रादिम जाति लोगों को लकड़ी काटने से रोकना	२७५४
२७०६	हाफकिन इंस्टिट्यूट, बम्बई	२७५५
२७०७	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ ग्रौर ४७-क	२७५५
२७०८	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने	२७५५–५६
२७०९	चीनी तथा स्पिति घाटी में डाक का वितरण	२७५६
२७१०	मध्य प्रदेश में जोंक सिंचाई परियोजना	२७५६
२७११	ब्रह्मपुत्र पुल	२७५७
२७१२	व्यावसायिक स्वास्थ्य ग्रनुसन्धान	२७५८
२७१३	केरल में जमीन की पैमाइश	२७५८
२७१४	किराये की इमारतों में डाकखाने	२७५८–५९
२७१५	मध्य प्रदेश में घोड़ों की बीमारी	२७५९
२७१६	फीरोजपुर में टेलीफोन	२७५९–६०
२७१७	रेलवे का उत्पादन	२७६०–६१
२७१८	रेलवे के लिये मशीनरी का ग्रायात	२७६१
२७१९	बाढ़ के कारण राजपथों को नुकसान	२७६१–६२
२७२०	कोयला-क्षेत्रों के साथ रेल सम्पर्क	२७६२
२७२१	मेडिकल कालेज, कटक (उड़ीसा)	२७६२–६३
२७२२	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना	२७६३
२७२३	परिवार नियोजन	२७६४
२७२४	पौधा संरक्षण गोष्ठी	२७६४–६५
२७२५	राष्ट्र कलश	२७६५
२७२६	मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म	२७६५
२७२७	लूप लाइनों पर यात्री गाड़ियां	२७६५–६६
२७२८	धान के बीज	२७६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७२९	रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति .	२७६६
२७३०	टेलीफोन एक्सचेंज .	२७६७
२७३१	खाद्यान्न का आयात .	२७६७—६८
२७३२	टिकट कलक्टर	२७६८
२७३३	भारत के नगर निगमों के लिए पीने के पानी का संभरण	२७६८
२७३४	अमरपुर के रैमा क्षेत्र में चावल का संकट	२७६८—६९
२७३५	आसाम में मोटर परिवहन	२७६९
२७३६	दक्षिण भारत में बाढ़ें	२७५९
२७३७	त्रिपुरा में रक्षित वन . .	२७७०
२७३८	अगरतला दुग्धा संभरण योजना	२७७०
२७३९	उत्तर प्रदेश में स्वेडिश दल का बसना	२७७०—७१
२७४०	मनीपुर में नमक के कुएं	२७७१
२७४१	महानदी डेल्टा सिंचाई योजना	२७७१
२७४२	चीनी के मूल्य	२७७१—७२
२७४३	खाद्यान्नों की क्षति .	२७७२
२७४४	उत्तर रेलवे पर रुड़ा स्टेशन . .	२७७२
२७४५	तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को सुविधायें	२७७३
२७४६	डीजल इंजन . .	२७७३
२७४७	डाक व तार भवन पाटामुंडई, उड़ीसा	२७७३—७४
२७४८	पश्चिम रेलवे के मुख्यालय	२७७४
२७४९	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की स्टाफ कारें और क्वार्टर	२७७४ ७५
२७५०	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यात्री भाड़े और माल भाड़े	२७७५
२७५१	भारतीय भाषाओं में मूलभूत और सांस्कृतिक साहित्य	२७७५
स्थगन प्रस्ताव	. . . . . .	२७७६—७७

अध्यक्ष महोदय ने प्रसाद नगर, नई दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की झोंपड़ियों को खाली करने और उन्हें गिराने के लिये नोटिस जारी करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री भा० कृ० गायकवाड़ और ह० ना० सोनूले से प्राप्त हुई थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७
विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९०३ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति टेबल पर रखी गयी ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२७७७—७८
खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने पैट्रोलियम परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
श्री आर० के० करंजिया की भर्त्सना	२७७८—७९
अध्यक्ष महोदय ने बम्बई के ब्लिट्ज पत्र के सम्पादक श्री आर० के० करंजिया की, जो सभा की बार पर उपस्थित थे और जो सभा द्वारा सभा के विशेषाधिकार के घोर उल्लंघन और सभा के अपमान के दोषी ठहराये गये थे, भर्त्सना की ।	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२७७९
धार्मिक न्यास विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के लिये नियत किया गया समय आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया ।	
विधेयक पुरस्थापित	२७७९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—१९६१	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें सामान्य, १९६१-६२ . . .	२७८०—९४
१९६१—६२ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रही । पन्द्रह कटौती प्रस्ताव रखे गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा	२७९४—२८[illegible]६
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने प्रधान मंत्री द्वारा पंजाबी सूबे और मास्टर तारासिंह, स्वामी रामेश्वरानन्द और योगिराज सूर्यदेव द्वारा किये गये अनशनों के बारे में २८ अगस्त, १९६१ को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा उठाई । प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।	
बुधवार ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .	
अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६१—६२ पर अग्रेतर चर्चा तथा उन्हें स्वीकृत करना । भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार तथा पारित करना ।	

GMGIPND—LSIII—1198 (Ai)LSD 4-10-61—125